सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

स्वर्णीम चतुर्भुज की दिल्ली–मुम्बई भुजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली का राष्ट्र को समर्पण

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
www.morth.nic.in

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद - 15 वीं बैठक
परिवहन विकास परिषद - 36 वीं बैठक
of the National Road Safety Council
Transport Development Council

विषय-सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ
I	परिचय	1
II	वर्ष एक नजर में	5
III	सड़क विकास	21
IV	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	35
V	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	43
VI	अनुसंधान और विकास	47
VII	सीमा सड़क संगठन	53
VIII	प्रशासन, वित्त और सतर्कता	57
IX	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	71
X	निःशक्तन व्याक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	73
XI	परिवहन अनुसंधान पक्ष	75
XII	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	79

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय	83
परिशिष्ट 2	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्ममक संरचना	85
परिशिष्ट 3	देश में राज्य–वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	86
परिशिष्ट 4	एनएचडीपी–VII के अंतर्गत अभिनिर्धारित किए गए खंडों की अनंतिम सूची	89
परिशिष्ट 4 क	01–04–2014 से 31.12.2014 तक सौंपी गई परियोजनाओं का ब्यौरा	90
परिशिष्ट 5	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण संबंधी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार आबंटन	93
परिशिष्ट 6	वर्ष 2000–01 से 2014–15 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सड़कों के संबंध में आबंटन और जारी राशि का सारांश	94
परिशिष्ट 7	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों (तकनीकी और गैर–तकनीकी पक्ष) की संख्या के संबंध में सूचना	95
परिशिष्ट 8	लेखापरीक्षा पैरा का ब्यौरा	96
परिशिष्ट 8 क	निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट–36 का सार	97

परिशिष्ट 9	वर्ष 2013–14 (31 मार्च, 2014 तक) के लिए वास्तविक व्यय	100
परिशिष्ट 10	पिछले तीन वर्ष के लिए राजस्व व्यय की प्राप्तियों का ब्यौरा	101
परिशिष्ट 11	पिछले तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय लेन–देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार प्राप्तियों का ब्यौरा	102
परिशिष्ट 12	लेखों के मुख्य बिंदु	103
परिशिष्ट 13	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों की स्थिति (31.12.2013 की स्थिती के अनुसार)	104
परिशिष्ट 14	वर्ष 2003–13 के दौरान भारत में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या	105
परिशिष्ट 15	वर्ष 2003–13 के दौरान सड़क दुर्घटनाओ और व्यक्तियों की संख्या	106
परिशिष्ट 16	1950–51 से 2013–14 के दौरान सड़क लम्बाई (कुल और सतही) का श्रेणीवार ब्यौरा	107
परिशिष्ट 17	आर एफ डी दस्तावेज–2013–14	108

अम्बाला – जिरकपुर

राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूतिम दृश्य

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Road Safety Walk
WE WANT YOU SAFE
SIAM

प्रस्तावना

1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का वर्ष 2009 में गठन पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को स्वगतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था।

1.2 देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक जटिल अवसंरचना है। यह विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करता है। भारत में सड़क अवसंरचना का इस्तेयमाल कुल 61% माल और कुल 85% यात्री–यातायात के परिवहन में होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अपने बहुगुणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यों में संलिप्त हैं जिनमें शामिल हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रशासन, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने, राष्ट्रीय राजमार्गों के इस्तेमाल के लिए प्रयोक्त फीस दर निर्धारित करने आदि के अलावा पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने का कार्य।

1.3 यातायात (यात्री और कारगो) को संभालने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास की वृद्धिशील अपेक्षाओं की गति के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत का सड़क नेटवर्क 46.99 लाख कि.मी. है जो विशालतम सड़क नेटवर्कों में से एक है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई निम्नवत हैः

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग	96,214 किमी.
राज्यीय राजमार्ग	1,47,800 किमी.
अन्य, सड़कें	44,55,000 किमी.
जोड़	46,99,014 किमी.

1.4 ऐतिहासिक तौर पर, परिवहन क्षेत्र में निवेश सरकार द्वारा ही किया जाता था जिसका मुख्य कारण बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता, लंबी निर्माण अवधि, अनिश्चित प्रतिलाभ और अवसंरचना क्षेत्र में जुड़े अनेक बाहय कारकों का होना था। तथापि, वृद्धिशील संसाधन अपेक्षाओं और प्रबंधकीय दक्षता के प्रति चिंता एवं उपभोक्ता की सजगता के कारण हाल ही में अवसरंचना कार्यों में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी शुरू हुई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

कार्य

1.5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवंटित विषयों को **परिशिष्ट–1** में सूचीबद्ध किया गया है।

संगठन

1.6 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट–2** में दी गई है।

1.7 सम्बद्ध कार्यालय

1.7.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1988 नामक एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। यह केंद्रीय सरकार द्वारा इसको सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अथवा उनके प्रांसगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण फरवरी, 1995 से प्रचालन में है।

1.7.2 सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी.आर.डी.बी.)

सीमा सड़क विकास बोर्ड का मार्च, 1960 में गठन देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना के विकास कार्य का समन्वयन करने के लिए किया गया था क्योंकि अपर्याप्त संचार सुविधाएं इन क्षेत्रों में रक्षा संबंधी तैयारियों और आर्थिक विकास को गंभीर रूप से अवरूद्ध कर रही थीं। इस बोर्ड के पास सरकारी विभाग के समरूप वित्तीय और अन्य शक्तियां हैं और यह अध्यक्ष, बी.आर.डी.बी. के संपूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। बोर्ड की सभी संस्वीकृतियां बोर्ड के सचिवालय द्वारा तैयार की जाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बी. आर. डी. बी. को निधि प्रदान करता है। सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) सचिवालय, बी. आर. डी. बी. की एक कार्यपालक भुजा है।

1.7.3 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई.ए.एच.ई.)

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई.ए.एच.ई.) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पंजीकृत संस्थाग है। यह केंद्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है जिसका वर्ष 1983 में गठन देश में राजमार्ग अभियंताओं के प्रवेश स्तर एवं सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण की दीर्घकाल से अनुभव की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी।

1.7.4 राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल)

मंत्रिमंडल ने 13.03.2014 को हुई अपनी बैठक में पड़ोसी देशों के साथ सतत आधार पर क्षेत्रीय सड़क सम्पर्क संवर्धित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले पड़ोसी देशों के समीपस्थ देश के भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य विशिष्ट रूप से किए जाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कारपोरेट संस्था को स्थापित करने तथा उसे प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया।

ईटीसी कार्यान्वयन के लिए सीसीएच आप्रेटर हेतु एक्सिस बैंक द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना

एनएचआईडीसीएल प्रथम ई-टेंडर का 28.01.2015 को शुभारंभ

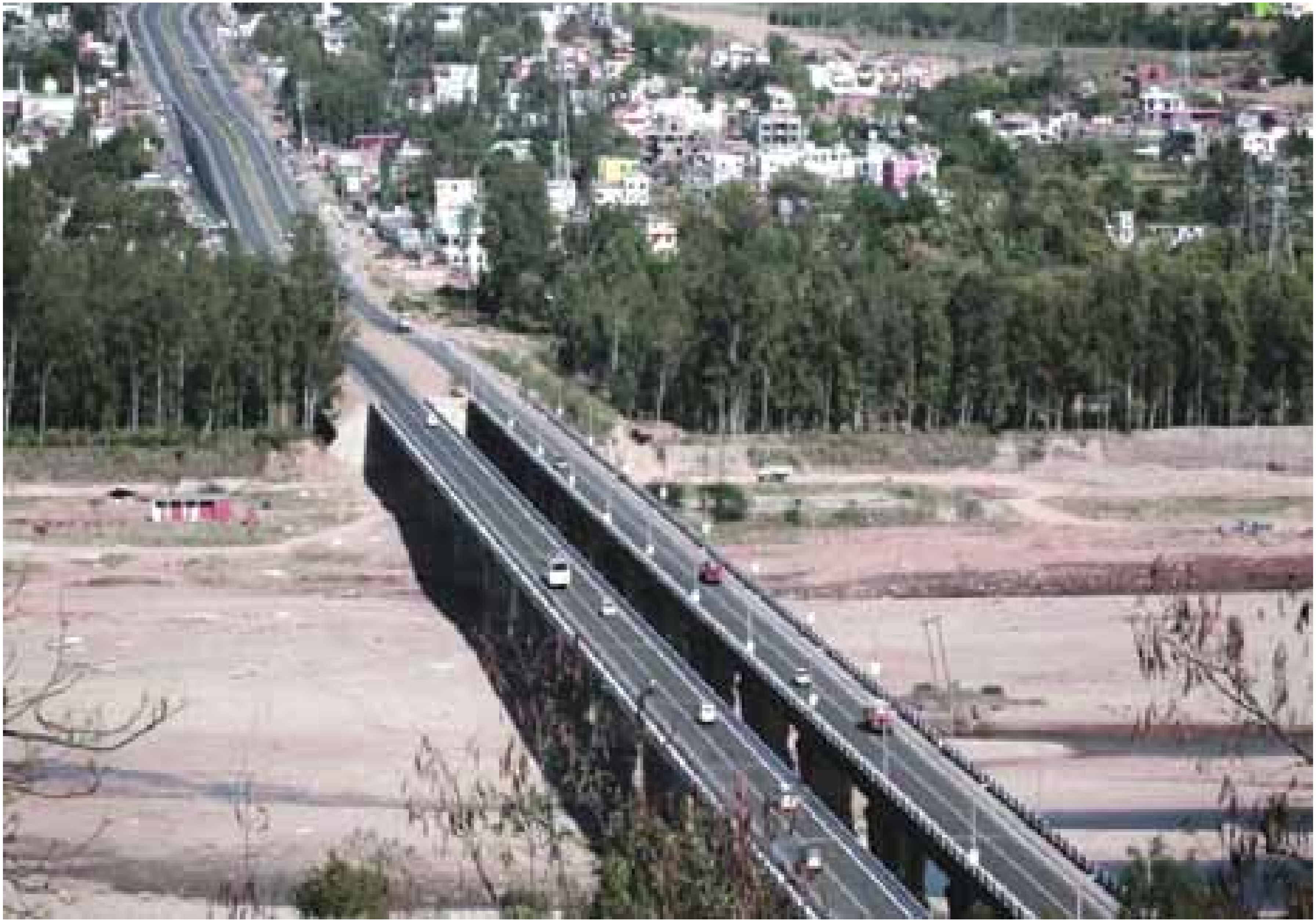

राष्ट्रीय राजमार्ग का अपृतिम दृश्य

क सड़क विकास

सड़क नेटवर्कः

2.1 सड़क क्षेत्रः 31 दिसम्बर, 2014 तक विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिती निम्नवत हैः

चरण	कुल लंबाई (कि.मी.)	दिसम्बबर, 2014 तक पूरी की गई लंबाई कि.मी.	1.04.2014 से 31.12. 2014 के दौरान पूरी की गई लंबाई
I स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व–पश्चिम–उत्तर दक्षिण कोरिडोर सम्पर्क और अन्य	7,522	7519	3
II उत्तर–दक्षिण–पूर्व–पश्चिम कोरिडोर और अन्य को 4/6 लेन बनाना	6,647	5836	67
III उन्नयन, 4/6 लेन बनाना	12,109	6352	254
IV पेव्ड शोल्डचर सहित 2 लेन बनाना	20,000	1240	757
V स्वर्णिम चतुर्भुत और उच्च सघनता कोरिडोर को 6 लेन का बनाना	6,500	1973	154
VI एक्सप्रेसवे	1000	शून्य	शून्य
VII रिंग रोड़ बाईपास और फ्लाईओवर और अन्य संरचनाएं	700 किम रिंग रो/बाइपास + फ्लाईओवर आदि	22	2
एसएआरडीपी–एनई	6142	1625	110
एलडब्यूई	5497	3299	370
एनएचआईआईपी	1120	10	10

गैर–एनएचडीपी

दिसम्बर, 2014 तक स्कीम के अंतर्गत 800 किमी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है।

2.1.1 सड़क स्कंध द्वारा की गई मुख्य पहलें:

मंत्रालय द्वारा निम्नलिखत मुख्य पहले की गई हैं:–

- क्षेत्रीय कार्यालयों में ई–भुगतान पद्धति का कार्यान्वयन अथवा आनलाइन प्रत्यपक्ष भुगतान प्रक्रिया।

- खुदरा आउटलेटों के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के लिए आनलाइन आवदेन सुविधा और ओएफसी केबल आदि के लिए अनुमति जारी करना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वेब आधारित अनुवीक्षण।
- **राजमार्ग क्षेत्र के लिए हाईब्रिड माडल-निर्माण अवधि पूंजीगत सहायता सहित वार्षिकी विधिः** माडल के अनुसार कुल परियोजना लागत की 40% की राशि प्राधिकरण द्वारा निर्माण अवधि के दौरान 'निर्माण सहायता' के रूप में रियायतग्राही को प्रदान की जाएगी। इस 'निर्माण सहायता' का संवितरण प्रत्येक 8% की 5 समान किस्तों में किया जाएगा और ऐसे सभी भुगतानों के समय को रियायतग्राही द्वारा व्यय की गई परियोजना लागत के प्रतिशत के साथ संबंद्ध किया जाएगा। रियायतग्राही को अपने इक्विटी अंशदान और बाजार से जुटाए गए ऋण के संयोजन के माध्यम से परियोजना लागत की शेष 60% राशि वहन करनी होगी। इसके अलावा निर्माण अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा वहन की गई परियोजना लागत की 60% राशि 10/20 वर्षों की अवधि के दौरान प्रसारित वार्शिकी भुगतान के रूप में प्राधिकरण से वसूली जाएगी। वार्षिकी भुगतान के अलावा रियायतग्राही के लिए पूर्व निर्धारित सीमा और बकाया पर ब्याज के अध्यीन प्रचालन और अनुरक्षण भुगतानों के लिए अलग से प्रावधान होगा। रियायतग्राही रियायत अवधि की समाप्ति तक परियोजना के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तयरदायी होता है। रियायत अवधि पूरी होने के पश्चात परियोजना प्राधिकरण को अंतरित हो जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हाइब्रिड वार्षिकी माडल का परिचय

आईएएचई

2.2 चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2014 तक 581 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2.2.1 राजमार्ग प्रबंधक मंच का पहला सम्मेलन 04.04.2014 को प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बीआरबीडी, राज्य सरकार और अन्य हितधारियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे थे।

स्मार्ट रहिये, स्टाइल भी मारें, पर एचआईवी/एड्स से बचें.

आईएएचई कैम्पस, नौएडा

2.3 राष्ट्रीय राजमार्गो पर पथकर व्यववस्था

ईटीसी के कार्यान्वयन के लिए विगत वर्ष 20 करोड़ रू. जारी किए जाने के अलावा वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 8 करोड़ रू. की राशि जारी की गई। इलैक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण के लिए केन्द्रीय समाशोधन गृह सेवाओं (सीसीएच) के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कम्पानी लि. और आईसीआईसीआई बैंक एवं एक्सिस बैंक के बीच सेवा प्रदाता करार पर हस्ताक्षर किए गए है। राज्य सरकार, परिवहन संघों, सीसीएच सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न हितधारियों को सुविज्ञ बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 31.10.2014 को स्वर्णीम चतुर्भुज की दिल्ली–मुम्बई भुजा पर अंतर प्रचालनीय ईटीसी सुविधा कार्यान्वित की गई है।

इलेक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण के संबंध में कार्यशाला

2.3.1 मुफ्त (सड़क) संग्रह प्रचलित निर्धारित 2009–10 और 2013–14

2.4 की गई मुख्य्यु पहलें

2.4.1 पथकर सूचना प्रणाली

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रचालित राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सटप्रेसवे पर पथकर प्लाजाओं से संबंधित जनहित सूचना जैसे कि किसी भी पथकर प्लाजा पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए लागू प्रयोक्ता फीस दर, किसी प्लाजा विशेष के लिए पथकर की ठीक–ठीक राशि अथवा दो स्थानों के बीच चयनित मार्गों का पता लगाने के लिए सड़क प्रयोक्ताओं की सहायता करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए पथकर सूचना प्रणाली के संबंध में एक वेबसाइट तैयार करना। किसी भी पथकर प्लाजा पर स्थानीय और बार–बार सड़क का इस्तेमाल करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए लागू रियायत/छूट के बारे में आम जनता/सड़क प्रयोक्ताओं के लिए जानकारी अद्‌यतन करना। यह वेब पोर्टल प्रयोक्तओं के लिए अनुकूल है और आम जनता मोबाइल फोन और एसएमएस के माध्यम से सूचना तक अपनी पहुंच बना सकती है। टीआईएस 31.10.2014 को लांच कर दिया गया है।

प

स्वर्णीम चतुर्भुज की दिल्ली –मुम्बई भुजा पर अंतर–प्रचालनीय ईटीसी

2.4.2 आटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर और क्लासीफायर (एटीसीसी) का इस्तेमाल किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सर्वेक्षण

यातायात के आंकड़े राजमार्ग विकास और योजना के लिए अनिवार्य घटकों में से एक होते हैं। यातायात की मात्रा राजमार्ग के किसी खंड़ में लेनों की संख्या, बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि, राजमार्गों के किनारे सुविधाओं और वर्तमान एवं भावी विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का निर्णय करती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों अथवा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से हाथ से किए गए यातायात सर्वेक्षणों द्वारा यातायात आंकड़ों के संग्रहण का परम्परागत तरीका वैज्ञानिक नहीं है और इसका मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विशुद्ध यातायात सर्वेक्षण और अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पूर्ण लम्बाई पर एटीसीसी का इस्तेमाल करके योजना और व्यवहार्यता अध्य्यन, यातायात सर्वेक्षण किया जाएगा। सभी पथकर प्लाजाओं पर एक ऐसी पद्ध ति होनी चाहिए जो सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पूर्ण लम्बाई पर यातयात का सम्पूर्ण यातायात सर्वेक्षण करने के लिए वाहन की श्रेणी और उसके आकार की पहचान कर सके। एटीसीसी लगाने के लिए सम्पूर्ण भारत में 1609 स्थान अभिज्ञात किए गए हैं। यातायात सर्वेक्षण करने के लिए देश को 7 जोनों में विभाजित किया गया है। यातायात सर्वेक्षण छमाही आधार पर किया जाएगा। यातायात सर्वेक्षण का अनुवीक्षण करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह राजमार्ग परियोजनाओं, योजना और व्यवहार्यता अध्यायन के लिए वास्तविक अनुमान लगाने में सहायता करेगा। यातायात सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

2.4.3 वे-इन मोशन ब्रिज (डब्लयू आईएम) प्रणाली

वाहनों में अतिभार लदान न केवल राजमार्गों के आर्थिक जीवन और उन सड़कों के लिए क्षतिकारक है जिन पर यांत्रिक वाहन चलते हैं बल्कि उनसे सुरक्षा संबंधी मुद्दें भी बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। अतिभार लदान मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 113 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 भी राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्ते्माल करने वाले अथवा पथकर प्लाजाओं से गुजरने वाले अतिभार लदान वाले यांत्रिक वाहनों का उस स्थिमति में निषेध करती है जब तक कि वे उन यांत्रिक वाहनों से अधिक भार को उतार न दें। मोटरयान अधिनियम, 1988 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस) नियमावली, 2008 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर वे-इन मोशन ब्रिज स्थापित किए जाने हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सभी पथकर प्लाजाओं पर यह प्रणाली स्थापित की जा सके।

2.4.4 आटोमेटिक व्हीकल काउंटर एंड क्लासीफायर (एवीसीसी) प्रणाली

एवीसीसी प्रणाली लेनों से गुजरने वाले वाहनों का वर्गीकरण और उनकी गिनती करती है। इसका इस्तेमाल पथकर संग्रहण के लिए संपरीक्षा के रूप में भी किया जाता है। पथकर प्रबंधन प्रणाली पथकर संग्रहणकर्त्ता द्वारा प्रविष्ट की गई एवीसीसी की श्रेणी और वर्गीकरण की जांच करती है। यदि उनमें कोई मिलान न हो तब लेन कैमरा श्रेणी विषमता संदेश, तारीख और समय सहित प्रविष्टी संख्या, लेन संख्या और पथकर संग्रहणकर्त्ता के ब्यौरे के साथ वाहन की डिजिटल छवि ले लेता है। छवि और विषमता संबंधी सूचना पथकर पर्यवेक्षण स्टाफ द्वारा आगे संसाधित किए जाने के लिए पर्यवेक्षण दल को संसूचित की जाएगी। गिनती और वर्गीकरण संबंधी आंकड़ों को दूर से ही सीधे दर्ज किया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है ताकि सभी पथकर प्लाजाओं पर इस प्रणाली को कार्यान्वित किया जा सके।

ख सड़क परिवहन

2.5 मंत्रालय ने 148 करोड़ रू. की प्राकलित लागत पर ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहनों के पंजीकृत प्रमाण-पत्र के राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर सृजित करने के लिए एक परियोजना

संस्वीकृत की है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) को सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परियोजना के डिजाइन, विकास, कम्प्यूीटराइजेशन रोल–आउट और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल कोर प्रोडक्ट में अनुकूलता के साथ केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं राज्य मोटरयान नियमावली द्वारा यथा अधिदेशित कार्यात्मकताओं के लिए **वाहन** और **सारथी** की परिकल्पना की गई है।

अब तक एनआईसी ने देश भर में वाहन पंजीकरण (वाहन) और ड्राइविंग लाइसेंस (सारथी) के लिए कोर स्कीम/प्रोडक्ट तैनात किए जाने के संबंध में लगभग 100% सफलता हासिल कर ली है। समेकित डाटाबेस के तत्पश्चात सभी राज्यों और राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए राज्य रजिस्ट्री स्थापित की गई थी। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, हाल ही में जोड़े गए स्थलों के सिवाय, लगभग सभी स्थलों को जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय रजिस्टर संचयिका में 16 करोड़ से अधिक वाहन रिकार्ड और 6 करोड़ लाइसेंस रिकार्ड उपलब्ध है। राज्यपरिवहन विभाग और पर्वतन एजेसिंयों को राष्ट्रीय रजिस्टर के आकडों तक पहुंच प्रदान की गई है ताकि सभी ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकृत प्रमाण–पत्रों की तुरंत जांच करना सुगम हो जाए और उनके पंजीकृत नम्बर से एसएमएस भेजकर मोबाइल के माध्यम से डिजीटेलाइज्ड डाटा तक भी पहुंच प्रदान की गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नीति के अनुसार विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी एजेसिंयों को समेकित परिवहन डाटाबेस (एनआर और एसआर) तक आनलाइन पहुंच का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है:

- पुलिस और सुरक्षा एजेसिंया (असीमित, निर्बाध पहुंच)
- बैंक, बीमा कम्पनियां (भुगतान पहुंच)
- अन्य एजेसिंया (भुगतान, सीमित डाटा पहुंच)
- राज्य सरकारों के एप्लीाकेशन (वेब–सर्विस के माध्यंम से डाटा पहुंच)

एनआर और एसआर एप्लीएकेशनों के आधार पर नागरिक, व्यवसायी और अन्य सरकारी एजेसिंयों के लिए बड़ी संख्या में आनलाइन एप्लीकेशन और सेवाएं प्रारम्भ की गई है:

- डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन (यूपी, डीएल, ओडी, जीजे, एचआर,एमएल)
- फेंसी नम्बर रजिस्ट्रेशन (डीएल, यूपी)
- माल के लिए राष्ट्रीय परमिट (पूरे राष्ट्र में अभिगम)
- आनलाइन सड़क कर भुगतान (एमएल, ओडी, यूपी, यूके, एचआर, डीएल)
- आनलाइन अस्थायी परमिट (डीएल)
- आनलाइन एचएसआरपी रजिस्ट्रेशन (पीबी)
- आलनाइन सीमा जांच चौकी (यूपी, यूके, आरजे)
- अन्य आनलाइन वाहन सेवाएं जैसे कि एनओसी, टीओसी, एचपीई, एचपीटी, पते में परिवर्तन आदि (एचआर)
- आरटीओ (जेएच के लिए वेब समर्थित वाहन) आनलानइन सारथी सेवाएं जैसे कि डीएल/एलएल एप्लीओकेशन (एमएच, केऐ, जीजे, ओडी, पीबी, यूपी)
- डीएल जांच के लिए आनलाइन स्लाट बुकिंग
- आनलाइन लर्नर जांच मोड्यूल
- वाहन विनिर्माताओं और जांच एजेसिंयों के लिए होमोलोगेशन एप्लीनकेशन

नागरिक–केन्द्रित एप्लीकेशन/सेवाएं नियमित आधार पर अन्य राज्यों तक विस्तारित की जा रही है। इन एप्लीकेशनों में ई–भुगतान, एसएमएस सूचना, ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन जैसी विषेशताएं उपलब्ध कराई जाती है।

अब, एक नई पहल के अंतर्गत सेवा, सुरक्षा, अनुरक्षण को आसान बनाने और एकीकृत, क्लाउड–आधारित सेवा सुपुर्दगी प्रदान किए जाने के विचार से आरटीओ–केन्द्रित वाहन और सारथी एप्लीकेशनों का नवीकरण किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन का डिजाइन माड्यूलर और कंफ्रीगरेबल बनाया जाना है ताकि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इसमें सिंगल साइन–आन, बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन, ई–भुगतान के बहु–विक्लप, एसएमएस सूचना, ओपन एपीआई, मोबाइल एप्स इसी प्रकार की अन्य, विशेषताएं शामिल की जा सके।

एप्लीकेशन विकास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। इसे प्रारम्भ किए जाने की अंनतिम समय सीमा अप्रैल, 2015 है।

रोड़ सुरक्षा सभा

2.5.1 मोटरयान (संशोधन विधेयक), 2014 को लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2014 को पारित किया गया था और इसे विचारार्थ और पारित कराए जाने के लिए 22 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक 22 और 23 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा की कार्रवाई में विचार–विमर्श किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था किन्तु इस पर इस दौरान विचार नहीं किया जा सका। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और ई–रिक्शा पर निर्भर लोगों को राहत प्रदान करने का मामला जनहित में था, इसलिए मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुरूप प्रस्तावित संशोधन करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद, 123 के अंतर्गत राष्ट्रापति द्वारा एक अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया। मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने का लर्नर लाइसेंस तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पास न्यूनतम एक वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस न हो। चूंकि अधिकतर ई–रिक्शो और ई–कार्ट ड्राइवरों के पास कोई लाइसेंस नहीं होता इसलिए उक्त प्रावधान उन्हें एक वर्ष के लिए ई–रिक्शा/ई–कार्ट चलाने से वंचित कर देगा। इस कठिनाई को दूर करने और ई–रिक्शा और ई–कार्ट चलाना सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अध्याश देश के माध्यम से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 7(1) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जिससे कि केवल ई–रिक्शा और ई–कार्ट ड्राइवरों को

छूट प्रदान होगी। इसके अलावा ई–रिक्शा और ई–कार्ट की परिभाषा को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

2.5.2 मंत्रालय ने माल वाहनों के लिए एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली दिनांक 08.05.2010 से लागू की है। नई व्यवस्था के अनुसार, परमिट धारक को संपूर्ण देश में वाहन चलाने के लिए अधिकृत करने के लिए प्रतिवर्ष प्रति ट्रक के लिए समेकित शुल्क के रूप में 16,500/–रुपए का भुगतान करने पर गृह राज्य द्वारा राष्ट्रीय परमिट प्रदान किया जा सकता है। परमिट धारक को पहली बार प्राधिकार शुल्क के रूप में 1,000/– रुपए का भुगतान करना भी अपेक्षित होता है। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित वेब पोर्टल नामतः https://vahan-nic-in/npermit के माध्यम से 15.09.2010 से राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को इलेक्ट्रानिक विधि से कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.5.3 मंत्रालय ने देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15.03.2010 से एक स्कीरम शुरू की है। इस स्कीम में वाहन ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजीशिनिंग सिस्टम (जीपीएस)/ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम), इलेक्ट्रॉनिक टिकट वेंडिंग मशीनें आदि जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है। उक्त स्कीम के अनुसार, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, उत्ताराखंड, आन्ध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, सिक्किम, गोवा और जम्मू और कश्मीर नामक 17 राज्यों की 22 परियोजनाओं को ग्रामीण/मुफसिल क्षेत्रों को कवर करते हुए उनके सड़क परिवहन सेवाओं में अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विशेषताएं लाने के लिए वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के दौरान एकबारगी केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत की गई थी। वर्ष 2013–14 के दौरान, नार्थ ईस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, कदांबा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, जम्मू व कश्मीर स्टेनट रोड कारपोरेशन के परियोजना प्रस्तावों को केन्द्रीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान एसआरटीयू से एक या दो और अधिक परियोजनाओं को संस्वीकृत किया जा सकता है क्योंकि ये विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

2.5.4 **बस टर्मिनलों और बहु-माडल मार्गस्थ टर्मिनलों का बीओटी आधार पर विकास :** इस शीर्ष के अंतर्गत बीओटी आधार पर बस टर्मिनलों के विकास के लिए एक नई स्कीम प्रारम्भ की जा रही है। प्रस्तावित स्कीम का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले 9 शहर, 1 से 4 मिलियन के बीच की आबादी वाले 44 शहर और 1 मिलियन से कम आबादी वाले 17 राजधानी शहरों अर्थात कुल 70 शहरों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीओटी आधार पर बस टर्मिनलों के विकास के लिए एक संरचना प्रदान करना है। इस स्कींम की अनुमानित लागत 375 करोड़ रू. है, इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्साह अर्थात 281 करोड़ः अर्थात कुल परियोजना लागत 75% होगा और शेष 25% की राशि सफल निविदाताओं द्वारा प्रदान की जाएगी। कुल परियोजना लागत के 75% अर्थात 281 करोड़ रू. में से 80% अर्थात 235 करोड़ रू. का वित्त पोषण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा और शेष राशि का वित्त पोषण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। इस स्कीम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्यों/एसआरटीयू/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 80% और 20% होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र/पवर्तीय क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 90% और 10% हैं। इस स्कीम की संपूर्ण लागत सफल निविदाताओं से पूरी की जाएगी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय की गई निधि के संबंध में जमा की जाएगी। वर्ष 2015–16 के दौरान मंत्रालय का लक्ष्य इस स्कीम को 33 शहरों में पीपीपी आधारित बस टर्मिनलों के कार्यों में राज्यो परिवहन विभाग/एसआरटीयू की सहायता करने के लिए परियोजना विकास परामर्शदाता

नियुक्ती करने का है। परामर्शदाताओं की नियुक्तिन इस स्कीम के लिए मानक परियोजना संदर्भ दस्ता वेज विकसित करने के लिए भी की जाएगी।

2.5.5 देश में सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा की स्कीम का अनुमोदन आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 02.01.2014 को किया गया था। इस स्कीम में देश में सार्वजनिक सड़क परिवहन में जीपीएस/सीसीटीवी/पेनिक बटन लगाकर राष्ट्र स्तरीय वाहन सुरक्षा और ट्रैकिंग सिस्टिम तथा सिटी कमान और नियंत्रण केन्द्र स्थारपित करने की परिकल्पना की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना के सुचारू कार्यान्वान के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान किए जाने के लिए दिल्ली इंटीग्रेटिड मल्टी–माडल ट्रांजिट सिस्टम लि. (डीआईएमटीएस) को यह कार्य सौंपा है। इस समय यह परियोजना तैयारी चरण में है जिसके अंतर्गत निम्नलिखत कार्यकलाप प्रारम्भ किए गए हैं:

- अवधारणा रिपोर्ट को परियोजना संचालन समिति की 09.09.2014 को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया है।
- अंतिम प्रौद्योगिकी विश्लेषण रिपोर्ट को 22.12.2014 को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- जीपीएस के लिए विस्तृत विशिष्टि दस्तावेज और सीसीटीवी के लिए विस्तृत विशिष्टि दस्तावेज के मसौदे की जांच की जा रही है।
- राज्य सहायता करार, केन्द्रीय मोटरयान संशोधन नियमावली और अर्हता के लिए अनुरोध के मसौदे डीआईएमटीएस द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

- अवधारणा रिपोर्ट और प्रौद्योगिकी विश्लेषण रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लाभभोगी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चरणबद्ध तरीके से परामर्श करना प्रारम्भ किया है ताकि उन्हें स्कीम के ब्यौरे और स्कीम के समय पर कार्यान्वयन के लिए उनकी और से अपेक्षित कार्य की सूचना प्रदान की जा सके।

2.5.6 वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क द्वारा परिवहन व्याअपार की प्रक्रिया को सुचारु बनाए जाने की दृष्टि से, 'सड़क द्वारा वाहन अधिनियम, 2007' को अधिनियमित किया गया था जो 01.03.2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के सुगम अनुपालन के लिए, सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011 की अधिसूचना, 28.02.2011 की सा.का.नि. 176 (अ) के द्वारा जारी की गई। यह अधिनियम/नियमावली, मंत्रालय की वेबसाइट http://morth-nic-in पर भी उपलब्ध है। सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से इस मंत्रालय द्वारा अधिनियम नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से सड़क द्वारा वहन अधिनियम के ऑन–लाइन कार्यान्वयन और भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भुगतान किए जाने के लिए भी प्रयास कर रहा है।

2.5.7 केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 59 केंद्र सरकार के वाहनों की आयु निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। परिवहन वाहनों और पर्यटन वाहनों की जीवन अवधि सीएमवीआर द्वारा निधारित की गई है। व्यक्तिगत वाहनों की जीवन अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इस संबंध में नीतिगत निर्णय देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाना है। सामान्यतः, वाहन को सुरक्षा और उत्सर्जन मानदंड पूरे किए जाने तक सड़क पर चलने के लिए अनुमत किया जाना चाहिए। सुरक्षा और उत्सर्जन अपेक्षा तभी पूरी की जा सकती है जब वाहन की फिटनैस जांच नियमित अंतराल पर कराई जाए। अतः मंत्रालय ने वाहनों के लिए एक उपुयक्त डिजाईन की गई निरीक्षण और अनुरक्षण पद्धति तैयार की है। तद्नुसार, एक आटोमेटिड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन (आईएससी) सेंटर

का डिजाइन तैयार किया गया और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली, प्रत्येक राज्य में एक के हिसाब से इस प्रकार के कुल 10 केंद्र पायलट आधार पर स्थापित किए जाने की स्कीम तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत, भूमि राज्यों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। एक ऐसा केन्द स्थापित करने की कुल लागत लगभग 1440 लाख रु. है। 6 केन्द्रों का सिविल निर्माण कार्य पूरा होने को है। आशा है कि 10 केन्द्रों में से 6 केन्द्रों में वर्ष 2014–15 के दौरान प्रचालन प्रारम्भ हो जाएगा।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने देश में 10 और ऐसे केन्द्र संस्वीकृत करने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई भी केंद्र संस्वीकृत नहीं किया गया है।

2.5.8 भारतीय सड़कों पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनके परिणामस्वरूप एक लाख अडतीस हजार से भी अधिक लोगों की मौत हुई हैं। विगत में किए गए विभिन्न सड़क दुर्घटना के कारणों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवरों की चूक के कारण हुई। वर्ष 2013 की रिपोर्ट यह संकेत करती है कि सभी सड़क दुर्घटनाओं की 78% दुर्घटनाएं ड्राइवरों की चूक के कारण हुई। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे ड्राइविंग कौशल और ड्राइवरों में सड़क विनियमन संबंधी नियमों का ज्ञान सुनिश्चित करते हैं, यह महसूस किया गया कि मौजूदा और भावी ड्रावइरों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की तत्कारल आवश्यकता है। मानक स्थापित करने और ड्राइविंग प्रशिक्षण का अनुवीक्षण करने और परीक्षण कौशल की वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक प्रक्रिया आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थारन (आईडीटीआर) स्थापित करने के लिए एक स्कीम भी तैयार की है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13 माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूरल संस्वीकृत किए गए थे और ये सभी तैयार हो चुके हैं और कार्यरत्त हैं। 11वीं योजना के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकाघाट (हिमाचल प्रदेश), छिंदवाडा (मध्य प्रदेश), राजसमंद (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्रा), भिवानी (हरियाणा), औरंगाबाद (बिहार), अगरतला (त्रिपुरा) और उत्तर प्रदेश (रायबरेली) में आईडीटीआर स्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की है। तीन आईडीटीआर अर्थात छिदंवाडा, पुणे और राजसमंद के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और ये कार्यरत्त हैं। शेष आईडीटीआर का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है और अगले वर्ष के दौरान इनके पूरा हो जाने की संभावना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने देश में 10 और आईडीटीआर तथा 25 क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उन राज्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिनमें 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई भी आईडीटीआर संस्वीकृत नहीं किया जा सका।

2.5.9 **सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए निःषुल्क उपचारः** 'स्वर्णिम घंटे' के दौरान, त्वोरित और उपयुक्त चिकित्सा परिचर्या प्रदान करके दुर्घटना पीड़ितों की जिंदगियों को बचाने और इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में घातकताओं को कम करने के उद्देश्य से, इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–8 के गुड़गांव–जयपुर खंड पर सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को नकदी रहित उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है। दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए टोल फ्री नंबर 1033 शुरू किया गया है। 24 × 7 काल सेंटर दुर्घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त करेगा, नजदीक एंबुलेंस तैनात करेगा और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों, अस्पताल और सड़क सुरक्षा स्वयं सेवकों को सचेत करेगा। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)/अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थाचन (एम्स) दरों पर उपचार प्रदान करने के लिए

एड्स को जानें, एड्स को समझें, जुग-जुग जियें.

45 निजी अस्पतालों को पैनल में रखा गया है, इसके अलावा, इस खंड पर 7 सरकारी अस्पताल अवस्थिटत हैं। पहले 48 घंटों के लिए 30,000/— रु. की समग्र सीमा के भीतर नकदी—रहित उपचार प्रदान किया जाता है यदि दुर्घटना पीड़ित को निजी पैनल—बद्ध अस्पताल में दाखिल किया जाता है। जनवरी, 2014 तक इस परियोजना के अंतर्गत कुल 1349 दुर्घटना पीड़ितों को उपचार प्रदान किया गया है। प्रायोगिक परियोजना से आंकड़ों का उपयोग सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए अखिल भारतीय योजना बनाने में किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा वेबसाइट का शुभारंभ

2.5.10 परिवहन क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य, क्षेत्र सरकारों और नगर निगमों के परिवहन/यातायात विभाग के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि सहभागियों को सड़क परिवहन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों की जानकारी दी जा सके और वे मोटर वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या की वजह से उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें और व्यक्तिगत रूप से और उनके संबंधित संगठनों/विभागों द्वारा अपना निष्पादन भी बेहतर किया जा सकें।

2.5.11 **रेडियो फ्रीक्वेंसी संकेत की फिटमेंट:** राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों और प्रवर्तन प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच प्रदान कराई गई है जिससे कि उन सभी ड्राइविंग लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों का तत्काल सत्यापन सुलभ होगा, जिनको उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर से एसएमएस भेजकर डिजिटाइड कर दिया गया है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत एम और एन श्रेणी के वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) टैग लगाना अधिदेशित किया गया था। इससे इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण (ईटीसी) को सरल और कारगर बनाना सुकर हो जाएगा और इसका उपयोग विभिन्न अन्यय प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है।

2.5.12 परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) एक शीर्ष निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्यो क्षेत्रों के परिवहन मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल/मुख्यांयुक्त शामिल होते हैं जो सड़क परिवहन के संबंध में सरकार को सलाह देते हैं। 28.10.2014 को हुई परिवहन विकास परिषद की 36वीं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

क) निम्नलिखित दरों पर वार्षिक समेकित परमिट फीस के भुगतान पर पर्यटक बसों के लिए अखिल भारतीय परमिट की अतिरिक्त पद्धति प्रारम्भ की जाएगी:

   i. सामान्यल पर्यटक बसों के लिए 50,000 रू.

   ii. लग्जरी पर्यटक बसों के लिए 75,000 रू.

   iii. सुपर लग्जरी पर्यटक बसों के लिए 1,00,000 रू

परिवहन विकास परिषद् की 36वीं बैठक

ख) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र पर्यटक बसों के अखिल भारतीय परमिट के लिए अतिरिक्त पद्धति के उचित कार्यान्वयन के लिए अपनी ओर से आवश्यक कदम उठाएंगे।

ग) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक वर्ष के भीतर टोल प्लाजा और सीमा चौकियों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए गठित कार्यबल की सिफारिशों का अपनाएगे।

घ) सभी राज्य सरकारें और संघ राज्यों क्षेत्र के प्रशासन राज्यसड़कों पर स्थित टोल प्लाजाओं पर ईटीसी पद्धति पर आरएफआईडी कार्यान्वित करने के लिए तत्का्ल कदम उठाएंगे।

एड्स को जानें, एड्स को समझें, जुग-जुग जियें.

परिवहन विकास परिषद की 36वीं बैठक

परिवहन विकास परिषद की 36वीं बैठक

ङ) सभी राज्य सरकारें और संघ राज्यो क्षेत्र के प्रशासन राज्य सड़कों पर स्थित टोल प्लाजाओं पर ईटीसी पद्धति पर आरएफआईडी कार्यान्वित करने के लिए तत्का्ल कदम उठाएंगे।

च) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक वर्ष के भीतर टोल प्लाजा और सीमा चौकियों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए गठित कार्यबल की सिफारिशों का अपनाएगे।

2.5.13 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् (एनआरएससी) सड़क सुरक्षा के लिए शीर्ष निकाय है। इसके अध्यक्ष मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री, सभी राज्यं के पुलिस महानिदेशक और गृह, मानव संसाधन विकास, रेल, उद्योग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यावरण और वन तथा स्वास्स्थ और परिवार कल्याण जैसे मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के आधिकारिक सदस्य होते हैं। इसमें 25 गैर–सरकारी सदस्य होते हैं।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् (एनआरएससी) का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अंतिम बार गठन 13.02.2013 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। को–आप्टिड संस्थागत/व्याक्तिगत सदस्यों की कार्य अवधि अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से दो वर्षों के लिए होती है। मौजूदा एनआरएससी के गैर–सरकारी सदस्यों/संस्थानों की कार्य अवधि 12.02.2015 के अंत तक है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एनआरएससी की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार करनी होती है। एनआरएससी की पिछली बैठक 28.10.2014 को हुई थी। बैठक में राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारियों के साथ सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा विधेयक, 2014 पर विचार–विमर्श किया गया।

मोटरयान अधिनियम की धारा 125 में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियां स्थापित किए जाने का भी प्रावधान है। दिनांक 18.02.2010 को मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियां स्थापित किए जाने और इस संबंध में नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है। सड़क सुरक्षा के संबंध में अधिकतर कार्रवाई राज्य स्तुर पर की जानी होती है जहां प्रवर्तन, यातायात इंजीनियरी, बचाव और राहत उपाय लक्षित सड़क सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल करने के संबंध में सीधे ही किए जाते हैं।

2.5.14 यह मंत्रालय देश के सड़क सुरक्षा परिदृष्य में सुधार किए जाने की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है। सड़क सुरक्षा के चार पहलू हैं– इंजीनियरी, प्रवर्त्तन, शिक्षा और आपात चिकित्सा जिन्हें सड़क सुरक्षा के चार 'ई' के रूप में भी जाना जाता है। इंजीनियरी संबंधी पहलू का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन चरण में ही किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के प्रवर्त्तन पहलू का विषय संबंधित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से संबंधित है। सड़क सुरक्षा के शिक्षा पहलू से संबंधित कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अभियान चलाकर किया जाता है। आपाती परिचर्या बहुल एजेंसियां जैसे रियायतग्राही, निजी/सार्वजनिक एंबुलेंस सेवा और पदनामित अभिघात केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से एक एकल नंबर से पहुंचनीय एक एकीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से सभी सेवाओं को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है।

2.5.15 मंत्रालय सड़क सुरक्षा के लिए नीतियां तैयार करता है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। मंत्रालय द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण स्कीमों में सड़क सुरक्षा पर प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान, असंगठित क्षेत्र में ड्राईवरों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम (एनएचएआरएसएस) तथा सड़क सुरक्षा और प्रदूषण परीक्षण उपकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्मिलित हैं।

एड्स को जानें, एड्स को समझें, जुग-जुग जियें.

2.5.16 संपूर्ण देश में 11 से 17 जनवरी, 2015 तक 26वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। इस बार सड़क सुरक्षा सप्तांह का थीम था 'सुरक्षा केवल एक नारा नहीं बल्कि यह एक जीवन पद्धति है'। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों को तैयार किया गया और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, एसोसिएशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (एएसआरटीयू), सभी ऑटोमोबाइल संघों और एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चेरर्स आदि को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में 16 जनवरी, 2014 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 25वें सड़क सुरक्षा सप्ताअह का विदाई भाषण समारोह आयोजित किया गया। 12 जनवरी, 2014 को इंडिया गेट पर एक प्रतीकात्मक सड़क सुरक्षा पैदल यात्रा भी आयोजित की गई। इस पैदल यात्रा का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और इसके संबद्ध पहलुओं के बारे में अधिक लोगों को कार्य पर लगाना और उनको जागरूक बनाना था।

परिवहन विकास परिषद की 36वीं बैठक

इलेक्ट्रानिक पथकर संग्रहण के संबध में कार्यशाला

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न अन्य सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आती हैं। राज्य सड़को के विकास में राज्य सरकारों की सहायता के लिए केंद्र सरकार, अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। यह मंत्रालय, सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा देश में सड़कों और पुलों के लिए मानक एवं विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेनदार है।

पिछले पांच वर्षों में वास्तविक सड़क निर्माण

पिछले पांच वर्षों में सम्भानित सड़क परियोजनाएँ

3.2 राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनके लिए भारत सरकार संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है, की लंबाई 96,214। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य–वार सूची **परिशिष्ट–3** में दी गई है।

3.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता दबाव, अपर्याप्त पेवमेंन्ट् क्रस्ट, घटिया ज्यामिती और सुरक्षा कारकों के अभाव जैसी विभिन्न कमियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर, कार्यों को प्राथमिकताबद्ध करके विद्यमान राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृड़ीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। हालांकि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन प्रदान कर रही है और उच्च सघनता वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त निधियां आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पाया है। सड़क विकास के लिए अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

3.4 सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में वर्ष 2000 से शुरू की गई विशाल राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

संगठनात्माक ढांचा

3.5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन, इसमें निहित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। फरवरी, 1995 में इसके प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ इसका प्रचालन शुरू हुआ।

3.6 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुखिया, प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। उसके अधीन पांच पूर्णकालिक सदस्य अर्थात् सदस्य (प्रशासन), सदस्य (वित्त), सदस्य (परियोजना), सदस्य (पीपीपी) और सदस्य (तकनीकी) हैं। प्राधिकरण के चार अंशकालिक (पदेन) सदस्य अर्थात् सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सचिव, व्यय विभाग, सचिव, योजना आयोग और महानिदेशक (सड़क विकास), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हैं। इन सदस्यों के कार्य में मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप–महाप्रबंधक और प्रबंधक स्तर के अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है। प्राधिकरण के जोनल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजना कार्यान्वरयन इकाईयों और कारीडोर प्रबंधन इकाईयों के रूप में फील्ड कार्यालय हैं, जो पूरे देश में फैले हैं। इन इकाइयों के प्रमुख कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक होते हैं जो विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए और पूरे हो चुके खंडों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए जिम्मेरदार होते हैं। सिविल ठेकेदारों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं आदि से संबंधित सभी प्रापण कार्य, मुख्यालय द्वारा किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी, निर्माण पूर्व कार्यों तथा परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्या सरकारों/केन्द्र सरकार के संगठनों के साथ संपर्क साधने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

3.7 भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 6,00,000 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली सात चरणों में फैली एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेादारी सौंपी है।

3.8 राज्य सहायता करार (एसएसए)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित राज्य सहायता करार (एसएसए) एक बहुप्रयोजनीय अम्ब्रेला करार है जो भूमि अधिग्रहण, स्थारनीय कानून एवं व्यवस्था के मामले में राजमार्ग विकास परियोजना के लिए राज्य् सहायता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय कार्यपालक एजेंसियों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) तथा रियायतग्राहियों को सहायता प्रदान करने के लिए एकरूप प्रावधान निरूपित करता है। आज की तारीख तक तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस एस एस ए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

3.9 परियोजना अनुवीक्षण ग्रुप (पीएमजी)

स्थापित निवेश परियोजना को पटरी पर लाने के लिए एक संस्थाकगत तंत्र तैयार करने के विचार से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं का कार्य सक्रिय रूप से किए जाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना अनुवीक्षण ग्रुप (पीएमजी) के रूप में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ताकि परियोजनाओं को समय पर प्रारम्भ किया जा सके। परियोजना अनुवीक्षण ग्रुप (पीएमजी) का उद्देश्य 1,000 करोड़ अथवा अधिक रू. की परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र सृजित करना और संरचना तथा प्रक्रियाएं निर्मित करना है। सीसीआई ने संयुक्त सचिव (राजमार्ग) को परियोजना अनुवीक्षण ग्रुप (पीएमजी) के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया था।

नोडल अधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह पोर्टल पर लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा अपलोड करे। अपलोड की गई जानकारी उप–ग्रुप की बैठक में विचार–विमर्श को सुकर बनाने के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगी। उप–ग्रुप का निर्णय परियोजना अनुवीक्षण ग्रुप (पीएमजी) द्वारा स्वीकृति के पश्चात प्रायोजक मंत्रालय द्वारा अपलोड किया जाता है। उप–ग्रुप के निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई/कार्यान्वियन का गहन अनुवीक्षण किया जाता है और यह कार्य संबंधित प्रायोजक मंत्रालय द्वारा यह निर्णय किए जाने तक कि मामले का समाधान किया हुआ/कार्यान्वियत माना जाए, तक जारी रहता है।

इस संबंध में परियोजना अनुवीक्षण ग्रुप (पीएमजी) मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली में बार–बार विभिन्न मंत्रालयों के उप–ग्रुपों की बैठकें आयोजित करता है। ये बैठकें संबंधित राज्य में अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के संबंध में अनुमोदनों/स्वीकृतियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाए जाने के संबंध में अन्य राज्यों में भी आयोजित की जाती है। इन बैठकों में राजमार्ग प्रभाग के उच्चत अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग का अपृतिम दृश्य

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्त-पोषण

3.10 वर्ष 2014–15 के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 57,794.73 करोड़ रुपए (सं.अ. 51,526.81 करोड़ रुपए) के व्यय का अनुमान लगाया है। जिसमें से 32,074.88 करोड़ रुपए (सं.अ. 32,621.90 करोड़ रुपए) {(वार्षिकी भुगतान, बाजार/भारत सरकार/एडीबी (प्रत्योक्ष) उधार और ब्याज राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 8384.93 करोड़ रुपए (सं.अ. 9522.94 करोड़ रुपए) सहित} भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बोर्ड से व्यय किये जाएंगे और 25,719.85 करोड़ रुपए (सं.अ. 18,904.91 करोड़ रुपए) निजी क्षेत्र द्वारा व्यगय किये जाने की संभावना है। दिसम्बर, 2014 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निजी क्षेत्र दोनों ने संयुक्त रूप से 25,187.64 करोड़ रुपए व्यय किये। (ब.अ. 2014–15 का 43.58 प्रतिशत, जिसमें 4,051.63 करोड़ रुपए वार्षिकी भुगतान, बाजार/भारत सरकार/एडीबी (प्रत्यक्ष) उधार और ब्याज राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए शामिल है) जिसमें से 15,468.86 करोड़ रुपए सरकारी निधि से व्यय किये गये है और 9,718.78 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र द्वारा व्यय किये गये है।

3.11 वित्त वर्ष 2014–15 के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपकर के लिए 9565.81 करोड़ रुपए (सं.अ. 9565.81 करोड़ रुपए) और 5448.00 करोड़ रुपए (सं.अ. 6508.88 करोड़ रुपए पथकर संग्रहण, राजस्व भाग, ऋणात्मक अनुदान और प्रीमियम के एवज में भारत की समेकित निधि में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्लो बैक निधि के रूप में जमा कराए गए हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्पेशल परियोजनाओं पर व्यय किये जाने के लिए 500.00 करोड़ रुपए (सं.अ. 784.84 करोड़ रुपए) की तथा एसएआरडीपी–एनई और जम्मू और कश्मीर परियोजनाओं के लिए 639.82 करोड़ रुपए (733.38 करोड़ रुपए) पूर्वी परिधिय एक्सप्रेसवे के लिए 163.00 करोड़ रुपए (सं.अ. 497.54 करोड़ रुपए) और राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 515.67 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान 1058.25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग की है)

3.12 बजट प्राक्कलन 2014–15 के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 54ईसी बांड और कर मुक्त बांड के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए (सं.अ. 7617.11 करोड़ रुपए) जुटाने थे दिसम्बर, 2014 तक 54ईसी बांड के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1854.40 करोड़ रुपए जुटाये गये हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का उदयपुर – केसराजी खंड

एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को भी अधिकार है स्वाभिमान से जीने का

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–। और।।

3.13 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण –। और चरण–।। में निम्नलिखित मार्गों का 4/6 लेन के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकास करना शामिल हैः

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज जो चार महानगरों अर्थात् दिल्ली–मुम्बई–चेन्नई–कोलकाता को आपस में जोड़ता है।

(ख) उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सलेम से कोचीन से निकलते हुए सिलचर को पोरबन्दर से जोड़ते हैं।

(ग) देश के महापत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क संपर्क प्रदान करना।

(घ) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंड।

3.14 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–। को, 30,300 करोड़ रुपए (1999 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2000 में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,846 कि.मी., उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्गों के 981 कि.मी., पत्तन संपर्क के 356 कि.मी. और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 315 कि.मी. को मिलाकर कुल 7,522 कि.मी. शामिल हैं। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2014 तक 3 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया।

3.15 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।। को 34,339 करोड़ रुपए (2002 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2003 में अनुमोदित किया गया था। इसमें मुख्यतः, उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्ग (6,161 कि.मी.) और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 486 कि.मी. को मिलाकर कुल 6,647 कि.मी. लंबाई शामिल है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2014 तक 67 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III

3.16 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत 22,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च, 2005 में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 4,000 कि. मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया है। बाद में, सरकार ने उन्नयन के लिए कार्यान्वयन हेतु 17.10.2006 और 12.04.2007 को 12,109 किमी की कुल लंबाई के अतिरिक्त खंडों को अनुमोदित किया जिसके लिए 12,230 किमी की लंबाई अभिनिर्धारित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 12,109 कि.मी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंडों का अभिनिर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया गया हैः

(i) चरण। और।। में शामिल न किए गए उच्च घनत्व वाले यातायात कॉरीडोर।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण–। और।।) के साथ राज्य राजधानियों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना।

(iii) पर्यटन केन्द्रों और आर्थिक महत्त्व के स्थानों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना।

दिसम्बर, 2014 तक 12,109 कि.मी. के लक्ष्य के मुकाबले में 6352 कि.मी. लंबाई में 4 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा लिया गया है और 4414 कि.मी. लंबाई में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2014 तक 254 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IV

3.17 इस चरण में, सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर लगभग 20,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में उन्नयन की परिकल्पना की गई है। यह चरण जुलाई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। इसमें से लगभग 14,799 किमी की लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है और शेष कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। दिसम्बर, 2014 तक 1458 कि.मी. लंबाई को पहले ही 2/4 लेन का बनाया जा चुका है और 6928 कि.मी. लंबाई का कार्य कार्यान्वयनाधीन है। इस वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2014 तक 757 किमी में कार्य पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V

3.18 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत (डिजाइन, निर्माण, वित्तै और प्रचालन आधार पर) मौजूदा 4 लेन वाले 6,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 41,210 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से 6 लेन बनाए जाने के कार्य को अक्तूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। 6 लेन बनाए जाने वाले 6,500 कि.मी. में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,700 कि.मी. और अन्य खंडों के 800 कि.मी. शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की 6,500 कि.मी. लंबाई में से 31 मार्च, 2014 तक 1973 कि.मी. लंबाई में 6 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 2108 किमी. में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2014 तक लगभग 154 किमी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI

3.19 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI में डिजाइन–निर्माण–वित्तर–प्रचालन पद्धति का अनुसरण करके सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 1000 कि.मी. लंबे पूर्णतः पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गों के विकास की परिकल्पिना की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–VI को 16,680 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यो पर) की अनुमानित लागत पर नवंबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। इस चरण के लिए कुल 16,680 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से प्राप्त होंगे और साध्यता वित्त पोषण अंतर को पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, परामर्शी सेवाओं आदि की लागत को पूरा करने के लिए शेष 7,680 करोड़ रुपए सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे। इस संपूर्ण परियोजना को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII

3.20 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अंतर्गत बीओटी (पथकर) विधि से 16,680 करोड़ रुपए (2007 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से दिसंबर, 2007 में स्वतंत्र रिंग रोडों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटरों, फ्लाइओवरों, उत्थापित सड़कों, सुरंगों, सड़क उपरि पुलों, अंडरपासों, सर्विस रोडों आदि के निर्माण को अनुमोदित किया है। एनएचडीपी चरण–VII के अंतर्गत निम्नलिखित खंड अभिनिर्धारित किए गए हैं:

i. पीपीपीएसी द्वारा 04.08.2008 को 1485 करोड़ रू. की लागत पर तमिलनाडु राज्य में चौन्नई पत्तन से मदुरावोयल तक चार लेन उत्थापित सड़क के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। आरएफक्यू प्रस्ताव 17.10.2008 को प्राप्त हुए। परियोजना का कार्य 06.01.2009 को सौंपा गया था।

ii. बेंगुलूरू में रारा 7 के हब्बल फ्लाईओवर से नवीन हवाई पत्तोन तक (22 किमी) 680 करोड़ रू. की लागत पर उन्नयन का प्रस्ताव। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

एनएचडीपी चरण–VII के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए खंडों की अंतिम सूची **परिशिष्ट 4** में दी गई है।

एनएचडीपी परियोजनाओं को सौंपा जाना

3.21 01.04.2014 से 31.12.2014 तक सौंपी गई परियोजनाओं का ब्यौरा **परिशिष्ट 4क** में दिया गया है।

राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन

3.22 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा, अभी सौंपी जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई सहित लगभग 64,016 कि.मी. लंबे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विकास और अनुरक्षण कार्य, इस समय, संबंधित लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सड़क खंडों के संबंध में जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं, वर्ष 2014–15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुल 3745 करोड़ रु. के 160 प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं।

3.23 चालू वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 5207.56 करोड़ रु. और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 400 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। 5207.56 करोड़ रु. के अतिरिक्ति, स्थायी पुल शुल्कर निधि से 150.00 करोड़ रु. की धनराशि, राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित की गई है।

3.24 राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान क्रमशः 2459.18 करोड़ रु. और 140.75 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

3.25 वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण की अलग–अलग स्कीमों के अंतर्गत किया गया राज्यवार आबंटन **परिशिष्ट–5** में दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी–एनई)

3.26 पूर्वोत्तगर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों् की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर–दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में लगभग 4798 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों में दो/चार लेन बनाए जाने तथा राज्यीय सड़कों की लगभग 5343 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाए जाने/सुधार करने की परिकल्पना की गई है। इससे, पूर्वोतर क्षेत्र के राज्यों में 88 जिला मुख्यालयों को, कम से कम दो लेन की सड़कों के माध्यम से, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ा जा सकेगा।

इस कार्यक्रम को चरण 'क' और चरण 'ख' तथा अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज में विभाजित किया गया है।

चरण 'क'

इस चरण में 21,769 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से सड़कों की 4099 कि.मी. लंबाई का सुधार कार्य शामिल है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 2,041 कि.मी. लंबाई और राज्यी सड़कों की 2,058 कि.मी. लंबाई शामिल है। सड़कों की 4099 कि.मी. लंबाई में से 3213 कि.मी. लंबाई में 12,821 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के विकास कार्य, सीमा सड़क संगठन और राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए हैं। शेष 886 कि.मी. लंबाई में से 394 कि.मी. लंबाई में कार्य, बीओटी (वार्षिकी) आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, ईटानगर को 4 लेन सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 250 कि.मी. लंबाई में कार्य मंत्रालय/असम/अरुणाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा और रारा–31ए का सुधार कार्य तथा गंगटोक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग की 242 कि.मी. लंबाई में कार्य, सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा। उक्त 3213 कि.मी. लंबाई में से, 2703 कि.मी. लंबाई की

परियोजनाएं, 15,763 करोड़ रु. की लागत पर दिसम्बर, 2014 तक संस्वीकृत की जा चुकी हैं। इसके अलावा, सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित 886 किमी लम्बाई में से सरकार ने 1237 करोड़ रुपए की लागत पर कुल मिलाकर 132 किमी लम्बाई के लिए कार्यान्वयन अनुमोदन दे दिया है। ये कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। चरण 'क' के पूरा होने की संभावित तारीख मार्च, 2017 है।

चरण 'ख'

इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों की 1285 कि.मी. लंबाई को दो लेन का बनाया जाना और राज्यीय सड़कों की 2438 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाया जाना/सुधार कार्य शामिल है। चरण 'ख' को केवल डीपीआर तैयार किए जाने हेतु ही अनुमोदित किया गया है।

अरूणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज

अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज, जिसमें 2319 कि.मी. लंबे सड़क खंड शामिल हैं, को सरकार द्वारा 9 जनवरी, 2009 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर अनुमोदित किया गया। इसमें से 776 कि.मी. में कार्य को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और शेष 1543 कि.मी. के लिए कार्य को मद दर/ईपीसी आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। दिसम्बर, 2014 तक 11,397 करोड़ रुपए की लागत से 1,360 किमी. लंबाई के कार्य सौंप दिए गए हैं और 263 किमी लम्बाई का कार्य सौंपे जाने की प्रक्रिया में है। शेष 536 किमी (संशोधित लम्बाई) के लिए प्राकलनों की जांच की जा रही है/डीपीआर तैयार किया जा रहा है।

अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज के अंतर्गत पीडीसी, 2016 के साथ लगभग 3600 करोड़ रू. की लागत पर 812 किमी पर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

3.27 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास

सरकार ने 26.02.2009 को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में इनके समग्र विकास के लिए 7300 करोड़ रुपए की लागत से 1126 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों और 4351 किमी राज्यीय सड़कों (कुल 5477 कि.मी) को 2 लेन में विकसित किए जाने के लिए सड़क आवश्यकता प्लान (आरआरपी) को अनुमोदित किया था। देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास का दायित्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपा गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त कार्यक्रम संबंधित राज्यय लोक निर्माण विभागों के माध्यम से संस्वीकृत और कार्यान्वित कराए जाने के लिए मुख्य अभियंताओं के अधीन एलडब्ल्यूई प्रभाग गठित किया है। अब तक, 8415 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर 5469 कि.मी. लंबाई के लिए विस्तृत प्राक्कलनो की संस्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 6599 करोड़ रुपए की लागत पर 4908 कि.मी. लंबाई के निर्माण का कार्य सौंपा जा चुका है। 3299 किमी में विकास कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा हो चुका है और अब तक किया गया संचयी व्यय 4374 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के विकास को मार्च, 2015 तक पूरा करना है, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें अभी सौंपा जाना है।

आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए, 9400 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर 5624 कि.मी. लंबाई के लिए आरआरपी–II अनुमोदनार्थ विचाराधीन है।

विजयवाड़ा रांची मार्ग का विकास

1622 कि.मी. लंबे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित विजयवाड़ा रांची मार्ग में से किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य स्कीम में शामिल नहीं की गई ओडिशा में 600 कि.मी. (निवल लंबाई 594 कि.मी.) राज्यीय सड़कों के विकास को सरकार द्वारा 4 नवम्बर, 2010 को 1200 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया है।

अब तक, 1126 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत के कुल 594 कि.मी. लंबाई के सभी 9 पैकेजों के लिए विस्तृत प्राक्कलन संस्वीकृत किए जा चुके हैं और सौंप दिए गए हैं। दिसम्बर, 2014 तक 363 करोड़ रुपए के संचित व्यय पर 172 कि.मी. लंबाई का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर–संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआईआईपी):

3.28 राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर–संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआईआईपी) के चरण–। के अंतर्गत विश्व बैंक की ऋण सहायता से बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थीन और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के एकल/मध्यम लेन से 2 लेन/पेव्ड् शोल्ड र संरेखण सहित 2 लेन मे पुनर्वास और उन्नयन तथा खंडों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इस कार्यक्रम में 5193 करोड़ रु. (विश्व बैंक का हिस्सा–500 मिलियन यूएस डॉलर) की धनराशि से 1120 किमी की कुल लंबाई वाले 15 सिविल कार्य ठेकों वाले 11 खंडों की परिकल्पना की गई है। मंत्रिमंडल ने 18.04.2013 को परियोजना अनुमोदित की थी। ऋण बातचीत 26.09.2013 को हुई थी। विश्व बैंक बोर्ड ने परियोजना अनुमोदित कर दी और ऋण पर हस्ताक्षर जनवरी/फरवरी, 2014 में हो जाने की संभावना है। परियोजना मार्च, 2022 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

परियोजना घटक:

घटक क: सड़क सुधार और अनुरक्षण

- राष्ट्रीय राजमार्ग खंड़ की 1120 किमी लम्बाई का 2 लेन/पेव्ड शोलल्डोर सहित 2 लेन में चौडीकरण और उन्न्यन
- निर्माण के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए परिसंपत्तियों का निष्पादन आधारित अनुरक्षण

घटक ख: संस्थागत विकास घटक

- उद्यम संसाधन योजना प्रारम्भ करना
- मानक प्रचालन नियमों का विकास
- दर विश्लेषण के लिए 'लागत डाटा बेस' (राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के लिए) और 'डाटा पुस्तिनका' सहित विभिन्न मानक संदर्भ सामग्री को अद्यतन बनाना
- आईटी आधारित सड़क सूचना पद्धति
- व्यापक परिसंपत्ति प्रबंधन पद्धति– जिसमें 3 परियोजना राज्यों में सभी गैर–एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।

घटक गः सड़क सुरक्षा

- सड़क सुरक्षा मानकों और प्रक्रिया संहिताओं की समीक्षा और उनको अद्यतन करना
- परियोजना राज्यों में सड़क दुर्घटना डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वनयन
- केन्द्रीय स्तोर पर सड़क सुरक्षा क्षमता का सुदृढ़ीकरण

मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना लागत – 5193 करोड़ रू. (सिविल निर्माण कार्य 3686.14 करोड़ रू., भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनःस्थाापन– 451.98 करोड़ रू., पर्यावरण शमन– 50.84 करोड़ रू., जनउपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण– 83.47 करोड़ रू., निष्पादन आधारित अनुरक्षण–350.18 करोड़ रू., भौतिक आकस्मिकताएं– 103.21 करोड़ रू., लोक निर्माण विभाग को एजेंसी प्रभार–121.09 करोड़ रू., पर्यवेक्षण एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं–121.09 करोड़ रू., संस्थारगत विकास और सड़क सुरक्षा – 225 करोड़ रू.)।

ऋण विवरण

- घटक कः सड़क सुधार और अनुरक्षण घटक– 468.05 मि. अमरिकी डालर
- घटक खः संस्थगत विकास घटक– 16.7 मि. अमरिकी डालर
- घटक गः सड़क सुरक्षा– 14 मि. अमरिकी डालर
- फ्रंट एंड फीस– 1.25 मि. अमरिकी डालर
- 5 वर्ष की छूट अवधि सहित ऋण को 18 वर्शों में चुकाना

कार्यान्वयन प्रबंध

- ईएपी जोन को परियोजना के सभी पहलुओं के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेना होगा जिनमें शामिल हैं न्यासिक, प्रापण, ठेका अनुवीक्षण, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
- परियोजना कार्यान्वयन के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहित संबंधित राज्य सीई एनएच के अंतर्गत एसई की अध्यक्ष में परियोजना समन्वय यूनिट।
- ठेकों के कार्यान्वयन का दैनंदिन पर्यवेक्षण किए जाने के लिए प्रत्येरक उप–परियोजना सड़क के लिए ईई की अध्यनता में परियोजना कार्यान्वयन यूनिट।
- वर्ष 2014–15 के लिए आंबटन– 250 करोड़ रू.।
- दिसम्बर, 2014 तक संचयी व्यय– 262.65 करोड़ रू.।
- दिसम्बर, 2014 तक संवितरण के लिए पात्र सकल व्यय– 106.53 करोड़ रू.।
- विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति– 25.46 करोड़ रू.।

एड्स को जानें, एड्स को समझें, जुग-जुग जियें.

केन्द्रीय सड़क निधि

3.29 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के लिए किए गए 17,002.07 करोड़ रु. के आबंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन (करोड़ रु.)

राज्यीय सड़कों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	2642.63
अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	293.63
राष्ट्रीय राजमार्ग	14065.81
जोड़	17002.07

' इसमें सीआरफ के अंतर्गत शेष से 3088 करोड़ रू. का अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

3.30 केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों के आबंटन के लिए नियत की गई निधियां, विभिन्न राज्यों को, ईंधन की खपत के आधार पर 30% मान देते हुए और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 70% मान देते हुए आबंटित की जाती हैं।

3.31 वर्ष 2000–01 से 2013–14 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण **परिशिष्ट 6** में दिया गया है।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए अनुमोदन

3.32 वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 510 करोड़ रुपए की लागत वाले 59 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित कार्य शामिल नहीं हैं।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं

3.33 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन के पहले से विद्यमान थीं। उस समय, केन्द्रीय ऋण सहायता से केवल मामूली धनराशि वाले कार्यक्रम ही संस्वीकृत किए जाते थे। अब इस योजना को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित कर दिया गया है।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृति

3.34 वर्ष 2014–15 के दौरान, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए 299.63 करोड़ रु की धनराशि निर्धारित की गई है।

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी

व्यापक कार्यकलापः

3.35 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई), इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक रजिस्टरर्ड सोसायटी है। यह केन्द्र और राज्यई सरकारों–दोनों का एक सहयोगी निकाय है। देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रवेश स्तरर पर और सेवा काल के दौरान प्रषिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी।

3.36 यह संस्थान पिछले 30 वर्ष से कार्य कर रहा है और 01.10.2001 से इसने अपने स्वयं के परिसर ए–5, सांस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर–62, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से काम करना प्रारंभ किया।

3.37 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के कार्यों में मौटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:–

क) नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना।

ख) वरिष्ठ और मध्य स्तर के अभियताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

ग) वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं और प्रषासकों के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम चलाना।

घ) राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

ङ) स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास।

च) पीपीपी और ईपीसी आधार पर अल्पकालिक कोर्स/प्रबंधन विकास कार्यक्रम आदि आयोजन करना, देश में सड़कों और राजमार्गों की आयोजना/डिजायन/निर्माण और प्रबंधन में सामूहिक अनुसंधान आयोजित करना तथा सड़क सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विषेशज्ञ विकसित करना।

3.38 भारतीय राजमार्ग अभियता अकादमी ने अपने प्रारंभ से अब तक (31 दिसम्बर 2014 तक) 1100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सड़क विकास के कार्य में लगे 25611 राजमार्ग अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआई/एनएनआरडीए, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र से होते हैं।

वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमः

3.39 वर्ष 2013–14 के दौरान (31 दिसम्बर, 2014 तक), अकादमी ने 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 581 अभियंताओं ने और पेशेवरों ने भाग लिया।

सड़क और पुल कार्यों में यांत्रिकीकरण तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

3.40 सड़क और पुल निर्माण कार्यों में यांत्रिकरण किए जाने के परिणामस्वरूप गुणवत्ता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, उच्च उत्पादकता, निम्न. लागत, श्रम में कमी, न्यूनतम यातायात विक्षोभ आदि हुए हैं। इससें हस्तचालित विधि से कार्य किए जाने की तुलना में कार्यों के निष्पादिन में गति आई है, श्रम खपत में कमी हुई है, उत्पादन क्षमता मंश वृद्धि हुई है, कार्य सुरक्षा में सुधार हुआ है, बेहतर गुणवत्ता हासिल हुई है और निर्माण कार्य की लागत में कमी आई है। यांत्रिकरण के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों में भी बचत हुई है। सड़क और पुल निर्माण कार्यों में यांत्रिकरण के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) **भू-स्खलन प्रबंधन और भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों में शमन कार्य के लिए दिशा–निर्देषः** आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र के सृजन हेतु अपेक्षित तकनीकी जानकारी और उपस्पकर सूची अभिज्ञात की गई थी।

(ii) **वेट मिक्स मेकाडम (डब्ल्यू एम एम) संबंधी मानकों का उन्न्यनः** डब्ल्यू एम एम संयत्र, लेइंग उपस्कर, कम्पेक्शीन उपस्कर आदि के लिए अपेक्षाओं सहित आईआरसी मानकों के काफी अधिक भाग को स्वंय ही तैयार किया गया और उन्हें अंतिम दस्तोवेज में शामिल किया गया।

(iii) **ऑटोमैटिक ओवरलोड जांच और यातायात सर्वेक्षणः** वे–इन–मोषन–कम–ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर्स–कम–क्लोसीफायर्स सिस्टम अधिक भार लदान को रोकता है तथा यातायात संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। कर्नाटक राज्य में हासन और कोपल स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर 2 प्रणाली स्थापित एवं शुरू की गई हैं। परीक्षण और केलीब्रेषन का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान राज्य के बाड़मेर में एक पद्धति स्थापित किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

(iv) **उपकरण गुणता की निगरानीः** नीति के अनुसार, राजमार्ग उपकरण के मानकों और निष्पादन की निगरानी, पश्चिम बंगाल राज्य में सभी कार्यों के लिए तथा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अनेक कार्यों के लिए आकलन की एक प्रणाली के माध्यम से तकनीकी समिति द्वारा की गई थी जिसमें मंत्रालय और राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

(v) **पुलों का यांत्रिक अवस्था सर्वेक्षणः** पुलों का यांत्रिक अवस्था सर्वेक्षण करने के लिए एक टेमप्लेट हिमाचल प्रदेश और असम राज्य को उपलब्ध कराई गई थी जिसमें मोबाइल पुल निरीक्षण यूनिट की सहायता से उनके राज्यों में पुलों के निरीक्षण के लिए मार्ग सर्वेक्षण और मार्ग योजना के ब्यौरे के साथ पुल निरीक्षण समय सूची शामिल की गई थी।

(vi) मध्य प्रदेश राज्य में 29 पुलों की अवस्था का निरीक्षण किया गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का उदयपुर चितौरगढ़ खंड

राज्य मंत्री का शिलांग दौरा

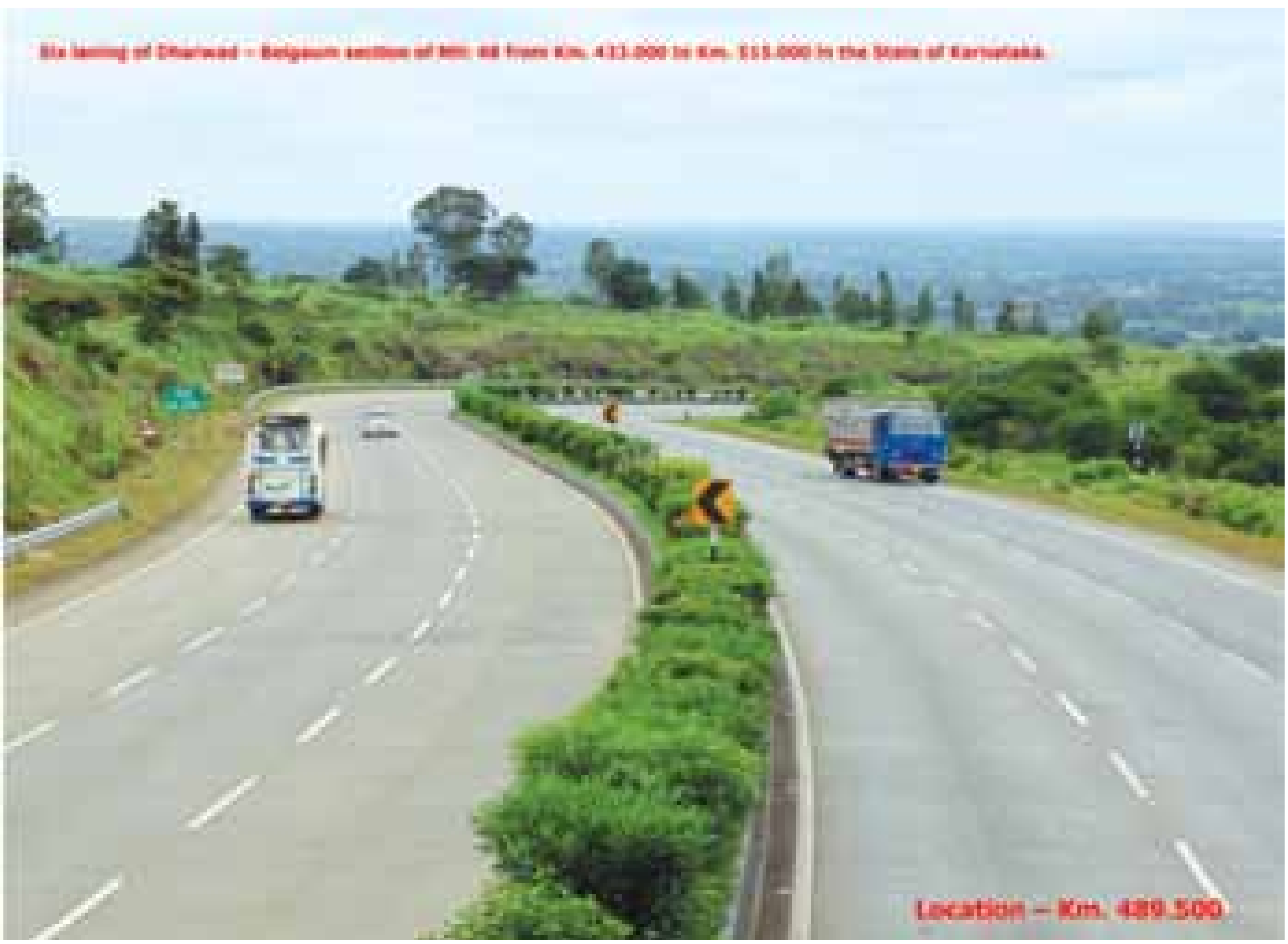

राष्ट्रीय राज्यमार्ग 48 का धारवाड़ – बेलगाँव खंड

4. सड़क परिवहन

4.1 घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी गहरी पैठ के कारण सड़क परिवहन, माल भाड़ा और यात्रियों दोनों की आवाजाही के लिए एक पसंदीदा और सर्वाधिक किफायती साधन माना जाता है। इस प्रकार, देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2011–12 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4.8% के हिस्से के साथ सड़क परिवहन, भारत के परिवहन क्षेत्र में एक अग्रणी घटक के रूप में उभरा है। फिर भी, 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़क नेटवर्क का 1.58 प्रतिशत है, इस पर कुल सड़क यातायात के 40 प्रतिशत यातायात की ढुलाई होती है। सड़क यातायात अपनाए जाने के कुछ प्रमुख कारक हैं – आसान उपलब्धता, अलग–अलग प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती लागत। रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन, पूरक सेवा का कार्य भी करता है। वर्ष 2002 से 2012 की अवधि के दौरान पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या में 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है। सड़क और रेल द्वारा कुल यातायात आवागमन में सड़क यातायात का हिस्सा, 1950–51 में माल यातायात के 13.8 प्रतिशत और यात्री यातायात में 15.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में माल यातायात में 64.5 प्रतिशत और यात्री यातायात में 85.9 प्रतिशत हुआ है।

4.2 यह मंत्रालय, पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने/इसकी मॉनीटरिंग करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

4.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमावलियों, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति निहित है, का प्रशासन किया जाता है:

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करके सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007
- सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011

4.4 मंत्रालय ने 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मोटर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राज्यीय और राष्ट्रीय रजिस्टेर तैयार करने की एक परियोजना को संस्वीकृत किया है। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्रय द्वारा इस परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/राज्यीय परिवहन प्राधिकरणों का कंप्यूटरीकरण किया जाना और तत्पश्चात् इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राष्ट्रीय और राज्यीय रजिस्टर से जोड़ा जाना है। स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1006 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं जिनमें से 1001 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूणटरीकरण हो चुका है। राज्य की अपेक्षानुसार मानक सॉफ्टवेयर को प्रयोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप बनाने का कार्य सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा किया गया है और यह साफ्टवेयर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम 1 प्रायोगिक स्थाल में चालू है। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100% कंप्यूरटरीकरण हो चुका है और 994 आरटीओ को उनसे जोड़ दिया गया है। वाहन रजिस्टर पर वाहनों की संख्या 5 नवम्बर, 2012 को सौ मिलियन को पार कर गई है। सभी ड्राइविंग लाइसेंसो/पंजीकरण प्रमाणपत्रों के सूक्ष्म सत्यापन को बढ़ावा देने के लिए राज्य परिवहन

विभाग अधिकारियों के साथ–साथ प्रवर्तन प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर के संबंध में आंकड़ों के लिए पहुँच उपलब्ध कराई गई है जिसे उनके पंजीकृत मोबाइल नं. से एसएमएस भेज कर डिजिटाइज्ड किया गया है। इसके बाद 25.2.2014 की स्थित के अनुसार डिजिटाइज्डट आरसी और डीएल के आंकडे क्रमशः 131110646 और 50864084 हैं। वाहन पंजीकरण और परमिट पद्धति 'वाहन' को नागरिक केन्द्रित सर्वोत्तम सेवा के लिए 'प्लेटिनम आइकन वेब रत्न' अवार्ड' दिया गया था।

4.5 वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क द्वारा परिवहन व्यापार की प्रक्रिया को सुचारु बनाए जाने की दृष्टि से 'सड़क द्वारा वाहन अधिनियम 2007' को विनियमित किया गया था। यह 01 मार्च, 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के सुगम अनुपालन के लिए, सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011 की अधिसूचना, 28.02.2011 की जीएसआर सं. 176(अ) के द्वारा जारी की गई। यह अधिनियम/नियमावली, मंत्रालय की वेबसाइट http://morth-nic-in पर भी उपलब्ध् है। सभी राज्यो और संघ राज्यों क्षेत्रों से इस मंत्रालय द्वारा सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011 के साथ साथ सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय, एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से सड़क द्वारा वहन अधिनियम के अंतर्गत आम केरियरों के आनलाइन पंजीकरण और भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भुगतान किए जाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इस संबंध में 24 राज्यो ने भारतीय स्टेट बैंक में पहले ही समर्पित खाते खोल लिए हैं।

4.6 मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012 राज्यो सभा द्वारा दिनांक 8.05.2012 को पारित किया गया था। राज्य सभा द्वारा यथा पारित इस विधेयक को विचार और पारित कराए जाने के लिए 15 मई, 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को 16 मई 2012 को लोक सभा में विचार–विमर्श हेतु उठाया गया था किंतु इस पर किए गए विचार विमर्श का कोई नतीजा नहीं निकला। तत्पश्चात, इस विधेयक को आगे के संसद सत्रों में विचार विमर्श किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था किंतु इस पर विचार नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अब यह विधेयक लोक सभा में लंबित है।

4.7 माल वाहनों की अंतर राज्य आवाजाही सुकर करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 8 मई, 2010 से माल ढुलाई के लिए नई राष्ट्रीय परमिट पद्धति शुरू की गई है। नवीन प्रबंधों के अनुसार, देश भर में प्रचालन के लिए परमिट धारक को प्राधिकृत करने के लिए गृह राज्य अधिकारिता फीस के रूप में 1000/– रुपए और एक समेकित फीस के रूप में प्रति ट्रक 16,500 रुपए के वार्षिक भुगतान पर राष्ट्रीय परमिट गृह राज्य द्वारा जारी किया जा सकता है। दिनांक 15.09.2010 से नेशनल इनफोर्मेटिक सेंटर (एन.आई.सी) द्वारा विकसित वेब पोर्टल के माध्यम से नई पद्धति को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहीत समेकित फीस, एक सहमत फार्मूला आधारित यथानुपात आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संवितरित की जाती है।

4.8 वर्ष 2014–15 के दौरान, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज आफ इंडिया, हैदराबाद, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान देहरादून, सड़क यातायात शिक्षा संस्थापन, फरीदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पेट्रोलियम संरक्षण और रिसर्च एसोसिएशन दिल्ली नामक प्रमुख ऑटोमोबाइल संस्थानों/रिसर्च एसोसिएशन और शैक्षिक संस्थाचनों के माध्यम से राज्य परिवहन/यातायात विभागों और नगर निगम के अधिकारियों के लिए इस मंत्रालय द्वारा 50 कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इसमें भाग लेने वालों के सड़क परिवहन क्षेत्र में शासन और उभरती चुनौतियों का सामना करने के सभी पहलुओं की जानकारी दी जा सके।

एड्स को जानें, एड्स को समझें, जुग-जुग जियें.

4.9 केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 59 केंद्र सरकार के वाहनों की आयु निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। परिवहन वाहनों और पर्यटन वाहनों की जीवन अवधि सीएमवीआर द्वारा निधारित की गई है। व्यैक्तिगत वाहनों की जीवन अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इस संबंध में नीतिगत निर्णय देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाना है। सामान्यता, वाहन को सुरक्षा और उत्सर्जन मानदंड पूरे किए जाने तक सड़क पर चलने के लिए अनुमत किया जाना चाहिए। सुरक्षा और उत्सर्जन अपेक्षा तभी पूरी की जा सकती है जब वाहन की फिटनैस जांच नियमित अंतराल पर कराई जाए। अतः मंत्रालय ने वाहनों के लिए एक उपयुक्त/डिजाईन की गई निरीक्षण और अनुरक्षण पद्धति तैयार की है। तद्नुसार, देश में एक आटोमेटिड इंस्पेकशन एंड सर्टिफिकेशन (आईएससी) सेंटर का डिजाइन तैयार किया गया।

सड़क सुरक्षा

4.10 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में सड़क सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरूकता पर अधिक बल दिए जाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना किए जाने, ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाए जाने, सड़क सुरक्षा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन आदि की परिकल्पना की गई है। इस नीति में देश में सड़क सुरक्षा कार्यकलापों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड नामक एक समर्पित एजेंसी की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। मंत्रालय में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके इस सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा मीट

4.11 सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को अनुमोदन प्रदान किया है। इस नीति में कुशल परिवहन लागू किए जाने, सुरक्षात्मक कानूनों को

प्रवर्तन में लाए जाने आदि सहित जागरूकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्थापित किए जाने, सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्सानहित किए जाने जैसे विभिन्न नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है। इस नीति में देश में सड़क सुरक्षा कार्यकलापों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड नामक एक समर्पित एजेंसी की स्थापना की भी परिकल्पाना की गई है। मंत्रालय द्वारा संचालित की गई सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण स्कीमों में सड़क सुरक्षा के बारे में प्रचार कार्यक्रम, ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थांन स्थापित किए जाने की स्कीम, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (एनएचएआरएसएस) निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थारपना और सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण परीक्षण उपस्कर प्रदान किया जाना और कार्यक्रम कार्यान्वायन आदि शामिल हैं।

4.12 निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थायपना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक–एक अर्थात कुल 10 माडल आटोमेडिट निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र पायलट आधार पर संस्वीकृत किए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत भूमि संबंधित राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार के एक केंद्र को स्थापित करने की कुल लागत लगभग 1440 लाख रू. होती है। 6 केंद्रों के सिविल निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आशा है कि 10 केंद्रों में से 6 केंद्रों में वर्ष 2014–15 के दौरान प्रचालन शुरू हो जाएगा।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने देश में ऐसे 10 और केंद्र संस्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्राथमिकता उन राज्यों को दी जाएगी जिनमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई भी केंद्र संस्वीकृत नहीं किया जा सका।

4.13 ड्राइविंग और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर)

ड्राइविंग और अनुसंधान संस्था न (आईडीटीआर) स्थापित करने की स्कीम योजना आयोग की सहमति से कार्यान्वित की जा रही है। आईडीटीआर स्थापित करने की स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित है:

(क) सभी राज्यों में माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना।

(ख) प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(ग) भारी मोटर वाहनों की ड्राइविंग में इंडक्शन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(घ) हल्के मोटर वाहनों की ड्राइविंग में इंडक्शन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(ङ) सेवारत ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या और ओरिएंटेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(च) औचक आवधिक मूल्यांकन सहित खतरनाक सामान की ढुलाई करने वाले ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(छ) ड्राइवरों में अपेक्षित व्ययवहार और मनोवृत्ति गत परिवर्तन संबंधी अनुसंधान करना।

एड्स को जानें, एड्स को समझें, जुग-जुग जियें.

(ज) विद्यालयी छात्रों और अन्य संवेदनशील ग्रुपों के लिए सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित करना।

(झ) आबंटित क्षेत्रों में आवधिक लेखा परीक्षा करना और आरडीटीसी को मान्यता प्रदान करना।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13 माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संस्वीकृत किए गए थे और ये सभी तैयार हो चुके हैं और कार्यरत हैं। 11वीं योजना के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकाघाट (हिमाचल प्रदेश), छिंदवाडा (मध्य प्रदेश), राजसमंद (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्र), भिवानी (हरियाणा), औरंगाबाद (बिहार), अगरतला (त्रिपुरा) और उत्तर प्रदेश (रायबरेली) में आईडीटीआर स्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की है। तीन आईडीटीआर अर्थात छिदंवाडा, पुणे और राजसमंद के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और ये कार्यरत्त हैं। शेष आईडीटीआर का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है और अगले वर्ष के दौरान इनके पूरा हो जाने की संभावना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने देश में 10 और आईडीटीआर तथा 25 क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उन राज्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिनमें 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई भी आईडीटीआर संस्वीकृत नहीं किया जा सका।

4.14 राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम

इस स्कीम में दुर्घटना के पश्चात सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समीप के चिकित्सा सहायता केंद्र तक ले जाने और दुर्घटना स्थल को निर्बाध करने के लिए राहत और बचाव उपाय करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों को क्रेन और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 10 टन की 347 क्रेनें और 106 लघु/मध्यम आकार की क्रेनें उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों को 509 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा चुकी है।

इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 140 अभिनिर्धारित राज्यसरकारी अस्पताओं में ट्रोमा केयर सुविधाओं का उन्न्यन करके राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वार्णिम चतुर्भुज, उत्तंर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 'ट्रामा केंद्र के एक एकीकृत नेटवर्क की स्थापना' नामक स्कीम के अंतर्गत उन्नगत अभिज्ञात 140 अस्पतालों को 140 उन्नत जीवन सहायता एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई है।

4.15 सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान

आम जनता में सड़क सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार टी.वी. स्पाट/रेडियो जिंगल प्रसारित करके, सिनेमा स्लाइड प्रदर्शित करके, होर्डिंग लगाकर, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सेमिनार आयोजित करके, प्रदर्शनी लगाकर, सड़क सुरक्षा के संबंध में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करके, हेंडबिल/स्टीकर, पोस्टर आदि मुद्रित कराके, जिनमें पैदल पथ यात्री, साइकल सवार, विद्यालयी छात्र, भारी वाहन, ड्राइवर आदि जैसे विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा संदेश होते हैं, सड़क रेलिंग पर सड़क सुरक्षा थीम पेंट कराकर, सड़क सुरक्षा खेल, सड़क सुरक्षा संदेश वाले कलेंडर छपवाकर सड़क सुरक्षा का कार्य करता है। प्रचार अभियान डीएवीपी, दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों के माध्यम से चलाया जाता है। सड़क सुरक्षा को एक सामाजिक आंदोलन बनाना मंत्रालय का एक प्रयास है।

4.16 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप भी करता है:

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं विशेष रूप से साइक्लिस्ट के लिए रिफ्लेक्टिव टेप के महत्व को उजागर करने के लिए नई दिल्ली में 20 अप्रैल, 2014 को साइक्लोथन का आयोजन किया जिसमें विद्यालयी छात्र, महाविद्यालयी छात्र, दिल्ली पुलिस, आईआरएफ और अधिकतर नागरिकों ने भाग लिया।

सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक

(ख) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान लगभग 30 हजार ड्राइवरों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन ड्राइवर की पुनश्चनर्या प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित आईडीटीआर/डीटीआई को संस्वीकृति प्रदान की गई है:

- कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लारी ओनर एसोसिएशन, विजयवाडा द्वारा प्रबंध किया जा रहा आईडीटीआर
- मारूती सुजुकी द्वारा प्रबंध किया जा रहा आईडीटीआर। यह आईडीटीआर गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि जैसे विभिन्न राज्यों में है।
- मै. स्टेट इंस्टिट्यूट आफ आटोमोटिव एंड ड्राइविंग स्किंल (पंजाब सरकार द्वारा स्थापित)
- अशोक लीलेंड द्वारा प्रबंध किया जा रहा डीटीआई। यह आईडीटीआर ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीवसगढ आदि जैसे विभिन्न राज्यों में हैं।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की 15वीं बैठक 28.10.2014 को एनएएससी कम्पलैक्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(घ) उपभोक्ता कार्य विभाग के साथ परामर्श करके साइकल पर चिपकाने के लिए बीआईएस मानकों के अनुरूप रिफ्लेक्टरर/रिफ्लेक्टिईव टेप के लिए न्यूनतम मानकों को अंतिम रूप देना।

(ङ) सड़क सुरक्षा को सीएसआर कार्य के रूप में संगत कम्पंनी अफेयर्स के अधिनियम में शामिल करना।

(च) राज्यों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक कार्ययोजना बनाने के लिए एक टेम्पलेट उपलब्ध कराया गया है। राज्यों की कार्य योजना के आधार पर सड़क सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जाएगी।

(छ) मंत्रालय ने 13 राज्यों में 25 ब्लैक स्पोट अभीनिर्धारित किए हैं जो भारत में सड़क दुर्घटनाओं का 90% है। अभिज्ञात किए गए अधिकतर ब्लैक स्पोटों के लिए अल्पावधिक उपचारात्मक उपाय पूरे कर लिए गए हैं। अल्पावधिक उपचारात्मक उपायों के प्रभाव का अनुवीक्षण क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन के साथ किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यशाला

***

Conference on
Status of Road Safety
and Safe Mobility
Initiatives in India
15th - 16th JANUARY 2015
India International Centre
New Delhi, India

अध्याय-V

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5.1 यह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान देता रहा है और कुल आबंटन का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 12581 कि.मी. है और इनका विकास और अनुरक्षण कार्य तीन एजेंसियों–राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 12581 कि.मी. की कुल लंबाई में से लगभग 11628 कि.मी. सीमा सडक संगठन के पास और संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के पास है। शेष 953 कि.मी. लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है।

5.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा और वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनके अनुरक्षण एवं विकास कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैः

(i) एनएचडीपी चरण–III के अंतर्गत लंबाई	110 किमी.
(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीसय सड़कों की लंबाई	
चरण 'क'	4099 किमी.
चरण 'ख'	3723 किमी.
सड़कों और राजमार्गों का अरुणाचल प्रदेश पैकेज	2319 किमी.

5.3 मेघालय राज्य (जोवाई–मेघालय/असम सीमा (रताचेरा) खंड) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यां 44 की 110 किमी लंबाई, एनएचडीपी चरण–III के अंतर्गत है।

5.4 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत 565.47 करोड़ रुपए की लागत की 35 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

5.5 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1336.98 करोड़ रुपए की धनराशि के 307 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.6 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत संस्वीकृत 1239.77 करोड़ रु. के 68 कार्य प्रगति पर हैं।

5.7 पूर्वोत्तेर क्षेत्र में कार्यों के राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैंः

अरूणाचल प्रदेश

5.8 सरकार ने 11919 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2319 किमी. सड़कों के निर्माण/सुधार कार्य शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज अनुमोदित किया है। 2319 किमी लंबाई में से 2180 किमी लंबाई अरूणाचल प्रदेश राज्य में है।

5.9 सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण–क के अंतर्गत 94.82 करोड़ रुपए की लागत पर रारा–153 के किमी 24/0 (जयरामपुर) से किमी. 56.485 (पांग्सु पास) तक जिसमें लगभग 32 किमी. लंबाई शामिल है, को 2 लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

5.10 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अभी तक 377.74 करोड़ रुपए के 63 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.11 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत 120.01 करोड़ रुपए धनराशि के 6 कार्य प्रगति पर हैं।

असम

5.12 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार 496.79 करोड़ रुपए की धनराशि के 13 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.13 असम में लुमडिंग–डबोका–नगांव–गुवाहाटी से होकर सिलचर से श्रीरामपुर को जोड़ने वाली 678 कि.मी. की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।। के अंतर्गत पूर्व पश्चिम महामार्ग के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। असम में उदरबंद और हरंगजो के बीच की 31 कि.मी. लंबाई को छोड़कर पूर्व–पश्चिम महामार्ग की संपूर्ण लंबाई का कार्य सौंप दिया गया और इसमें चार लेन बनाने का कार्य प्रगति के भिन्न–भिन्नं चरणों में है। गुवाहाटी बाइपास के 18 किमी में कार्य पूरा कर लिया गया है।

5.14 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अभी तक, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 429.64 करोड़ रु. के 99 कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2014–15 के दौरान लगभग 90.00 करोड़ रू. की राशि के अन्यव 8 प्राकलन संस्वींकृत किए जा रहे हैं।

5.15 वर्ष 2013–14 के दौरान अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 2 कार्य सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किए गए हैं। इन निर्माण कार्यों के लिए लगभग 60.00 करोड़ रू. की राशि के प्राकलन वर्ष 2014–15 के दौरान संस्वीकृत किए जाने के लिए संसाधित किए जा रहे हैं।

5.16 सरकार ने "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सडक विकास कार्यक्रम" के चरण 'क' के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाले 4 लेन के पुल का बीओटी (वार्शिकी) आधार पर निर्माण सहित असम में नुमालीगढ़ से डिब्रुगढ़ (201 कि.मी) तक राष्ट्रीय राजमार्ग–37 को 4 लेन का बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों के 1179 कि.मी. एकल लेन खंडों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नुमालीगढ़ से डिमोह तक का कार्य 3 पैकेजों में सौंपा गया है और शेष एक कार्य सौंपे जाने की प्रक्रिया में है। जहां तक नुमालीगढ़–गोहपुर पुल का संबंध में, डीपीआर तैया किए जाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है।

5.17 सरकार ने 11919 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2319 किमी. सड़कों को शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया है। 2319 किमी लंबाई में से 139 किमी. लंबाई असम में है।

मणिपुर

5.18 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, एक पुल पर 23.02 करोड़ रुपए की लागत के 2 पुल कार्य सहित 194.27 करोड़ रु. की लागत के 2 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.19 सीआरएफ के अंतर्गत 95.41 करोड़ रुपए की राशि के 30 निर्माण कार्य प्रगति पर है/पूरे हो चुके है।

5.20 ईआई और आईएससी के अंतर्गत 71.80 करोड़ रुपए की राशि के 4 निर्मार्ण कार्य अभी तक प्रारंभ किये जा चुके है।

5.21 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान 31.12.2014 तक 27.33 करोड़ रुपए की राशि के 3 निर्माण कार्य संस्वीकृत किये गये है।

मेघालय

5.22 31 दिसम्बर 2014 तक की स्थिति के अनुसार, 133.33 करोड़ रुपए के 21 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.23 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, अब तक 117.83 करोड़ रुपए के 31 निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 24.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2 कार्य प्रगति पर है।

मिजोरम

5.24 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, 204.84 करोड़ रुपए के 16 सुधार कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा 72.14 करोड़ रूपए की लागत के लगभग 100 किमी. लंबाई में सुधार के लिए 4 कार्य संस्वींकृत किए गए हैं।

5.25 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 98.23 करोड़ रुपए की धनराशि के 26 सुधार कार्य प्रगति पर है/पूरे हो चुके हैं।

5.26 ईआई और आईएससी के अंतर्गत 76 करोड़ रुपए मूल्य के 8 निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नगालैंड

5.27 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, 189.52 करोड़ रुपए के 120 किमी लंबाई में 16 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.28 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 119.30 करोड़ रु. मूल्यन के 18 सुधार कार्य शुरू किए गए हैं।

सिक्किम

5.29 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यी सड़कों के सुधार के लिए 48.41 करोड़ रु. मूल्य के 30 निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 191.51 करोड़ रु. की लागत के 12 कार्य प्रगति पर हैं।

त्रिपुरा

5.30 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 50.42 करोड़ रुपए के 11 कार्य शुरू किए गए हैं। आर्थिक महत्वा की स्कीसम के अंतर्गत 21.22 करोड़ रुपए की लागत का एक कार्य प्रगति पर है।

केरल राज्य में रारा 47 के वालेरपद्म खंड में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल

माननीय मंत्री (आर.टी.एच. एंड एस) द्वारा वृक्षारोपण

(क) सड़क विकास

6.1 सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भूमिका

परियोजनाओं में प्रभावी गुणता नियंत्रण के लिए नवीन परीक्षण तकनीक और उपस्करों का प्रयोग शुरू करने, परियोजनाओं में अधुनातन निर्माण सामग्री अपना कर सड़क और पुल निर्माण कार्य के लिए विनिर्देशों को अद्‌यतन करने तथा राजमार्ग निर्माण और अनुरक्षण के लिए नई तकनीक की सिफारिश करने की है। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जो एक बार पूरी हो जाने पर, प्रयोक्ता एजेंसियों/विभागों द्वारा अपने–अपने कार्य–क्षेत्र में अपनाई जा सकती हैं। इनमें सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन इंजीनियरी आदि क्षेत्र आते हैं। अनुसंधान कार्य, विभिन्न अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं में किया जाता है। अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से ''भारतीय राजमार्ग में शोध'' डाइजेस्ट के प्रकाशन और इन निष्कर्षों को विभिन्नि दिशा निर्देशों, पद्धति संहिता में शामिल करके, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन और इस मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों और अनुदेशों के माध्यम से किया जाता है। मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा, संवेदनशील सड़क प्रयोक्ताओं और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा में सुधार किए जा रहे हैं। इस प्रकार, अनुसंधान कार्य देश में सड़क नेटवर्क के विकास में सहायता कर रहा है। वर्ष 2014–15 में अनुसंधान और विकास के लिए 500.00 लाख रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

6.2 पूरी हो चुकी अनुसंधान और विकास योजनाएं

- भूकंपीय तरंगों के उपयोग से पेवमेंटों की जांच करना।
- प्रयोगशाला परीक्षण के समर्थन के माध्यम से उच्चस घनत्व यातायात कोरिडोरों पर कठोर पेवमेंटों के निष्पोदन का आकलन।
- शोधित बाइंडर के साथ बिटुमिनस मिश्रण के स्थलीय निष्पासदन की जांच करना।
- ऐसी अत्यांधुनिक रिपोर्टें तैयार करना जिनके परिणाम–स्वरूप पैदलयात्रियों/शारीरिक रूप से निशक्तं व्यक्तियों/यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं बारे में और गैर–मोटरीकृत यातायात पर विशेष बल देते हुए सड़क सुरक्षा के बारे में दिशा–निर्देश तैयार किए जा सकें।

6.3 विचाराधीन अनुसंधान और विकास स्कीमें :

सड़कें:

- पेवमेंट निर्माण के लिए विस्तारणीय मृदा के स्थिरीकरण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीय के संबंध में जांच।
- वार्म मिक्स एसफाल्ट मिक्सिस के रिसने और नमी की क्षति का आकलन।
- रिसना और क्षरण रोधी बिटुमिन मिक्स का विकास।
- सीमेंट ग्राउटिड बिटुमिन मिक्सि की जांच।
- सीमेंट बेस के साथ बिटुमिनस पेवमेंटों का आकलन।
- सड़क डिजाइन में सुरक्षा के लिए मेनुअल' का संशोधन।

- पूर्वोत्तर में सड़क निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध आंशिक सामग्रियों का उपयोग।
- उत्तराखंड में रारा–58 पर प्राचीन और सामरिक भूमि स्खलन के दीर्घकालिक स्थारिकरण के लिए बड़े पैमाने पर जांच, निगरानी और सुधार।
- लचीले पेवमेंटों की मोटाई कम करने के लिए संशोधित डिजाइन नमूनों के निष्पादन के संबंध में अध्ययन।
- जिओग्रिड और जिओसेल रिइंफोर्स्ड पेवमेंटों का निष्पादन अध्ययन।
- भारतीय सड़क स्थिति के लिए क्षमता अनुमान माडल और व्यासमापन माडल का विकास।
- भारत में बहुलेन वाले राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों के लिए सड़क प्रयोक्त लागत माडल निर्धारित किया जाना।
- भारत में राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के लिए पूर्व अनुमानित माडल (प्रीडिक्टिसव माडल) का विकास।

पुल

- एक्स पेंशन जोइंट के लिए सीआरआरआई, नई दिल्ली में स्वतंत्र परीक्षण सुविधाओं की पूरी रेंज सृजित करना।
- कंक्रीट पुलों की डिस्ट्रेस के लिए एक विशेषज्ञ पद्धति विकसित करना (फजी आधारित)।
- कम्पोजिट पुलों (स्टील गिरडर वाले) के लिए मानक ड्राइंग विकसित करना।
- सड़क पुल खंड VI कम्पोजिट कंस्ट्रक्शडन लिमिट स्ट्ेट डिजाइन के लिए मानक विशिष्टियों और प्रक्रिया संहिता संबंधी व्याख्यात्मनक कमेंट्री का विकास।
- सड़क और पुल निर्माण कार्य–2001 चौथा संशोधन के लिए मंत्रालय की विशिष्टियों में संशोधन।
- कंक्रीट सड़क पुल (लिमिट स्टेट मेथड) (पहला संशोधन) के लिए मानक विशिष्टियों और प्रक्रिया संहिता संबंधी व्याख्यिात्मक कमेंट्री।
- 'पुलों के लिए राफ्ट फाउंडेशन के डिजाइन के लिए हाईड्रोलिक माडल इन्वेस्टगेशन' नामक अनुसंधान और विकास प्रस्ताव का विकास।
- पाइल्स के लिए स्टेट और डाइनेमिक लोड टेस्ट।
- एंटीकोरोसिन कोटिंग/विशेष उपचार कंक्रीट से संरक्षित स्टील रि–इन्फोर्समेंट की कोरोसिन सस्सेप्टीबीलिटी का अध्ययन।
- पुल एबटमेंट के लिए पहुंच मार्गों में जिओग्रिड रि–इन्फोर्सड ग्रेनुलर।

6.4 2014–2015 के दौरान (जनवरी, 2015 तक) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा पूर्ण और मुद्रित किए गए दस्तावेज

- आईआरसी: 6–2014– 'सड़क पुलों के लिए मानक विशिष्टियां और प्रक्रिया संहिता, भाग।। भार और दबाव' संशोधित संस्करण।
- आईआरसी: 78–2014–'सड़क पुलों के लिए मानक विशिष्टियां और प्रक्रिया संहिता, भाग VII – बुनियाद और उपसंरचना (संशोधित संस्किरण)।
- आईआरसी: 115–2014–'फालिंग वैट डिफ्लेक्टोक मीटर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए संरचनात्मक मूल्यांकन और फ्लेक्सीकबल रोड़ पेवमेंटस के सुदृढ़ीकरण के लिए दिशा–निर्देश'।

- आईआरसीः एसपीः 55–2014–'निर्माण जोन में यातायात प्रबंधन संबंधी दिशा–निर्देश' (प्रथम संस्करण)
- आईआरसीः एसपीः 62–2014–'लो वोल्यूम रोड़ के लिए सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के डिजाईन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश' (प्रथम संस्करण)
- आईआरसीः एसपीः 100–2014–'बिटूमिन एमलशन का इस्तेमाल करते हुए सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण में कोल्डर मिक्स तकनीक का इस्तेमाल'
- एचआरबीः एसआर सं. 23–2014– अत्याधुनिक रिपोटः रोकफाल मिटिगेशन सिस्टम का डिजाइन और निर्माण।
- आईआरसीः एसपीः 102–2014–'री–इनफोर्स्ड् सोइलवाल्सा के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश'
- आईआरसीः 83–2014– 'सड़क पुलों के लिए मानक विशिष्टियां और प्रक्रिया संहिता, भाग IX – स्फेसरिकल और सिलिडरिकल बियरिंग'
- आईआरसीः एसपीः 84–2014– 'सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्याम से राजमार्गों को चार लेन बनाने के लिए विशिष्टियों और मानकों की नियमावली' (प्रथम संस्कवरण)
- आईआरसीः एसपीः 101–2014–'वार्म मिक्सि आस्फेल्टि के लिए अंतरिम दिशा निर्देश'
- आईआरसीः एसपीः 42–2014– 'रोड ड्रेनेज के लिए दिशा निर्देश' (प्रथम संस्करण)
- आईआरसीः एसपीः 49–2014 –'रिजिड पेवमेंट के लिए सबबेस के रूप में ड्राई लीन के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश' (प्रथम संस्किरण)
- आईआरसीः 116–2014–'कट–बेक बिटूमिन का इस्तेमाल करते हुए रेडीमेड बिटूमिनस पोथोल पेचिंग मिक्सए के लिए विशिष्टियां'
- आईआरसीः एसपीः 103–2014– 'ग्रामीण सड़कों के किनारे पौधारोपण के लिए दिशा निर्देश'
- ग्रामीण सड़कों के लिए दरों के विष्लेशण के लिए मानक डाटा पुस्तिमका, 2014 (प्रथम संशोधन)

6.5 वर्ष 2014 (जनवरी-दिसम्बर) और जनवरी, 2015 के दौरान आईआरसी परिषद् द्वारा अनुमोदित दस्तावेज।

- आईआरसीः 83–2014 (भाग–IV) – 'सड़क पुलों के लिए मानक विशिष्टियां और प्रक्रिया संहिता, भाग IX – स्फे–रिकल और सिलिडरिकल बियरिंग'
- आईआरसीः एसपीः 116–2014–'कट–बेक बिटूमिन का इस्तेमाल करते हुए रेडीमेड बिटूमिनस पोथोल पेचिंग मिक्स के लिए विशिष्टियां'
- आईआरसीः एसपीः 42–2014– 'रोड ड्रेनेज के लिए दिशा निर्देश' (प्रथम संस्करण)
- आईआरसीः एसपीः 49–2014– 'रिजिड पेवमेंट के लिए सबबेस के रूप में ड्राईलीन के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश' (प्रथम संस्करण)
- आईआरसीः एसपीः 84–2014– 'सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्य म से राजमार्गों को चार लेन बनाने के लिए विशिष्टिएयों और मानकों की नियमावली' (प्रथम संस्करण)
- आईआरसीः एसपीः 101–2014– 'वार्म मिक्सि आस्फेकल्ट के लिए अंतरिम दिशा निर्देश'
- आईआरसीः एसपीः 102–2014– 'री–इनफोर्स्ड सोइल वाल्स के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश'

- भारत में राजमार्ग क्षेत्र के लिए सामग्री जांच सुविधाएं'
- आईआरसीः 11–2015–'साइकिल ट्रेक के डिजाइन और ले–आउट के लिए संस्तुत प्रक्रिया' (प्रथम संशोधन)
- आईआरसीः 22–2015–'सड़क पुलों के लिए मानक विशिष्टियां और प्रक्रिया संहिता, भाग V। कम्पोजिट निर्माण (लिमिट स्टेट्स डिजाइन)' (तृतीय संशोधन)
- आईआरसीः 35–2015–'सड़क चिह्नाकंन के लिए प्रक्रिया संहिता' (द्वितीय संशोधन)
- आईआरसीः 83–2015–'सड़क पुलों के लिए मानक विशिष्टियां और प्रक्रिया संहिता, भाग IX – स्फेरिकल और सिलिडरिकल बियरिंग'
- आईआरसीः 85–2015–'कंक्रीट की त्वरित शक्ति परीक्षण और मूल्यांकन के लिए संस्तुत प्रक्रिया' (प्रथम संस्करण)
- आईआरसीः 108–2015–'राजमार्गों पर यातायात पूर्वानुमान के लिए दिशा निर्देश (प्रथम संशोधन)
- आईआरसीः 109–2015–' वैट मिक्स मकादम के लिए दिशा निर्देश (प्रथम संशोधन)
- आईआरसीः 117–2015–'फालिंगवैट डिफ्लक्टोस मीटर द्वारा रिजिड पेवमेंट के संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश'।
- आईआरसीः 118–2015–'सतत् री–इन्फोर्सड कंक्रीट पेवमेंट के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश'
- आईआरसीः 119–2015–'यातायात सुरक्षा अवरोधकों के लिए दिशा निर्देश'
- आईआरसीः एसपीः 151–2015–'पुलों के भार की जांच के लिए दिशा निर्देश' (प्रथम संस्कमरण)
- आईआरसीः एसपीः 104–2015–'स्टीपल पुलों के फेबरीकेशन और इरेक्शन के लिए दिशा निर्देश'
- आईआरसीः एसपीः 105–2015–'आईआरसीः 112 कंक्रीट सड़क पुलों के लिए प्रक्रिया संहिता के संबंध में व्याख्यात्मुक पुस्तिका'
- आईआरसीः एसपीः 106–2015–'भारतीय सड़कों के लिए भू–स्खकलन समन के संबंध में इंजीनियरी दिशा निर्देश'।

6.6 एस एंड आर पुल

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है जिसमें जीएडी प्रक्रिया और निर्माण के दौरान अनुमोदन के संबंध में मौजूद सभी अड़चनों को दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन आरओबी के जीएडी अनुमोदन को सरल करेगा और साथ ही आरओबी की निष्पादन के दौरान निर्णयों को सरल बनाने में भी सहायता करेगा।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित आरओबी/आरयूबी के साथ सभी लेवल क्रोसिंग को एक समयबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए आरओबी/आरयूबी के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। उनकी रिपोर्ट प्राप्ते होने के पश्चात निधि की उपलब्धता के अध्यधीन समयबद्ध सीमा में निर्माण किए जाने के लिए निविदा जारी की जाएगी।

- मंत्रालय ने एचटी–3 तक की श्रेणी के हाईड्रोलिक ट्रेलरों की आवाजाही की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए 06.01.2015 को एक वेब पोर्टल विकसित और प्रारम्भ किया है। यह वेब पोर्टल राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाईड्रोलिक ट्रेलरों की आवाजाही के लिए वास्तविक समय आधारित अनुमति सुकर बनाएगा। यह भारी उपकरणों की सुगम और समयबद्ध आवाजाही सुकर बनाएगा जिससे देश का आर्थिक विकास होगा।
- राज्यवार प्राधिकारी इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं जो मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सिविल निर्माण कार्यों का ईपीसी दस्तावेजों के अनुरूप पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि ईपीसी दस्तावेजों के अनुरूप प्राधिकरण को ईपीसी के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले सिविल निर्माण कार्य सौंपे जाने के पश्चानत 15 दिनों के भीतर प्राधिकारी इंजीनियर नियुक्त करना होता है। राज्यवार प्राधिकारी इंजीनियर की नियुक्ति सिविल निर्माण कार्य सौंपे जाने के पश्चाशत प्राधिकारी इंजीनियर की और से तकनीकी कार्मिकों की तत्कोल तैनाती सुकर होगी।
- मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के लिए इनवेंटरीजेशन और अवस्था सर्वेक्षण पूरा करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया में है। ये परामर्शदाता आईआरसीः एसपीः 35 के अनुरूप आवधिक आधार पर अवस्थो सर्वेक्षण करेंगे। इन परामर्शदाताओं द्वारा संग्रहीत आंकड़ों का इस्तेमाल आईएएचई, नोएडा में स्थापित किए जा रहे पुल प्रबंधन केन्द्र द्वारा किया जाएगा जो इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध, निधि से पुल परिसंपत्तियों की भावी योजना और प्राथमिकता के संबंध में मंत्रालय को सुझाव देगा।
- चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 700 करोड़ रू. के मुख्यप पुल निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 6.40 करोड़ रू. के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

रांची में राष्ट्रीय राजमार्ग का अपृतिम दृश्य

राष्ट्रीय राजमार्ग का अपृतिम दृश्य

सीमा सड़क संगठन

7.1 सीमा सड़क संगठन, सड़क निर्माण कार्यपालक बल है जो सेना का एक अभिन्न अंग है और उसकी सहायता के लिए कार्य करता है। इसने केवल दो परियोजनाओं अर्थात् पूर्व में परियोजना टस्कर (जिसका नाम बदल कर परियोजना 'वरतक' रखा गया) और पश्चिम में परियोजना 'बीकन' पर कार्य करने के साथ मई, 1960 में अपने प्रचालनों की शुरूआत की थी। यह आज बड़कर 18 परियोजनाओं वाला कार्यपालक बल हो गया है।

7.2 सीमा सड़क संगठन ने न केवल उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के साथ जोड़ा है बल्कि इसने बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना का भी विकास किया है। इस संगठन ने देश के कठिन और सुदूर क्षेत्रों में लगभग 50000 किमी सड़कों, करीब 40000 मी. लंबाई के 430 बड़े स्थायी पुलों तथा विमान–क्षेत्रों का निर्माण किया है। इसके अलावा, इस संगठन को विदेशों उदाहरणतः तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार जैसे देशों में कई विषमताओं और व्याप्त विद्रोह के बावजूद सड़कों, हवाई क्षेत्रों आदि का निर्माण कार्य सौंपा गया है।

7.3 सीमा सड़क संगठन के कार्य

7.3.1 सीमा सड़क संगठन को मुख्यतः रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप जनरल स्टाफ सड़कों के रूप में वर्गीकृत सीमा क्षेत्र सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है। जनरल स्टाफ सड़कों का विकास और अनुरक्षण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से जनरल स्टाफ शीर्ष के अंतर्गत सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है।

7.3.2 जनरल स्टाफ सड़कों के अतिरिक्त, सीमा सड़क संगठन, केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा भारत और विदेश के विभागों द्वारा सौंपे गए एजेंसी और विदेश मंत्रालय के कार्य भी करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य अर्द्व–सरकारी संगठनों द्वारा सौंपे गए कार्य, डिपोजिट कार्यों के रूप में किए जाते हैं।

7.4 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड राज्य में 16–17 जून, 2013 को बादल फटने के पश्चात राहत और बचाव प्रयासों के दौरान एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीमा सड़क संगठन खंडों पर लगभग 49.00 किमी सड़क बह गई, 14 पुल क्षतिग्रस्त हो गए तथा लगभग 490 भूस्खालन जिससे लगभग 13 किमी लंबाई प्रभावित हुई जिस कारण राज्य भर में सड़क अनप्रयुक्त हो गई। हजारो तीर्थ यात्री फंस गए। उन तीर्थ यात्रियों को बाहर निकालने के लिए सीमा सड़क संगठन ने चौबीसों घंटे काम किया तथा धंसी हुई जमीन को साफ करके, पैदलपुल, पैदल पथ, मवेशी मार्ग और नए संरेखण के साथ नई सड़कें बनाकर सड़क संपर्क सुनिचित करवाया। अति प्रबल प्रयास से राज्य के पर्याप्त हिस्से को आपदा के 2 सप्ताहों में सड़क संपर्क प्रदान किया। अक्तूबर, 2013 के मध्य तक सभी बड़े कस्बे और शहरों को पुनः जोड़ दिया गया।
- इंडो–चीन सीमा सड़कों के रूप में भारत सरकार द्वारा चीन सीमा के साथ अवसंरचनात्मक विकास किया गया जिसमें 73 सड़कों में से 61 सड़कें सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई। 3413 किमी कुल लंबाई की 17 सड़कों पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। अत्यधिक कठिन पहाड़ी

मैदानों और सुदुर एवं बर्फ से ढके क्षेत्रों के कारण इन सड़कों को निर्माण किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

- इस संगठन की विविध क्षमताओं को देखते हुए 1458.06 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 8.80 कि.मी. लंबी रोहतांग सुरंग, इसके प्रवेश द्वारों के लिए पहुंच सड़क तथा लेह के लिए 292 कि.मी. लंबे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य सौंपा गया इससे संगठन को एक नई पहचान मिली है। निर्माण कार्यों में अभी तक लक्ष्यों के अनुसार प्रगति हुई है। रोहतांग सुरंग के दक्षिण प्रवेश द्वार की पहुंच सड़क की लंबाई 11.750 कि.मी. और उत्तंरी प्रवेश द्वार की पहुँच सड़क की लंबाई 0.975 कि.मी. है। सुरंग का निर्माण कार्य 5 नवंबर, 2009 को शुरू हुआ और वर्तमान प्रगति 34% है। सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख (पीडीसी) अगस्त, 2017 है।

- सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत के उत्तर, पूर्वोत्तभर और केन्द्रीय भागों में फैले कुल 4803 किमी लंबाई के 21 राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नयन और अनुरक्षण किया जा रहा है। इस उन्नयन कार्य में इन राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों को दो लेन का बनाया जाना शामिल है। आईसीबीआर सड़कों में प्रचालनात्मक वचनबद्धता के कारण बीआरओ ने अब राष्ट्रीय राजमार्ग एक चरणबद्ध तरीके से राज्य लोक निर्माण विभाग को लोटाने की योजना बनाई है।

- "विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तिर राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों को राज्य। राजधानी के साथ डबल लेन की सड़कों के साथ जोड़ा जाना है। 2989 किमी लंबाई की इन 33 सड़कों को सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया था। इस पैकेज के अंतर्गत चरण 'क' के अंतर्गत 3870 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 1106.35 किमी. सड़कों (संख्या 13) का निर्माण/चौड़ीकरण करने और चरण 'ख' के अंतर्गत 8500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1883 किमी लंबी सड़कों (संख्यो 20) के लिए योजना बनाई गई है। ये कार्य वर्ष 2006–07 शुरू हो चुके हैं। पूर्वोत्तार क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' की प्रगति 70 प्रतिशत है।

- 'अरूणाचल प्रदेश सडक एवं राजमार्ग पैकेज' के अंतर्गत 3600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 812 किमी लंबी सड़कों का चौड़ीकरण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इस कार्य की संभावितपूर्णता तिथि (पीडीसी) वर्ष 2016 की है। 'अरूणाचल प्रदेश सडक एवं राजमार्ग पैकेज' की प्रतिशत में प्रगति, 50 प्रतिशत है।

- प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 94 किमी. लंबी श्रीनगर–उड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग– 1ए) सड़क, 17.50 किमी. लंबी उड़ी–एलओसी सड़क का उन्नयन कार्य, 265 किमी. लंबी बटोटे–किश्तरवाड़–अनंतनाग (राष्ट्रीय राजमार्ग– 1बी) को दो लेन का बनाने, 422 किमी. लंबी श्रीनगर–लेह सड़क वाया कारगिल (राष्ट्रीय राजमार्ग–1डी) को दो लेन का बनाने, 288.60 किमी. लंबी नीमू–पदम–डारचा सड़क का निर्माण और 14.14 कि.मी. लंबी डोमेल–कटरा (राष्ट्रीय राजमार्ग –1सी) सड़क को चौड़ा करने और चरण–। के लिए रामबन–गुल सड़क के 22.76 किमी भाग का उन्नयन करने का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2856.95 करोड़ रुपए है। प्रारम्भ में इन कार्यों को वर्ष 2012 तक पूरा किया जाना था जिसे 2015 तक के लिए पुनः निर्धारित किया गया है, सिवाय निमु–पदम दार्चा के, जिसके लिए पीडीसी 2021 है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण योजना की समग्र प्रगति 80 प्रतिशत है।

- जम्मूं व कश्मीर में रारा –1डी पर जोजिला (किमी 94.00 से किमी 118.00) और जैड मोड़ (किमी 77.50 से किमी 80.20) में क्रमषः 12 किमी और 3.1 किमी लंबी सुरंग के साध्यीता अध्ययन कार्य का ठेका पूरा हो चुका है। इन सुरंगों के निर्माण के लिए संविदात्मक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- सीमा सड़क संगठन में राजमार्ग इंजीनियरों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीएमई, पुणे में एक अस्थोयी प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किया गया है और 40–50 विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक पूल सृजित करने का निर्णय लिया गया है। विश्व के बेहतर संस्थानों में अधिकारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से सुरंग, पुल, निर्माण और सड़क निर्माण के प्रत्येक क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई है।

पश्चिमी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड

“स्वच्छ भारत अभियान” निबंध प्रतियोगित के लिए पुरुस्कार वितरण

(क) प्रशासन

8.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन विंग में स्थापना अनुभाग ओ एंड एम अनुभाग और रोकड़ अनुभाग शामिल हैं। प्रशासनिक विंग को इस मंत्रालय के 997 कर्मचारियों (ग्रुप ए,बी,सी और डी) के सेवा और प्रशासनिक मामलें, हाऊस–कीपिंग और वेतन आहरण और संवितरण एवं अन्य व्ययों का कार्य सौंपा गया है। विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जाता है।

8.2 मंत्रालय द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में इस मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चि त करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तकनीकी और गैर–तकनीकी पक्ष (ग्रुपवार) के लिए पृथक–पृथक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और इस मंत्रालय में अनु.जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्वष संबंधी सूचना **परिशिष्ट 7** में दी गई है।

8.3 सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पेपर वेतन और लेखा अधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अंतिम कार्य दिवस को प्रदान किए जाते हैं।

8.4 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में एक वेलफेयर सैल मौजूद है जो मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण उपाय संबंधी सभी कार्यकलाप करता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विदाई के लिए मंत्रालय का वेलफेयर सैल एक विदाई पार्टी आयोजित करता है और उन्हें एक स्मारक चिह्न (मिमेंटो), और एक उपहार भी भेंट किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं।

8.5 राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिवस अर्थात आतंकवाद–रोधी दिवस, साम्प्रजदायिक सद्भाव दिवस, सद्भावना दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, रैडक्रॉस दिवस, रैडक्रास रेफल ड्रा, स्वच्छ भारत अभियान, सुशासन दिवस आदि मनाए गए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। 'झंडा दिवस' के संबंध में अंशदान भी एकत्रित और संग्रहीत किया गया। साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह/सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन अवसरों में भाग लेने वालों को पुरस्कांर प्रदान किए गए।

परिवहन भवन में स्वच्छ भारत अभियान

मंत्रालय की ई–बुक का शुभारंभ

सूचना और सुविधा केन्द्र की स्थारपना

8.6 मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ–साथ विभाग द्वारा कार्यान्वित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है। इस काउंटर पर विभिन्न विषयों पर आम जनता के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है। जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को विचारार्थ और समाधान हेतु भेज दिया जाता है।

नागरिक चार्टर की संरचना

8.7 मंत्रालय के कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिक चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

विभागीय रिकार्ड रूम

8.8 मंत्रालय द्वारा अभिलेखों के प्रबंधन की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 31 दिसम्बर, 2014 तक 4760 फाइलें रिकार्ड की गईं और अभिलेख धारण समय–तालिका के अनुसार 5718 फाइलों की समीक्षा की गई और उन्हें नष्ट किया गया।

शिकायत निवारण और सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.

8.9 मंत्रालय में, संयुक्त सचिव (प्रषासन) की अध्यीक्षता में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है। उन्हें लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है। प्राप्तं लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेज दिया जाता है। एक वेब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है। वर्श के दौरान कुल 2136 लोक शिकायतें प्राप्त हुई और 1614 शिकायतें अग्रेषित की गई और सभी मामले, त्वरित निपटान के लिए विभिन्न संबंधित कार्यालयों/एजेंसियों को पहले ही आनलाइन भेज दिए गए हैं। इसमें बीआरडीबी, बीआरओ, एनएचएआई, आईएएचई, सड़के विंग, परिवहन विंग, पथकर विंग, स्थापना विंग और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। लंबित अधिकतर मामले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित हैं। वर्ष के दौरान कुल 3750 शिकायतों में से 1904 विलंबित मामलों का निपटान कर दिया गया है।

मंत्रालय में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है। शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जियां प्राप्त करने के लिए निदेशक, संबंधित प्रशासन अनुभाग के प्रभारी, उपसचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में शिकायतों की सुनवाई के लिए पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्तं, संयुक्त सचिव (प्रशासन) भी लोक सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं।

ई–ऑफिस

8.10 मंत्रालय में ई–आफिस कार्यरत्त है। फाइल ट्रेकिंग, ई–डाइराजिंग, ज्ञान प्रबंधन, सिस्टम के ई–लीव फीचर्स का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। ई–आफिस के माध्यम से प्राप्तियों और फाइलों को इलेक्ट्रोनिक रूप से संसाधित और प्रस्तुत करने के कार्य का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एनआईसी द्वारा पहले उपलब्ध कराया गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (जो ई–आफिस मोड में कार्य करने के लिए पूर्व अपेक्षा है) अब वैध/कार्यात्मेक नहीं है। तदनुसार, डाइट वाई द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप अन्य एजेसिंयों के माध्यम से मंत्रालय के सभी

अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध कराए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

मौजूदा फाइलों को ई–आफिस में बदलने के लिए उन्हें आउटसोर्स के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से डिजिटल किया जा रहा है।

'सड़क और राजमार्ग सूचना प्रणाली' नामक एक मिशन मोड परियोजना ई–क्रांति नामक डाइट वाई के नोट की अवधारणा में एमएमपी की 10 सूचियों में शामिल की जा रही है। सड़कों और राजमार्गों के संबंध में आरएएचआई एक एकीकृत नागरिक केन्द्रित सेवा होगी। डाइट वाई ने इस मंत्रालय से डीपीआर तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है जो कि डाइटवाई के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग के साथ परामर्श करके तैयार की जा रही है।

'समृद्धि की और अग्रसर' नामक एक ई–बुक माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा जारी की गई है जिसमें 25.12.2014 को सुशासन दिवस अंकित करने के लिए जून, 2014 से पिछले 6 माह में मंत्रालय की उपलब्धियों को उजागर किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जन–सुविधाओं के लिए लोगो और ब्रांड नेम के संबंध में 'माई–गोव' के माध्यम से आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए जाने से संबंधित कार्यकलापों को आईटी सेल द्वारा सुकर और समन्वित किया गया था।

शिकायत एवं नागरिक चार्टर सेल

8.11 शिकायत मामलों के त्वरित और शीघ्र निपटान के लिए ओएंडएम अनुभाग के तौर पर शिकायत एवं नागरिक चार्टर सेल कार्य कर रहा है। मंत्रालय में शिकायत प्रकोष्ठ, प्रशासनिक और जन शिकायत सुधार विभाग, डीपीजी, राष्ट्रपति सचिवालय, पीएमओ द्वारा भेजी गई सभी शिकायतों और अन्य स्थानीय शिकायतों को निपटाए जाने से संबंधित है।

एडस नियंत्रण के लिए ज्ञापन

8.12 मंत्रालय ने विभिन्न हतिधारियों को परामर्शी पत्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है और एडस की रोकथाम करने के एवं एडस पीड़ितों की सहायता करने के लिए आवश्यतक प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्ध कराई है।

एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्यांण मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

(ख) वित्त

8.13 लेखांकन और बजट

8.13.1 सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख हैं और वे मंत्रालय के लिए मुख्य लेखांकन प्रधिकारी हैं और वह अपने कार्यों का निर्वहन, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एसएस एंड एफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लेखा और बजट पक्ष, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं। प्रधान मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, अन्य बातों के साथ–साथ, मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय को बजट, केन्द्रीय लेन–देने का विवरण, वित्तीय लेखों एवं विनियोजन लेखों को तैयार करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने और रोकड़ प्रबंधन करने, लेखा महानियत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।

8.13.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखा नियंत्रक, दो उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक शामिल हैं। बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) हैं। इस कार्यालय में मंत्रालय के लिए एक प्रधान लेखा अधिकारी, प्रशासन एवं स्थापना के लिए एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता वाले आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं। मुख्यलेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्यारह भुगतान एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी, भोपाल और हैदराबाद में स्थित हैं। अगले वित्तीय वर्ष से आरपीएओ को जयपुर से रायपुर स्थानांतरित किए जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

8.13.3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और देश में फैले इसके कार्यालयों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा इस प्रकार हैः

भुगतान

- अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुगत किए गए बिलों की पहले ही जांच करने के बाद मंत्रालय की ओर से भुगतान करना।
- अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्तं निकायों, सोसाइटियों, एसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को भुगतान करना।
- मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना।

प्राप्तियां

- मंत्रालय की प्राप्तियों को स्वीकार करना, बजट बनाना और लेखांकन करना।

- राज्या सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त। ऋण और उस पर ब्याज की वापसी की मॉनिटरिंग करना।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्तियां और भुगतान।

लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक लेखे, केन्द्रीय लेन–देन का विवरण, वित्तीय लेखों का विवरण, शीर्ष–वार तथा चरण–वार विनियोजन लेखों को तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्तमंत्रालय, व्यय विभाग तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्वर को प्रस्तुत करना।
- कार्य निष्पाषदन बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और वित्त वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्तमंत्रालय के साथ समन्वय करना।
- आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की मॉनीटरिंग करना और इसे सीएजी कार्यालय को प्रस्तुत करना।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना की निगरानी करना और उसे प्रस्तुत करना।
- विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डाटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपोर्टों को तैयार करना।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवतियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना।
- बजट आधारित मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय तैयार करना और विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कि अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सचिव आदि को व्यय की मॉनीटरिंग के लिए प्रस्तुत करना।
- मंत्रालय को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री तैयार करना, लेखों पर एक नजर और व्यय के फ्लेश आंकड़े तैयार करना और उनको सीजीए को भेजना तथा अनंतिम लेखों को तैयार करना और उनको मंत्रालय को भेजना।
- पीएओ/आरपीओ से प्राप्त एमआईएस के आधार पर मासिक डीओ तैयार करना और सीजीए को भेजना।

8.14 बजट

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा धनराशि का पुनर्विर्नियोजन करना तथा बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
- वास्तविक व्यय को समाविष्ट करके वार्षिक अनुदान मांगों का पुनरीक्षण करना।
- सीएण्ड एजी ऑफ इंडिया (सिविल एण्ड कॉमर्शियल) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट'/बचत संबंधी व्याख्यात्मक नोट के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना तथा

स्मार्ट रहिये, स्टाइल भी मारें, पर एचआईवी/एड्स से बचें.

लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के चयनित अनुदानों की समीक्षा और एटीएन नोट भी तैयार करना।

- समीक्षा प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तियों और लोक लेखों के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना।

8.15 आंतरिक लेखा परीक्षा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यकरण में सुसंगत अशुद्धियों/चूकों की पहचान करने के लिए और आवश्यतक कार्रवाई/सुधार के लिए प्रबंधन को सलाह देने के लिए एक प्रभावी यंत्र के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्थापित की गई है। यह विंग दैनंदिन कार्यकलाप में विषयनिष्ठता और वित्तीय औचित्य और वित्तीय समझदारी में अति संवेदनशीलता लाने के लिए एक बड़े प्रबंधन यंत्र के रूप में सिद्ध हुआ है।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के अधिकारियों तथा अन्य अनुभागों में तैनात अधिकारियों को विगत में आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष जोखिम आधारित लेखा परीक्षा में तीन ए.ए.ओ. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रधान सी.सी.ए. संगठन द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र के प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लगभग सभी कार्यालयों में लेखा अनुरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रमुख अनियमितताओं/कमियों वाले लेखा परीक्षा के पैरा विभागाध्यक्ष के नोटिस में लाए जाते हैं और पैराओं के निपटान के लिए मामलों को उठाया जाता है तथा बकाया पैराओं के निपटान के लिए प्रधान सी.सी.ए. कार्यालय द्वारा समीक्षा बैठकों की भी व्यवस्था की जाती है।

वर्ष के दौरान एन.एच. प्रभाग की 79 यूनिटों और मंत्रालय के 21 पी.ए.ओ./आर.पी.ए.ओ. की लेखा परीक्षा की गई है।

- मंत्रालय के सभी पक्षों के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्य सरकारों के लोक निर्माण प्रभागों (राष्ट्रीय राजमार्ग) और मंत्रालय की इकाईयों के लेखाकरण की परीक्षण जांच करना।
- लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियों के अधिकार–क्षेत्र में आने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराओं और समुक्तियायों की मॉनीटरिंग और निपटान।
- मंत्रालय के सभी पक्षों में आंतरिक कार्य अध्यकयन करना और वित्त मंत्रालय की 'स्टाफ निरीक्षण इकाई' के साथ समन्वरय करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य निष्पाोदन की वार्षिक समीक्षा तैयार करना।

लेखों का कंप्यूलटरीकरण

8.16.1 इन कार्यों को करने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं जिनसे मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समग्र कारगरता और दक्षता में बहुत अधिक सहायता मिली है। लेखों के संकलन में होने वाले विलंब को दूर करने और व्यतय लेखों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए इस समय कॉम्पेक्ट,

कांटेक्ट, ई–लेखा आदि जैसे विभिन्न सॉफ्टवेअर पैकेजों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

8.16.2 **कंप्यूटरीकृत लेखाकरण (कॉम्पेक्ट):** व्यय लेखों के लिए यह एक व्यापक पैकेज है जिसमें प्री–चेक, जीपीएफ, बजट, पेंशन, संकलन और नई पेंशन योजना जैसे मुख्य लेखांकन कार्य सहित सभी मुख्य लेखांकन कार्य शामिल हैं और इस सॅफ्टवेयर को सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में सफलता पूर्वक लागू किया गया। इससे न केवल अति कुषल भुगतान प्रणाली तैयार होने और लेखा तैयार करने में समय पालन की स्थिति बनी है अपितु सम्पूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता भी आई है।

8.16.3 **कांन्टेक्टः** मासिक लेखों के संकलन के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रधान लेखा कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक महीने, विभिन्न अनुदानों की प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत समीक्षा तैयार की जाती है और सीजीए कार्यालय को भेजी जाती है और व्य्य विवरण, मंत्रालय के अवर सचिव (बजट), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और सचिव को भेजा जाता है। इसमें व्यय का मुख्य–शीर्षवार, प्रयोजन शीर्षवार और स्कीमवार पैटर्न, विभिन्न गैर कर राजस्वा मदों का शीर्ष वार प्राक्कलन और प्राप्तियां, पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना और लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति आदि शामिल होती है।

8.16.4 **ई–लेखाः** यह वेब आधारित एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा व्यय लेखांकन सूचना का दैनिक/मासिक एमआईएस तैयार किया जाता है। सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को वेब आधारित लेखा पोर्टल, ई–लेखा से पूर्णतः एकीकृत कर दिया गया है। उनको अपना दैनिक लेन–देन इस पोर्टल पर अपलोड करना होता है ताकि व्याय और प्राप्तियों की तारीख दैनिक आधार पर उपलब्ध रहे। इससे व्यय और प्राप्ति पर वास्तविक समयाधारित–डाटा उपलब्ध हो जाता है जो व्यय/प्राप्तियों की प्रभावी मॉनीटरिंग और बजटीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से सृजित रिपोर्टें, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय टूल हैं और इनका उपयोग, मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ई भुगतान का कार्यान्वियन।

भुगतान और लेखा कार्यालय, भारत सरकार में ई–गवर्नेंस के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में ई–भुगतान पद्धति का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया था।

8.16.5 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ई–भुगतान का कार्यान्वयन

वेतन और लेखा कर्यालय, भारत सरकार में ई–शासन के लिए एक मुख्य पहल के रूप में 31.3.2012 तक भारत के सिविल मंत्रालयों के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में कार्यान्विनत किए जाने के लिए ई–भुगतान विधि की योजना बनाई गई थी। ई–भुगतान के नए युग में, ग्राहक/बैंक को चौक/ड्रफ्ट जारी किए जाने के स्थान पर पी.ए.ओ. बैंकों को वास्तविक प्राईवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गवर्मैंट ई–पेमेंट गेटवे (जीईजीपी) के माध्यम से संबंधित ग्राहक को ऑन लाइन भुगतान करने के लिए सलाह एडवाइस देंगे। ऑनलाइन भुगतान की (एडवाइस) प्राप्त होने पर बैंक भुगतान को संसाधित करेंगे और ग्राहक के खाते में संगत भुगतान को सीधे ही ऑन लाइन जमा कर देंगे। इस नई पद्धति के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक के लेखे में भुगतान की संपुष्टि, ग्राहक के लाभ के लिए लेन–देन के ब्यौरे सहित एसएमएस अथवा ई–मेल के द्वारा संपुष्ट/संसूचित कर दी गई है। उचित संसाधन के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। जिसमें बैंक नित्य ई–स्क्राल अपलोड करेगा और पीएओ, उसे डाउनलोड करेगा और पद्धति में ही आवश्यक आनलाइन पुनः समाधान करेगा। ई–भुगतान पद्धतितो को जून, 2012 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सभी पीएओ/आरपीएओ में कार्यान्वित कर दिया गया है।

ग. पेंशन/परिवार पेंशन का ई-संशोधन

8.16.6 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय पेंशन लेखा कर्यालय (सीपीएओ) के साथ परामर्श करके 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए भारत सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन को आन लाइन संशोधित करने की पहल की है। इसके पश्चात सीपीएओ के दिशा निर्देश और लेखा महानियंत्र के कार्यालय के अनुवीक्षण के अंतर्गत सभी सिविल मंत्रालय, एनआईसी के साथ परामर्श करके सीपीएओ द्वारा तैयार किए गए वेब पोर्टल पर पेंशन भोगियों की पेंशन ऑन लाइन संशोधित कर रहे हैं।

इस संशोधन कार्य के लिए प्रधान सीसीए कार्यालय इस मंत्रालय में नोडल कार्यालय है और देश के विभिन्न भागों में स्थित सभी वेतन और लेखा कार्यालय इन पेंशनेगियों की पेंशन संशोधित कर रहे हैं। 1990 और 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन के लिए अपेक्षित 1073 मामलों में से अधिकतम मामलों को निपटा दिया गया है और संशोधित प्राधिकार जारी कर दिए गए हैं।

8.17 योजना निधि अनुवीक्षण पद्धति (पीएफएमएस)

8.17.1 वर्श 2008–09 में माननीय वित्त मंत्री ने योजना स्कीशम प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी विभिन्न स्कीम प्रबंधकों को व्यापक निर्णय सहायत और प्रबंधन सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय योजना अनुवीक्षण पद्धति (सीपीएमएस) स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। तभी से चयनित योजना और गैर–योजना स्कीमों के अंतर्गत लाभ भोगियों को प्रत्यक्ष भुगतान शामिल करने के लिए पीएफएमएस के कार्यक्षेत्र को बड़ा किया गया है। पीएफएमएस योजना आयोग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम हैं जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ मिलकर लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम ने भारत सरकार की योजना स्कीमों के लिए साझा लेन–देन आधारित–ऑनलाइन विधि प्रबंधन और भुगतान पद्धति तथा एमआईएस स्थापित किया है। योजना के प्रभावी भुगतानों के लिए यह मंच अब राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है।

8.17.2 पीएफएमएस के उद्देश्यी

- सक्षम निधि प्रबंधन पद्धति स्थाजपित करना
- प्रभावी व्यंय सूचना नेटवर्क स्थापित करना
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार
- सार्वजनिक प्रकटीकरण

कार्यान्वयन कार्यनीति

8.17.3 इस स्कीम का कार्यान्वयन लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा विकसित और लगाई गई वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। जिससे कम्पैक्ट और ई–लेखा तथा बैंकिंग प्रणाली द्वारा विकसित इंटरफेस जैसी सुस्थापित लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का लाभ प्राप्त हुआ है। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षित है कि वे बैंक लेखा ब्यौरे के साथ पीएफएमएसपर भारत सरकार से प्राप्ती अनुदान प्राप्ता करने वाली एजेंसियों/वैयक्तिक लाभभोगियों का ब्यौरा दर्ज करें। सेंक्शन आईडी पोर्टलैंड पर सृजित की जाती है, संस्वीकृति आदेश तैयार किए जाते हैं, आहरण और

वितरण अधिकारी बिल संख्या डालते हैं और आदाता एजेंसी सेंक्शन आईडी के संबंध में भुगतान ब्यौरा दर्ज करता है। भुगतान ब्यौरा एक वास्तविक सेंक्शन आईडी विधि केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों में पूरी तरह से सक्रिय है जिससे भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधि प्राप्तकर्ताओं सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और वैयक्तिक लाभभोगियों का व्यापक ब्यौरा सृजित हो जाता है। पीएफएमएस 90 बैंकों (26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 59 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 5 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के कोर बैंकिग समाधान (सीबीएस) के साथ सुरक्षित समाकलन के माध्यसे निधि प्रबंधन और ई–भुगतान में सहायता करता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में पहली बार पीएफएमएसलेन देन आधारित, सुदृढ, विश्वसनीय और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सूचना पद्धति (एफएमआईएस) के सृजन को प्रोत्साहित करता है। अन्य एमआईएस एप्लीकेशनों से भिन्न, जहां वित्तीय एमआईएस कार्योत्तर डाटा फीडिंग पर निर्भर करता है, पीएफएमएस में निधि उपयोग डाटा का कार्यान्वंयन एजेंसियों द्वारा किए गए बैंकिंग लेन देनों के साथ परस्पर सह संबंध है। अतः सिस्टम से उपलब्ध, एफएमआईएस, वास्तविक समय आधार पर वित्तीय लेन देनों संबंधी बैंक समाधित डाटा होता है।

उपलब्धियां

8.17.4 केंद्रीय सरकारी योजना निधियों की सभी प्रथम स्तर की प्राप्तकर्ता एजेंसिया, उनके बैंक लेखा ब्यौरे सहित सिस्टम में दर्ज हैं। फलस्वरूप भू–भागीय वितरण के अनुरूप स्कीमवार, एजेंसीवार, क्षेत्रवार निधियों की रिपोर्टें वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होती है। लगभग 9,70,000 से अधिक कार्यान्वयन एजेंसिया पीएफएमएस पोर्टल पर पहले ही दर्ज हैं। ये एजेंसियां पीएफएमएस एप्ली. केशन का इस्तेमाल उन लेनदेनों के लिए उन लाभगियों को निधि अंतरित और ई–भुगतान, करने के लिए कर रही हैं जिनके बैंक–शाखाओं अथवा डाकघरों में खाते हैं। पीएफएमएस केंद्र सरकार स्तर पर पूरी तरह कार्यान्वेत की गई है और सिविल मंत्रालयों/केंद्रीय सरकार के विभागों से जारी योजना स्कीम, एक अद्वितयी सैंक्शसन आईडी के साथ पीएफएमएस के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजी जाती है। पीएफएमएस के प्रधान प्रयोक्ताओं में शामिल हैं– योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, कार्यक्रम प्रबंधक, बैंक और गैर–सरकारी संगठन जो केंद्र सरकार से निर्णय प्राप्ता करते हैं। पीएफएमएस के माध्यम से ई–भुगतान।

8.18 सी एंड एजी के पीएसी पैरा/रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई का नोट

वित्त् मंत्रालय, व्यय विभाग, स्थायी लेखा परीक्षा द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के संदर्भ में सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षण समिति (एसएजी), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुरूप लेखा परीक्षा रिपोर्टों/पैराओं और लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों/पैराओं के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों के प्रस्तुतिकरण की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है।

1.4.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान स्थायी लेखा परीक्षण समिति की 13.06.2014 को एक बैठक आयोजित की गई है। स्थायी लेखा परीक्षण समिति द्वारा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों/मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की प्रगति और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित लंबित लेखा परीक्षा पैराओं (वाणिज्यिक) की भी समीक्षा की गई है। तत्पश्चात नवीन

पीएसी रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सिविल) और (वाणिज्यिाक) आवश्यतक कार्रवाई के लिए प्राप्त हुई/सी एडं एजी की वेबसाइड से डाउनलोड की गई। ब्यौरा **परिशिष्ट 8** में दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मामलों पर लेखा परीक्षा के मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं और निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं के बारे में मंत्रालय की ओर से शीघ्र उत्तर भेजने और लेखा परीक्षा के साथ निरीक्षण पैरा/डीएपी के निपटान के लिए विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में तदर्थ समिति की समय–समय पर बैठकें भी आयोजित की गईं।

'एसएसी की एक अन्य बैठक 27.01.2015 को हुई है।

8.19 अनुदान सं–83 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक व्यय (31 दिसम्बर, 2014 तक) **परिशिष्ट 9** में दर्शाया गया है। विगत तीन वर्षों के लिए केंद्रीय लेनदेन विवरण के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष–वार ब्यौरा **परिशिष्ट 10** में दर्शाया गया है और तीन वर्ष के लिए विस्तृत व्यय रसीदें **परिशिष्ट– 11** में दर्शायी गई हैं। लेखाओं की प्रमुख विशिष्टताएं, **परिशिष्ट 12** में दी गई हैं।

घ. सतर्कता

8.20 मंत्रालय की सर्तकता यूनिट, मंत्रालय के सतर्कता संबंधी कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस यूनिट के प्रमुख, मुख्यी सतर्कता अधिकारी हैं। संयुक्त सचिव (एलएसीएंडपी) इस मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) है जिसमें पृथक रूप से एक पूर्णकालिक मुख्यय सतर्कता अधिकारी हैं।

वर्ष के दौरान, प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई (जहां अपेक्षित है वहां केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके) करने के अतिरिक्त निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। आटो ईंधन के खुदरा आउटलेट के लिए अनापत्तित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए प्राप्त अनुरोधो को संसाधित करने के लिए निर्धारित अनुदेशों और प्रक्रियाओं का उचित कार्यान्वयन करने के लिए और निजी उद्यमियों की 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर पहुंच बनाने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र मामलों को संसाधित करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तथा 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रत्यंक्ष भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत बिलों और भुगतानों के निपटान के लिए विशेष जोर दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा आउटलेटों, निजी परिसंपत्तियों पर पहुंच अनुमति से संबंधित आवेदनों की आनलाइन ट्रेकिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है। परियोजना जोनों को इन अनुदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन सक्रीय रूप से सुनिश्चिनत करने के लिए नियमित रूप से स्मेरण कराया जाता है।

मंत्रालय में 27 अक्टूवर से 01 नवंबर, 2014 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को सचिव (पोत परिवहन) द्वारा संयुक्ती रूप से शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान 'भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया' (अंग्रेजी में) और 'भ्रष्टा चार उनमुलन में जन आंदोलन की प्रभावकता' (हिंदी में) विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

ङ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वपयन

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का मूल उद्देश्य, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही संवर्धित करना तथा सूचना तक नागरिकों को पहुंच प्रदान करने के लिए व्यावहारिक पद्धति प्रदान करना है जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत है। सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग स्थापित किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार इस मंत्रालय में नोडल अधिकारी, आरटीआई अनुभाग, जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारी पूरी तरह से कार्यरत्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अधीन जन प्राधिकारियों द्वारा जनता को संचार के विभिन्न साधनों के माध्य से स्वतः सूचना दी जा रही है। इस मंत्रालय की वेबसाइट विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत इस मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मामलों पर ढेर सारी सूचना प्रदान करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काउंटर खोला गया है। सूचना के अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए और प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए आनलाईन आवेदन करने के लिए जनता को सक्षम बनाने के लिए 3.6.2013 से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वेबसाइट पोर्टल आरंभ किया गया है जिसमें इस मंत्रालय को भी ऑन लाइन सिस्ट्म में शामिल किया गया है। ऑन लाइन सिस्टेम में आगे की कार्रवाई करने के लिए विभिन्न जन सूचना अधिकारियों को ऑन लाइन वास्तविक आवेदनों को भेजने और वास्तविक उत्तर भेजने के लिए स्कैननिंग की सुविधा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों के अध्यधीन और प्रदत्त अन्य छूटों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम में उल्लिखित निर्धारित समय में आवेदक/जनता को सूचना प्रदान की जा रही है। दो संगठन अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक स्वायत निकाय है और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन एक सोसायटी है, इन दोनों संगठनों ने सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा निर्देशित सूचना आवेदकों/जनता को प्रदान करने के लिए अपने अलग–अलग जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्ति किए हैं। इस मंत्रालय को मोटर यान अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाइओवर, पुल, टोल प्लाीजा, प्रयोक्तां शुल्क के संग्रहण, पेट्रोल पंपों की स्थाधपना, टेण्डर आदि से संबंधित आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त होते रहे हैं। संबंधित जन सूचना अधिकारियों द्वारा इन सब का तत्परता से उत्तर दिया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2014 तक, लगभग 3904 आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्तन हुए जिनमें वास्तविक आवेदन पत्र और ऑन लाइन आवेदन पत्र दोनों ही शामिल हैं, यदि इनमें से कोई एक से अधिक जन सूचना अधिकारी से संबद्ध हुआ है तो उसे सृजित पृथक पंजीकरण नंबरों वाले सिस्टम के अंतर्गत अग्रेषित कर दिया गया। इसी प्रकार 31 दिसम्बर, 2014 तक प्राप्त और संबंधित एफएए को अग्रेषित कुल अपीलों की संख्या लगभग 264 है। इस पद्धति में सिस्टम से सृजित अनुस्मारकों/एलर्ट संबंधित पीआईओ/एफएए को उनके ई–मेल के माध्यंम से भेजने की भी सुविधा है। आनलाइन सिस्टम में उपलब्धं सूचना का इस्तेमाल करके आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान का समय–समय पर अनुवीक्षण भी किया गया था।

च. परिणाम संरचना दस्तावेज

8.21 मंत्रालय का परिणाम संरचना दस्तावेज 2013–14 **परिशिष्ट 17** में दिया गया है।

सूरत-दहीसर राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 का पानगढ़-पलसित खंड

मंत्रालय की ई-बुक का शुभारंभ

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कार्यान्वयन व्यवस्था

9.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में दो उप–निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा) और अन्य सहायक कर्मचारी हैं। राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

9.2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 27 जून, 2014, 29 सितम्बर, 2014 और 16 दिसम्बर, 2014 को हुई। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिर्पोटों की समीक्षा इन बैठकों में की गई और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाए गए।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) का अनुपालन और हिन्दी में पत्राचार

9.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

9.4 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिन्दी में लिखे अथवा हिन्दी में हस्ताक्षर सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों।

9.5 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रषासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय हिन्दी भाषा/हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

9.6 कुल 14 टंककों (लिपिकों) में से 5 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं और कुल 16 आशुलिपिकों में से 6 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना

9.7 मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं

हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

9.8 हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2014 को सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी की गई अपील, मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवलोकनार्थ परिचालित की गई। 08 सितंबर, 2014 से 22 सितंबर, 2014 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, विभागीय ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता, सामान्य पत्र लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता और हिंदी सुलेख जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं मंत्रालय के हिन्दी भाषी और हिन्दी इतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग–अलग आयोजित की गईं। मंत्रालय में दिनांक 18.09.2014 और 19.09.2014 को दो कार्यशालाएं क्रमशः 'हिन्दी वर्तनी की समस्याएं' और 'कंप्यूटर पर हिन्दी. में काम कैसे करें' भी आयोजित की गईं। संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 29 सितंबर, 2014 को मंत्रालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष हिन्दी पखवाड़े के दौरान कुल मिलाकर 178 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

9.10 मंत्रालय में संपूर्ण हिन्दी टंकण कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है। कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए कंप्यूटरों में हिन्दी के नवीनतम सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। हिन्दी वाक्यांशों (नेमी कार्यालय टिप्पणियां) और पुस्तकालय की पुस्ततकों की सूची ई–आफिस पर अपलोड कराई गई है।

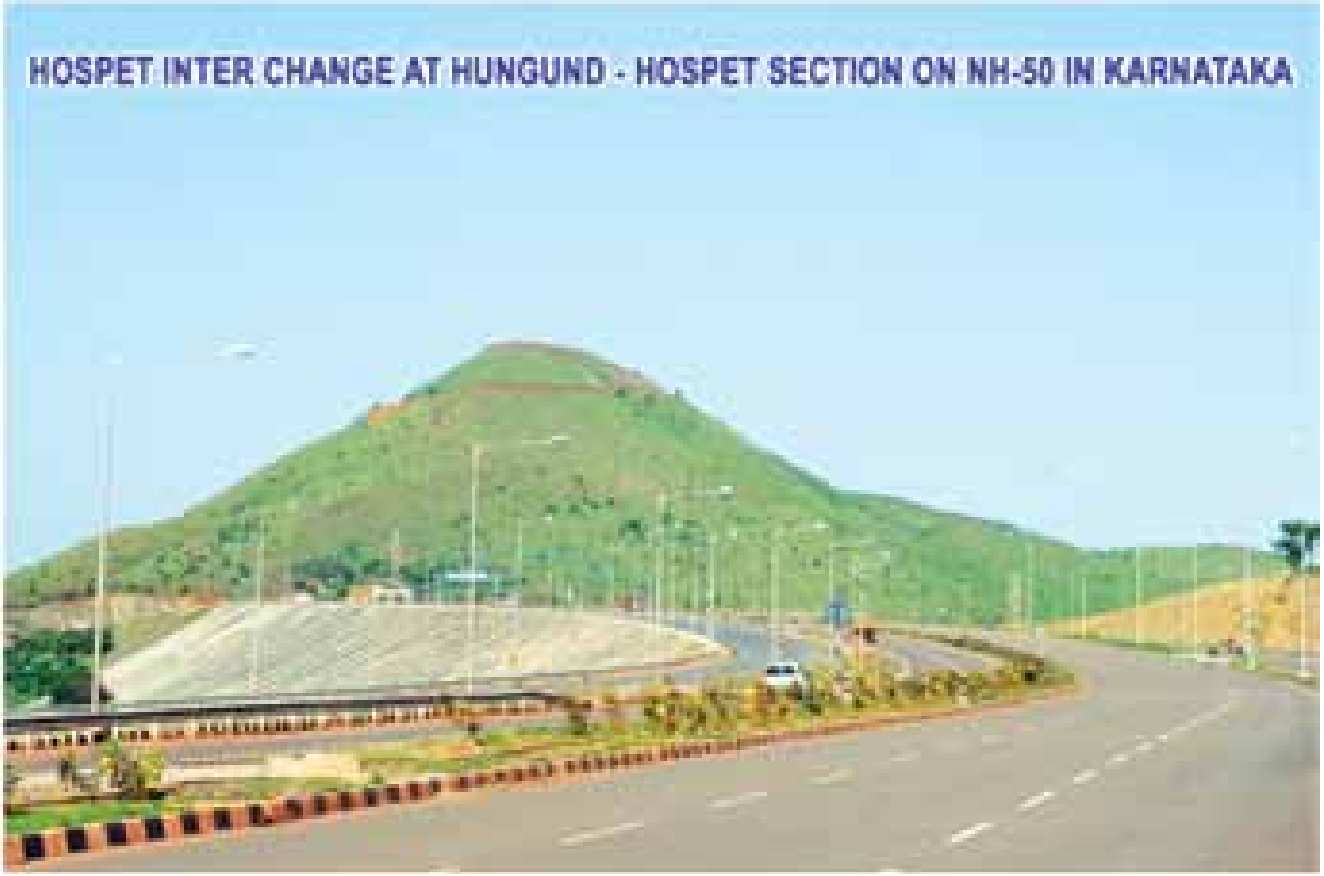

राष्ट्रीय राजमार्ग – 48 का हनगुंड़– होसपेट खंड

अध्याय-X

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

10.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, निरूशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। चुने गए/नामित निरूशक्त, व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है। निरूशक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों के संबंध में 31 दिसंबर, 2014 के अनुसार स्थिति **परिशिष्ट–13** में दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–7 का धरमपुरी खंड

राष्ट्रीय राजमार्ग के ''ब्रिज और टनल'' का अप्रतिम दृश्य

परिवहन अनुसंधान पक्ष

11.1 परिवहन अनुसंधान पक्ष एक नोडल एजेंसी है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्नं प्रभागों को अनुसंधान सूचना, विश्लेषण तकनीकी टिप्पणियां तथा डाटा सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह पक्ष, परिवहन क्षेत्र के नीति नियोजन, समन्वय और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है।

11.2 परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़कों, सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन प्रसार और विश्लेषण करता है। इसके लिए यह पक्ष अनिवार्यतः विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एजेंसियों से डाटा एकत्रित करता है। इन स्रोतों से प्राप्त सूचना की जांच की जाती है, संगतता तथा विश्वसनीयता की दृष्टि से उसे मान्यता प्रदान की जाती है और तत्पाश्चात परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए वार्षिक प्रकाशनों में उसे समेकित और विश्लेषित किया जाता है। परिवहन अनुसंधान पक्ष अपने चार वार्षिक प्रकाशनों नामतः 'सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका', 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की पुनरीक्षा', 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' और 'भारत की मूल सड़क सांख्यकी' के माध्यम से डाटा के प्रसार में कमी और डाटा अन्तरालों को पाटने के उपाय करके सड़क परिवहन, सड़क सुरक्षा और सड़कों के डाटा बेस को सुदृढ़ करने का सतत प्रयास कर रहा है। इन चारों प्रकाशनों में प्रकाशित सूचना, डाटा पोर्टल इंडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है।

11.3 देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 50 मिलियन प्लस शहरों के सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का, विशेष रूप से तैयार किए गए 19 मद वाले फार्मेट में संग्रहण, संकलन और तुलना की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिवहन अनुसंधान विंग, 19 मद वाले फार्मेट में एकत्र किए गए डाटा के आधार पर भारत में दुर्घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण और समीक्षा करता है। 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं': 2013 का नवीनतम अंक, परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा अगस्त 2014 में निकाला गया।

11.4 परिवहन अनुसंधान पक्ष ब्लैक स्पाटों के संबंध में डाटा संकलन, ब्लैक स्पाटों में सड़क दुर्घटना घातकताओं में कमी लाने के संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने में सक्रिय रूप से शामिल है। ब्लैक स्पोंट असमान्य रूप से बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं वाले स्थान होते हैं। लगभग 85% सड़क दुर्घटनाओं वाले 13 राज्यों से अपने राज्यों में सर्वाधिक 25 ब्लैक स्पोट अभिज्ञात करने और उनका ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया। ये राज्य हैं (i) आंध्र प्रदेश (ii) बिहार (iii) छत्तीसगढ़ (iv) गुजरात (v) हरियाणा (vi) कर्नाटक (vii) केरल (viii) मध्यप्रदेश (ix) महाराष्ट्र (x) राजस्थान (xi) तमिलनाडु (xii) उत्तर प्रदेश (xiii) पश्चिम बंगाल।

11.5 'राज्ये सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा' नामक प्रकाशन में प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के निष्पादनों का उल्लेख किया गया है। इसमें विभिन्नं अभिज्ञात पैरा मीटरों के अनुरूप राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की भौतिक और वित्तीय निष्पाादनों का उल्लेख किया गया है। मौजूदा 54 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में से 38 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अपेक्षित फार्मेट में आंकड़ें दिए गए हैं। अद्यतन 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा'– यात्री सेवाएं (अप्रैल 2012–मार्च 2013) जनवरी, 2014 में जारी की गई थी। 31 मार्च, 2014 तक की जानकारी वाली 'राज्यसड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा' भी प्रकाशन के लिए तैयार है।

11.6 05 फरवरी, 2014 को हुई परिवहन विकास परिषद की 35वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने पर्यटक बसों और 7.5 टन जीवीडब्यू की तक के माल वाहनों के मोटरवाहन कराधान की राष्ट्रीय परमिट पद्धति के मुद्दे पर एक शक्ति सम्पन्न समिति गठित की। इस समिति ने परिवहन आयुक्त (बिहार) की अध्यक्षता में अनेक विचार–विमर्श किए। ये विचार–विमर्श विभिन्न राज्यों और ट्रांसपोर्टर संघों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारियों के साथ किए गए थे। सलाहाकार (टीआर) इस शक्ति सम्पन्न समिति के संयोजक है। 7.5 टन जीवीडब्लयू तक के माल वाहनों के मोटरवाहन कराधान संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों प्रस्तुत कर दी गई है।

11.7 परिवहन अनुसंधान स्कांध राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति द्वारा तैयार की गई। '2032 की ओर अग्रसर भारत' नामक भारत परिवहन रिपोर्ट के लिए सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराने में सक्रीय रूप से शामिल है। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति के अध्यक्ष द्वारा यह रिपोर्ट 31 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत की गई थी।

11.8 'भारत की मूलभूत सड़क सांख्यिकी' नामक प्रकाशन में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य् राजमार्गों, शहरी सड़कों, ग्रामीण सड़कों और परियोजना सड़कों सहित सड़क नेटवर्क के बारे में विस्त्त सूचना उपलब्ध कराई गई है। इसमें दिए गए आंकड़ों का संग्रहण केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों में देश भर में फैली लगभग 280 स्रोत एजेसिंयों से किया गया है। 'भारत की मूलभूत सड़क सांख्यिकी' का अगला अंक संकलित किया जा रहा है।

11.9 परिवहन अनुसंधान स्कंध द्वारा संकलित और प्रकाशित आंकड़ों से यथा साक्ष्यांकित भारत में सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः

- 31 मार्च, 2013 के अनुसार भारत में 172,916 हजार' पंजीकृत मोटर वाहन थे। **परिशिष्ट–14**
- दो लगातार वर्षों अर्थात 2012 और 2013 में में पहली बार सड़क दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों और घायल व्यक्तियों की संख्या में कमी आई थी।
- सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या में कमी आई जो 2012 में 4,90,383 से घट कर वर्ष 2013 में 4,86,476 थी। **परिशिष्ट–15**
- प्रति लाख जनसंख्यां पर दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी हुई जो 2012 में 39.9 से घट कर वर्ष 2013 में 38.9 थी।
- सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्युक्तियों की संख्या में भी वर्ष 2012 में 1,38,258 की तुलना में वर्ष 2013 में 1,37,572 की कमी हुई।
- सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल भी प्रति लाख जनसंख्या पर 2012 में 11.2 से घटकर 2013 में 11.0 हो गई।
- सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की संख्या में भी संपूर्ण तथा सापेक्ष दोनों ही रूप में कमी आई। वर्ष 2012 में सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतम 5,09,667 इतने लोग घायल हुए जबकि वर्ष 2013 में घायल व्यक्तियों की संख्या 4,94,893 थी।
- प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2012 में 41.4 से घटकर वर्ष 2013 में 39.6 रही।

- 31 मार्च, 2013 तक की अवधि में कुल पंजीकृत मोटरवाहनों के 72.7% 'के रूप में दुपहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक थी।
- 31 मार्च, 2013 को देश की कुल सड़क लम्बाई 52.63 लाख किमी थी*।
- वर्ष 1951 से 2013 के दौरान कुल सड़क लम्बाई का श्रेणीवार ब्यौरा **परिशिष्ट 16** में दिया गया है।

* - **अनंतिम**

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 4/सी पर अंतर्राष्ट्रीय कंटनेर ट्रासशिपमेट टर्मिनल

विजयवाड़ा – चिलकालूरीपेट राष्ट्रीय राजमार्ग खंड

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12.1 पारस्परिकता, समानता और परस्पर लाभ के आधार पर, सड़कें/राजमार्गों, परिवहन और सड़क सम्पर्कता के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के प्रति निरंतर प्रयास के तौर पर मंत्रालय का अंतर–राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्त्रर के कार्यकलापों में कार्यरत रहा।

12.2 अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/ करार

(क) सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा जापान के भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के बीच 01 सितम्बर, 2014 को सहयोग की एक संरचना पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) काठमांडु में सार्क समिट की तर्ज पर 25.11.2014 को भारत गणराज्य और नेपाल सरकार के बीच यात्री यातायात विनियमन के लिए एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) जून, 2014 में भारत और म्यांकमार के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा इम्फाल, मणिपुर से म्यांमार में मंडले तक बस सेवा प्रारम्भ किए जाने के लिए एक करार और प्रोटोकोल का मसौदा तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

12.3 अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग का सुदृढ़ीकरण

(क) दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा काठमांडु–दिल्ली बस सेवा का शुभारंभ किया गया और साथ ही और दैनिक आधार पर काठमांडु–भैराहावा–सुनोली–गौरखपुर–लखनऊ–नई दिल्ली के सहमत मार्ग पर मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा नई दिल्ली में दिल्ली–काठमांडु बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। भारत की ओर से इस सेवा का प्रचालन दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली–काठमांडू बस सेवा का उद्घाटन

(ख) दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बंगलादेश और म्यांमार के साथ व्यापार और जनता का जनता के साथ संपर्क सुधारने के लिए क्रमशः गुवाहाटी–शिलोंग–ढाका मार्ग और इम्फाल–मंडल मार्ग पर बस सेवा करारों को अंतिम रूप दिए जाने विचार–विमर्श और बातचीत कर रहा है। शिलोंग के रास्ते गुवाहाटी–ढाका मार्ग पर बस सेवा के लिए भारत और बंगलादेश के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा दिसम्बर, 2014 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया और संयुक्त प्रतिनिधि मंडलों ने यह सिफारिश की कि इस मार्ग पर नियमित बस सेवा प्रारम्भ की जा सकती है। इसी प्रकार व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात भारत और म्यांमार इम्फाल और मंडल के बीच बस सेवा प्रारम्भ किए जाने के लिए सहमत हुए है। 11–15 जनवरी, 2015 को दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इस मार्ग का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन प्रणाली के लिए यूके के साथ सहयोग और अंतर–देशीय जलमार्ग और पत्तानों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए नीदरलैंड के साथ सहयोग के प्रयोजन के लिए नवम्बर, 2014 में यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड गए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा किया गया।

(घ) 29–30 अक्टूबर, 2014 को काठमांडु, नेपाल के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य दोनों देशों के

बीच लम्बित विभिन्न मामलों का समाधान करना और बस सेवा प्रारम्भ किए जाने के लिए नेपाल का भरोसा हासिल करना था जिससे नवम्बर, 2014 में सार्क समिट के दौरान दिल्ली–काठमांडु बस सेवा प्रारम्भ करने के लिए नेपाल के साथ करार पर हस्ताक्षर किया जाना सुकर होगा।

(ङ) जापान के साथ हस्ताक्षरित सहयोग की संरचना के अंतर्गत सड़क अवसंरचना और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करने के लिए 24 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) और जापान के भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडलों की एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। जापान के साथ सहयोग की संरचना के अंतर्गत गठित संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक का आयोजन भी इस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अक्टूबर, 2014 में किया गया।

(च) सहमत मार्गों में से वाराणासी–काठमांडु बस सेवा अर्थात् वाराणासी–आजमगढ़–सुनोली–भेहराहावा –काठमांडु को वाराणसी से 4 मार्च, 2015 को प्रारंभ किया गया और साथ ही 5 मार्च, 2015 को काठमांडु से काठमांडु–वाराणासी सेवा को रवाना किया गया। भारत की ओर से इस सेवा का प्रचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएस आरटीसी) द्वारा किया जा रहा है।

12.4 क्षेत्र स्तरीय सहयोग

(क) सार्क देशों के बीच मोटरवाहन संबंधी क्षेत्रीय करार के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ दल की तीसरी बैठक 7–8 सितम्बर, 2014 को नीमराणा (राजस्थान) में आयोजित की गई थी। इस बैठक में मालदीव के सिवाय सभी सदस्य देशों ने भाग लिया। इस दल ने करार के मसौदे के पाठ का अनुच्छेद– दर– अनुच्छेद विचार किया और कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया जिस पर सर्वसम्मति बनी। सदस्य देशों की टिप्पणियों के साथ करार अंतिम रूप दिए मसौदे को सार्क सचिवालय द्वारा 30 सितम्बर, 2014 को परिवहन संबंधी अंतर–सरकारी दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने करार के मसौदे को अंतिम रूप दिया। करार में सदस्य देशों के लिए करार की विभिन्न शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन कार्गो और यात्रियों के लिए अपने भू–भाग में दूसरे सदस्या देश के वाहनों को अनुमत करने और करार में यथा निर्धारित प्रक्रिया और प्रोटोकोल के अनुरूप सदस्यदेशों से ऐसे परिवहन के लिए परमिट प्राप्त करने का प्रावधान है। इस करार पर नवम्बर, 2014 में सार्क समिट के दौरान हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव था किंतु पाकिस्तान की आशंकाओं के चलते इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके।

(ख) उपक्षेत्रीय स्तर पर बीबीआईएन मोटर वाहन करार के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के सचिवों की बैठक 2–3 फरवरी, 2015 को राईचक, कोलकता में 'चारों देशों के यात्री, कार्मिक और कार्गों व्हीक्यूलर यातायात के विनियम के लिए मोटर वाहन करार' नामक करार का संरचनागत करार के मसौदे पर सहमति बनाने के लिए आयोजित की गई। यह करार चारों देशों को जोड़ने वाले परिवहन महामार्गों को आर्थिक महामार्ग में परिवर्तन करने और लोगों का लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने में सहायता करेगा। बीबीआईएन मोटर वाहन करार के पाठ को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल, 2015 में परिवहन मंत्रियों की प्रस्तावित बैठक के दौरान इस करार पर हस्ताक्षर किये जा सकने से पूर्व संबंधित देश अपना–अपना आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

SAARC

SAARC MOTOR VEHICLES
AGREEMENT

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के भीतर आते हैं:

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा।
2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का संचालन।
3. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
4. विधायी विभाग की जांच और विधीक्षा किए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड 'क', धारा 3क, 3घ, 7 और 8क के अंतर्गत अधिसूचनाओं को जारी करना।

II. संघ राज्य 9 क्षेत्रों के संबंध में:

5. राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कें।
6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का संचालन और मोटर वाहनों का कराधान।
7. यांत्रिक रूप से सुसज्जित वाहनों से इतर वाहन।

III. अन्य विषय जो पूर्व भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं:

8. केन्द्रीय सड़क निधि।
9. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान।
10. केन्द्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित सड़क कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क कार्यों के अलावा।
11. मोटर यान विधान
12. मोटर परिवहन और आंतरिक जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन।
13. सड़कों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति को तैयार करना।

IV. स्वायत्त निकायः

14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

V. सोसायटी/संघः

15. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

VI. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमः

16. भारतीय सड़क निर्माण निगम

VII. अधिनियमः

17. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64)।
18. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)।
19. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)।
20. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68)।

एड्स को जानें, एड्स को समझें, जुग-जुग जियें.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

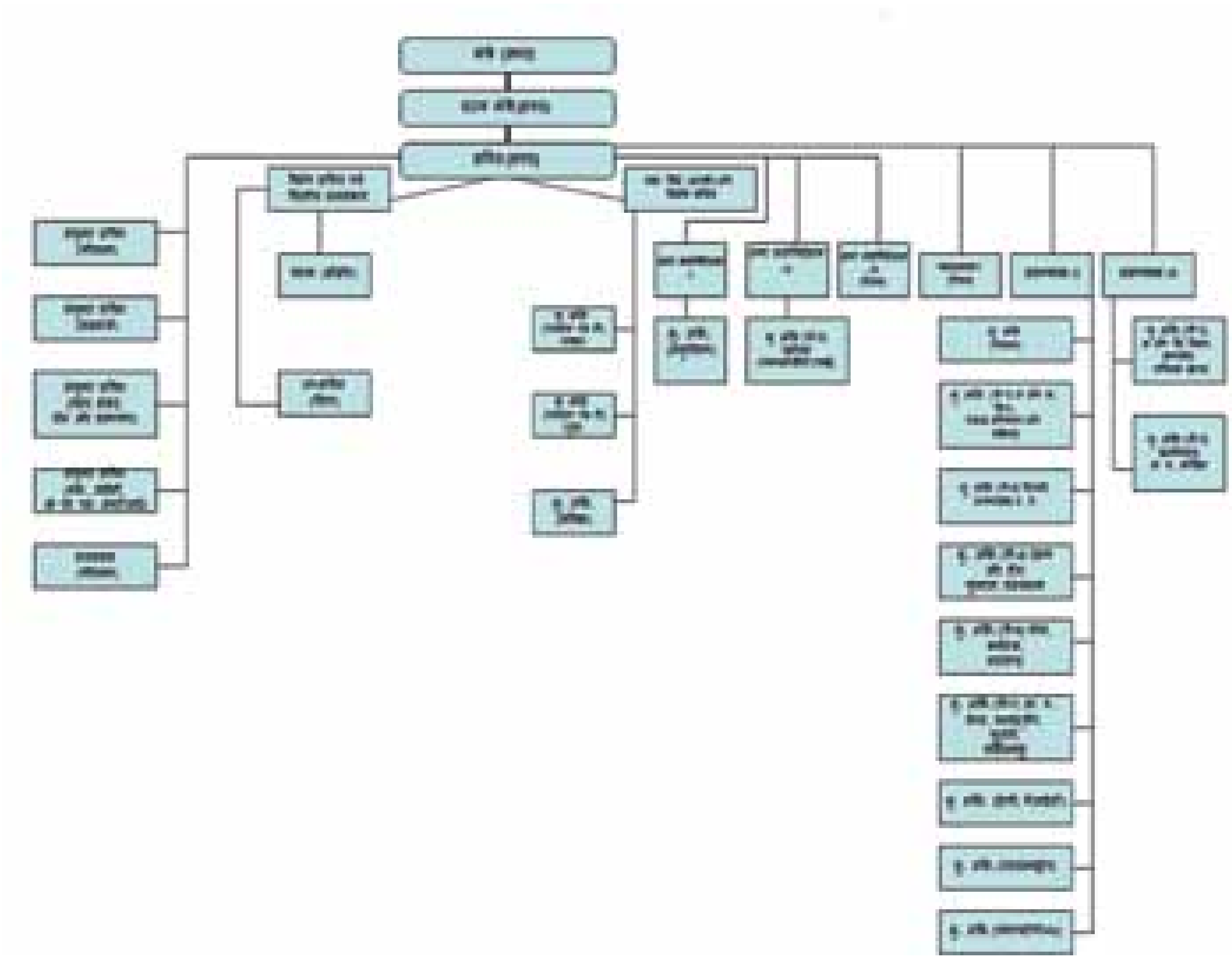

देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 42 नया, 43, 63, 67 विस्तागर. नया, 150 नया,167 नया, 202, 205, 214, 214ए, 216, 219, 221, 222, 234, 326, 67 नया,71 नया, 161 नया, 340 नया, 363 नया, 365 नया, 565 नया,765 नया	4669.74
2	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी विस्ता,र, 37 विस्ताार., 315ए, 713 नया, 513 नया, 313 नया, 113 नया और 713ए नया	2513.05
3	असम	6 नया, 31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 117ए नया, 127बी नया, 127ई नया, 151,152, 153, 154, 315ए नया, 127सी नया और 127डी नया, 329 नया, 427 नया, 627 नया, 702 नया, 702बी नया, 702सी नया और 715ए नया	3783.23
4	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 122ए नया, 131ए नया, 133 नया, 133बी नया, 219 नया, 327ए नया, 327 विस्ता0र. नया, 333 नया, 333ए नया, 333बी नया, 527ए नया, 527सी नया और 766सी	4572.48
5	चंडीगढ़	21	15.28
6	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 111, 130ए नया, 130बी नया, 130सी नया, 130डी नया, 149बी नया, 163ए नया, 200, 202, 216, 217, 221, 343 नया, 930नया	3078.40
7	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236	80.00
8	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	262.00
9	गुजरात	एनई–I, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 56, 58 नया, 59, 113 228, 251 नया, 753बी नया, 848 और 848ए नया, 848बी नया, 341 नया, 68 विस्तार. नया, 147ए नया, 168 नया, 168ए नया, 351 नया, 927डी नया और 953 नया	5015.29
10	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 11 नया, 21ए, 22, 54 नया, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए , 71बी, 236, 248 ए नया, 334बी नया, 703 नया, 709 विस्तार नया. और एनई–II	2057.48

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
11	हिमाचल प्रदेश	1ए, 3 नया, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88, 73ए, 154ए नया, 305 नया, 503 नया, 503 विस्तार. नया और 505 नया	2396.48
12	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 3 नया, 144 नया, 144ए नया, 301 नया, 444 नया, 501 नया और 701 नया	2319.00
13	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 43 नया, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114ए नया, 133 नया, 133ए नया, 143 नया, 143ए नया, 220 नया, 333 नया, 333ए नया, 343 नया और 419 नया	2631.64
14	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 50 नया, 63, 67, 67नया, 150, 150 विस्ता,र. नया, 150ए नया, 167 नया, 169ए नया, 173 नया, 206, 207, 209, 212, 218, 234, 275 नया और 367 नया	6432.29
15	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 183ए नया, 185 नया, 208, 212, 213, और 220	1811.52
16	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 43 नया, 56 नया, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86, 92 और 927ए नया	5184.57
17	महाराष्ट्र	3, 4, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 69, 150 विस्ता4र. नया, 161 नया, 204, 211, 222, 348 नया, 848 नया, 160 नया, 166 नया, 166ए नया, 348 नया, 348ए नया, 353सी नया, 353डी नया, 353ई नया, 361 नया, 363 नया, 547ई नया, 548 नया, 753 नया, 753ए नया, 753बी नया, 848ए और 930 नया	7047.79
18	मणिपुर	39, 53, 102 नया, 102ए नया, 102बी नया, 129ए नया, 108ए नया, 129 नया, 137 नया, 150, 155, 702ए नया	1699.74
19	मेघालय	40, 44, 51, 62 और 127बी नया	1204.36
20	मिजोरम	6 नया, 44ए, 54, 54ए, 54बी, 150, 154, 302 नया और 502ए नया	1381.00
21	नगालैंड	36, 39, 61, 129 नया, 129ए, 150, 155, 702 नया, 702ए नया और 702बी नया	1080.09
22	ओडिशा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 130सी नया, 153बी नया, 157 नया, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 220 नया, 224, 326 नया और 326 ए नया	4644.52

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
23	पुदुच्चेरी	45ए और 66	64.03
24	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72, 95, 103 ए नया, 154ए, 344ए नया, 503 विस्तार. नया, 703 नया 703ए नया और 754 नया	2239.15
25	राजस्थान	3, 3ए नया, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 25 विस्तार. नया, 54 नया, 65, 65ए नया, 71बी, 76, 76ए नया, 76बी नया, 79, 79ए नया, 89, 90, 113, 112, 114, 116, 116ए नया, 158 नया, 162ए नया, 162 विस्तार. नया, 168 नया, 168ए नया, 248ए नया, 325 नया, 709 विस्तार. नया और 927ए नया	7886.20
26	सिक्किम तमिलनाड	31ए, 310, 310ए नया, 510 नया, 710 नया	309.00
27	त्रिपुरा	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226विस्तार., 227, 230, 234, 381 नया, और 532 नया	5006.14
28	उत्तराखंड	44 , 44ए और 208 नया	577.00
29	उत्तर प्रदेश	7, 9, 16 202 ,221,222,326 नया, 167 नया, 150 नया, 363 नया, 365 नया, 565 नया, 161, 765 नया, 50 नया, 563 नया और 365ए नया	2686.84
29	पश्चिम बंगाल	58, 72, 72ए, 72बी,73, 74, 87, 87 विस्तार., 94, 107 नया, 108, 109, 123, 119, 121 , 125और 309ए नया	2409.92
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2, 2ए, 3, 3ए नया, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93 ,96, 97 , 119, 219 नया, 231, 232, 232ए, 233, 235, 330, 330ए नया, 334बी नया, 730 नया, 730ए नया, 931 नया, 931ए नया और एनई–II	7863.00
31	दादर नगर हवेली	2, 2बी, 6, 10, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81, 114ए नया, 116बी नया, 117, 131ए, 133ए नया, 317ए, 327बी, 512 नया और 717.	2909.80
32	दमन और दीव	223	330.70
33	मिजोरम	848ए नया	31.00
34	नगालैंड	848बी नया और 251 नया	22-00
		जोड़	96214.72

एनएचडीपी चरण-VII के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए खंडों की अनंतिम सूची

क्र. सं.	शहर परियोजना का नाम
1	हैदराबाद के लिए रिंग रोड़/बाईपास
2	तिरूनेलवेली के लिए रिंग रोड़/बाईपास
3	कानपुर के लिए रिंग रोड़/बाईपास
4	रारा 75 पर रांची में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शएन/फ्लाईओवर
5	तिरूचिरापल्ली के लिए रिंग रोड़/बाईपास
6	नासिक के लिए रिंग रोड़/बाईपास
7	रारा 9 और रारा 211 के जंक्शन पर शोलापुर में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
8	चैन्नई के लिए रिंग रोड़/बाईपास
9	जयपुर के लिए रिंग रोड़/बाईपास
10	अमृतसर के लिए रिंग रोड़/बाईपास
11	रारा 211 और रारा 212 के जंक्शन पर पादालसिंगी और गांधी में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
12	मदुरै के लिए रिंग रोड़/बाईपास
13	पटना के लिए रिंग रोड़/बाईपास
14	तिरूअनंतपुरम के लिए रिंग रोड़/बाईपास
15	सूरत के लिए रिंग रोड़/बाईपास
16	अलीगढ़ के लिए रिंग रोड़/बाईपास
17	बेंगुलुरू के लिए रिंग रोड़/बाईपास
18	रारा 50 और रारा 222 के जंक्शन पर एल्फेसटा में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शसन/फ्लाईओवर
19	अहमदाबाद के लिए रिंग रोड़/बाईपास
20	विशाखापट्नम के लिए रिंग रोड़/बाईपास
21	जम्मू और श्रीनगर शहर के लिए रिंग रोड़/बाईपास
22	कोलकाता के लिए रिंग रोड़/बाईपास
23	चैन्नई पत्तन में उत्थापित लिंक सड़क
24	मेरठ के लिए रिंग रोड़/बाईपास
25	कोयम्बेटूर के लिए रिंग रोड़/बाईपास
26	भोपाल के लिए रिंग रोड़/बाईपास
27	सेलम के लिए रिंग रोड़/बाईपास
28	नागपुर के लिए रिंग रोड़/बाईपास
29	इंदौर के लिए रिंग रोड़/बाईपास
30	लखनऊ के लिए रिंग रोड़/बाईपास
31	इम्फाल के लिए रिंग रोड़/बाईपास
32	पुणे के लिए रिंग रोड़/बाईपास
33	वाराणसी के लिए रिंग रोड़/बाईपास
34	धनबाद के लिए रिंग रोड़/बाईपास
35	रांची के लिए रिंग रोड़/बाईपास
36	रारा 17 और रारा 204 के जंक्शन पर रत्नागिरी के समीप में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शा/फ्लाईओवर

सौंपी गई परियोजनाओं का ब्यौरा 2014-15 के दौरान सौंपी गई परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रारा सं.	लम्बाई	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू.)	वित्तर पोषक	श्रेणी	सौंपे जाने की तारीख	**राज्य**
1	रारा–83 पटना–गया–धोबी खंड को 4 लेन बनाना	83	127.2	1027	एनएचए	एनएचडीपी चरण III	अक्टूबर–14	बिहार
2	रारा–102 छपरा–रीवाघाट–मुज्जाफरपुर खंड को पेव्ड शोल्डकर सहित 2 लेन बनाना	102	73.08	415.71	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	जून–14	बिहार
3	हरियाणा राज्य में रारा–1 पर बहालगढ़ चे. 41.210 पर फ्लाईओवर का निर्माण और रसोई चे. 32.28 के समीप अतिरिक्तो 2 लेन पुल का निर्माण	1	0	77.97	एनएचए	ब्जीईते	मई–14	हरियाणा
4	औरंगाबाद–येदिशी खंड को 4 लेन बनाना	211	190.2	1871.34	बीओटी	एनएचडीपी चरण IV	अप्रैल–14	महाराष्ट्र
5	रारा–23 के किमी 8.5 से किमी 14.86 सहित रारा–200 के किमी 301.89 से किमी 427.85 तक के तलचर–डुबरी–चंडीखोल खंड को 2/4 लेन बनाना	23 और 200	132.35	996.37	एनएचए	एनएचडीपी चरण III	अक्टूबर–14	ओडिशा
6	रारा–15 के फालोदी–जेसलमेर खंड को किमी 163.40 से किमी 323.85 तक पीएस सहित 2	15	160.45	567ण51	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	अक्टूबर–14	राजस्थान
7	राजस्थान राज्य में रारा–15 के किमी 4.200 से किमी 255.250 तक बीकानेर–फालोदी खंड को 4 लेन बनाना और किमी 55. 250 से किमी 163.500 को पेव्डम शोल्डरर सहित 2 लेन बनाना	15	160.3	822.9	बीओटी	एनएचडीपी चरण IV	अगस्त–14	राजस्थान
8	केथल–राजस्थान सीमा का 4 लेन बनाना	65	166.25	1393	बीओटी	एनएचडीपी चरण IV	मई–14	राजस्थान
9	जेसलमेर–बाडमेर	15	131.41	482.27	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	अप्रैल–14	राजस्थान
10	पैकेज–I का जोधपुर–बाडमेर खंड	112	85.61	264.72	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	अप्रैल–14	राजस्थान
11	पैकेज–II का जोधपुर–बाडमेर खंड	112	74.1	206.12	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	अप्रैल–14	राजस्थान
12	रारा–210 के करईकुडी–रामनाथपुर खंड को पेव्डर शोल्डुर सहित 2 लेन बनाना	210	80	451.58	एनएचए	एनएचडीपी चरण III	अक्टूबर–14	तमिलनाडू
13	तंजौर–पुडुकोटाई	226	55.28	283.87	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	सितम्बर–14	तमिलनाडू
14	थिरूमायम–मनमादुरैई खंड	226	77.72	401.11	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	अप्रैल–14	तमिलनाडू
15	रारा–125 सितारगंज–तन्ना–कुर खंड को पेव्ड् शोल्डुर सहित 2 लेन बनाना	125	52	243.11	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	अक्टूबर–14	उत्तराखंड
16	जोधपुर–पोखरण	114	139.32	455.6	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	दिसम्बर–14	राजस्थान

एड्स को जानें, एड्स को समझें, जुग-जुग जियें.

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रारा सं.	लम्बाई	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू.)	वित्तर पोषक	श्रेणी	सौंपे जाने की तारीख	**राज्य**
17	चास–रामगढ़	23	78.19	341.61	एनएचए	एनएचडीपी चरण IV	दिसम्बर–14	झारखंड़
18	लुधियाना–तलवंडी	95	6.02	46.57	एनएचए	एनएचडीपी चरण III	नवम्बर–14	पंजाब
20	चित्रदुर्ग–शिमोगा (2एलपीएस)	13	111	334	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	मई 14	कर्नाटक
21	नागार्जुन सागर डेम से देवुलापल्लीव (किमी 86.57 से किमी 133.922)	565	47	196	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	अप्रैल 14	आंध्र प्रदेश
22	देवुलापल्लीश से मरकापुर (किमी 154.900 से किमी 198.694)	565	43	170	एनएचएआई	एनएचडीपी IV	अप्रैल 14	आंध्र प्रदेश
23	केरल सीमा–कोलेगल (2एलपीएस)	212	132	419	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	मई 14	कर्नाटक
24	गोरखपुर–फरेंदा–सोनोली	29ड.	81.41	441	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	मई 14	उत्तर प्रदेश
25	मरकापुरम से वेग्गुमपल्लीं (किमी 198.694 से किमी 294.000)	565	95	405	एनएचएआई	एनएचडीपी IV	मई 14	आंध्र प्रदेश
26	वेग्ग मपल्लीं से दोरनाला टी–जंक्शन (किमी 294.000 से किमी 361.327)	565	67	251	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	मई 14	आंध्र प्रदेश
27	रारा 149क पलहेडा से पत्रि खंड	149	68	342	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	सितम्बर 14	ओडिशा
28	भारत–नेपाल सीमा से रूधोली	233	66	355	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	अक्टूबर 14	उत्तर प्रदेश
29	रारा 71 के किमी 181.850–211.390 का संगरूर–डोगलकलां (4 लेन) खंड	71	29.54	463	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	नवम्बर 14	पंजाब
30	रूधोली से घाघरा पुल	233	56.00	391	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	नवम्बर 14	उत्तर प्रदेश
31	रारा 71 के किमी 211.390–238.698 का डोगलकलां–पंजाब/ हरियाणा सीमा (4 लेन) खंड	71	27.00	574	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	नवम्बर 14	पंजाब
32	रारा 67 के किमी 695–742/600 का माइदुकुर से नेल्लूदर खंड	67	44.50	297.78	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	नवम्बर 14	आंध्र प्रदेश
33	रारा 221 के किमी 71/200 से 121/100 का आंध्र प्रदेश/ तेलंगाना सीमा से रूद्रामपुर खंड	221	49.42	244.3	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	नवम्बर 14	तेलंगाना

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रारा सं.	लम्बाई	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू.)	वित्तर पोषक	श्रेणी	सौंपे जाने की तारीख	**राज्य**
34	रारा 65 के किमी 180.500 से 267.500 का नागपुर बाईपास के अंतिम छोर से नेत्राग्राम (2एल़पीएस) खंड	65	87.00	350	एनएचएआई	एनएचओ	दिसम्बर 14	राजस्थान
35	रारा 65 के किमी 180.500 से 267.500 नेत्राग्राम से मंदौर खंड (4 लेन)	65	28.00	269	एनएचएआई	एनएचओ	दिसम्बर 14	राजस्थान
36	रारा 43 के किमी 81.500 से 130.00 धामत्री से कंकेर खंड	43	48.41	213.47	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	दिसम्बर 14	छत्तीसगढ
37	रारा 43 के किमी 241.00 से 298.000 का धिकोंडा से जगदलपुर खंड	43	56.90	262.54	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	दिसम्बर 14	छत्तीसगढ़
38	रारा 64 का पटियाला–भटिंडा में संगरूर और धनोला बाईपास (4 लेन) खंड	64	18.00	315	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	दिसम्बर 14	पंजाब
39	रारा 75 के किमी 2/800 से 33/200 और किमी 55/400 से 83/400 तक गुरह और सीधी बाईपास सहित रीवा सीधी खंड (2एल़पीएस)	75	57.80	382.73	एनएचएआई	एनएचओ	दिसम्बर 14	मध्य प्रदेश
40	रारा 221 के किमी 32/735 से 71/200 तक चंद्रगुडेम से आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	221	38.00	144.3	एनएचएआई	एनएचडीपी चरण IV	दिसम्बर 14	आंध्र प्रदेश
	जोड़		3090	17429				

वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न 8 योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार अनंतिम आबंटन का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास*	अनुरक्षण*
1.	आंध्र प्रदेश	162.00	113.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	15.66
3.	असम	137.27	91.19
4.	बिहार	387.81	169.79
5.	चंडीगढ़	5.00	12.01
6.	छत्तीढसगढ़	65.26	61.66
7.	दिल्ली	5.00	0.61
8.	गोवा	16.00	29.00
9.	गुजरात	206.21	83.41
10.	हरियाणा	43.00	10.54
11.	हिमाचल प्रदेश	152.00	44.81
12.	जम्मू और काश्मीर	25.00	1.82
13.	झारखंड	119.00	60.01
14.	कर्नाटक	220.00	87.84
15.	केरल	224.00	73.97
16.	मध्यप्रदेश	175.02	35.18
17.	महाराष्ट्र	128.40	104.10
18.	मणिपुर	30.00	20.51
19.	मेघालय	35.00	20.61
20.	मिजोरम	32.00	19.86
21.	नगालैंड	48.00	14.89
22.	ओडिशा	300.72	67.35
23.	पुदुच्चेरी	12.00	1.60
24.	पंजाब	109.00	64.39
25.	राजस्थान	150.00	125.76
26.	तमिलनाडु	211.78	71.54
27.	तेलंगाना	195.00	82.51
28.	त्रिपुरा	2.00	5.85
29.	उत्तर प्रदेश	305.01	221.62
30.	उत्तराखंड	146.44	52.96
31.	पश्चिम बंगाल	542.00	70.76
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.00	3.54

दिसम्बर, 2014 के अनुसार आबंटन

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटन और जारी

वर्ष	2000—01		2001—02		2002—03	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रू. सीत.	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	2003—04		2004—05		2005—06	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रू. सीत.	910.76	778.94	868.00	607.40	1535.36	1299.27
वर्ष	2006—07		2007—08		2008—09	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रू. सीत.	1535.46	1462.29	1565.32	1322.19	2171.64	2122.00
वर्ष	2009—10		2010—11		2011—12	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रू. सीत	1786.56	1344.98	2714.87	2460.29	2288.65	1927.39
वर्ष	2013—14		2014—15			
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी		
करोड़ रू. सीत.	2359.91	2226.60	2642.63	1382.47		

*दिसम्बर, 2014 तक

अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्य (तकनीकी और गैर-तकनीकी)

ग्रुप	स्वीकृत कार्य बल	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्यां	अ. जा.	अ.ज. जा.	तैनात कुल कर्मचारियों में अ. जा. का :	तैनात कुल कर्मचारियों में अ. ज. जा. का :
तकनीकी						
ए	227	183	28	11	15.30	6.01
बी	81	39	9	4	23.07	10.25
सी	7	3	1	0	33.33	0.00
जोड़	315	225	38	15	16.89	6.67
गैर–तकनीकी						
ए	65	62	4	7	6.45	11.29
बी	249	173	22	14	12.72	8.09
सी	196	135	32	9	23.70	6.67
सीख्एमटीएस,	172	149	57	9	38.26	6.04
जोड़	682	519	115	39	22.16	7.51

लोक लेखा समिति (पीएसी) के पेरा/रिपोर्ट और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट/पेरा के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी नोट का ब्यौरा

क्र. सं.	पीएसी/लेखा परीक्षा रिपोर्ट की संख्याम और शीर्ष	की गई कार्रवाई
1	पीएसी की 9वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) (पीएसी की 64वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) पर संसद में प्रस्तुीत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर–स्वीकृत अनुदान और भारित विनियोजन (2010–11) पर आधिक्य की गई कार्रवाई प्रस्तुात करने का कार्य स्थारयी लेखा परीक्षा समिति की समीक्षाधीन है।	समिति की इस प्रयोजन के लिए आवधिक बैठकें आयोजित की जाती है।
2	रिपोर्ट सं. 2014 की 25–संघ सरकार (सिविल–लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। सीएबी द्वारा संसद के समक्ष संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत न किए जाने और रिपोर्ट में उल्लिखित मात्रा में इस मंत्रालय से संबंधित वे–इन–मोशन कम आटोमेटिक ट्रेफिक काउंटर कम क्ला्सीफायर मशीन के प्रापण के संबंध में निष्फल व्यय से संबंधित लेखा परीक्षा पैरा।	–तदैव
3	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2014 की रिपोर्ट सं. 13 (लेखापरीक्षा टिप्पाणियों का अनुपालन। अध्योय ग्प्ट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित विषिश्टा लेखा परीक्षा पैरा शामिल है जिनमें (i) पथकर प्रचालन को प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब के कारण राजस्व हानि (ii) कमजोर ठेक प्रबंधन जिसके परिणामस्वरूप तरल क्षति की वसूली कम हुई (iii) ठेकेदार का अनुचित पक्ष लिया जाना। अध्याय XIX– इसमें विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यि क) की अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।	–तदैव
4	वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं. 36–संघ सरकार (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (व्यय विभाग के दिनांक 22.01.2015 के का.ज्ञा. सं. 12 (1)/ई समन्वय/2015 के संदर्भ में, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल करने का अनुरोध किया गया है, इस रिपोर्ट के संबंध में पैरा का सार **परिशिष्ट–8क** में दिया गया है।)	–तदैव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पाणियां

(सी.ए.जी. की वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं. 36)

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 नामक संसदीय अधिनियम द्वारा वर्श 1988 में अपने कार्य सिद्धांतों का निर्वहण करने के लिए एक निगमित निकाय के रूप में किया गया था।

'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन' संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण II, III, IV और V के अंतर्गत 94 परियोजनाएं शामिल हैं जो कि 31.03.2012 को सौंपी गई कुल 207 बीओटी परियोजनाओं का 45.41 प्रतिशत हैं। निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट 18 जुलाई, 2014 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तथ्यों और उसमें विहित आंकड़ों की संपुष्टिन करने तथा रिपोर्ट पर उनका उत्तर मांगने के लिए जारी की गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपना उत्तर सितम्बर, 2014 में प्रस्तुत किया। मंत्रालय/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए विचार संबंधित लेखा परीक्षा टिप्पणियों के अंतर्गत रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। मुख्या टिप्पणियों का सारांश निम्मलिखित हैः

- लेखा परीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका कि उन्न्यन के लिए राजमार्ग के खंडों के चयन में मंत्रालय द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंड अपनाया गया था। एनएचडीपी के अंतर्गत अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा एक बार अनुमोदित किए गए 42 खंडों को अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति का तदनन्तर अनुमोदन प्राप्त करते समय बिना किसी ओचित्य के 26 नए सड़क खंडों में प्रतिस्थापित किया गया था। मंत्रालय ने सीएजी को न तो यह स्पष्ट किया कि पहले निर्णीत खंडों की प्राथमिकता को बाद में कैसे परिवर्तित किया गया और न ही ऐसे प्रतिस्थापन के लिए रिकार्ड पर कोई कारण दर्ज किया गया था।
  (पैरा 2.1 और 2.1.2)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्श 2009–10 से 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और उन्यन के लिए 20 किमी प्रतिदिन का लक्ष्य हासिल करने का उल्लेख किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सर्वोत्तम उपलब्धि वर्ष 2011–12 के दौरान 17.81 किमी प्रतिदिन थी जो पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के बावजूद वर्ष 2012 के दौरान केवल 3.06 किमी प्रतिदिन कम हुई। (पैरा 2.3)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 31 मार्च, 2012 को स्थायी निक्षेप में 9,928.31 करोड़ रू. और 31 मार्च, 2013 को 5,933.59 करोड़ रू. जमा किए थे। सीएजी ने यह माना किकर मुक्त बांडों के माध्यम से निधि में से 9.85% प्रतिवर्ष की दर पर स्थायी निक्षेप में निवेशित आधिक्य राशि पर 32.45% की कार्पोरेट कर दर पर विचार करते हुए 135.87 करोड़ रू. की राशि का कर राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया है। (पैरा 3.2)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंस द्वारा जारी मूल लेखा सिद्धांतों और लेखा मानकों का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सम्पूर्ण सही लाभ नहीं दर्शाते। (पैरा 3.3)

- डीपीआर परामर्शदाता/प्राधिकरण/सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा या तो निर्माण प्रचालन और अंतरण विधि पर या निविदा प्रक्रिया के दौरान अव्यवहार्य मानी गई परियोजनाओं की प्रारम्भिक परियोजना मानदंडों में बडे संशोधन करने के बाद पुनःसंरचना की गई ताकि उन्हें व्यवहारिक बनाया जा सके, किन्तु ऐसे मामलों में नवीन आरफक्यू आंमत्रित नहीं की गई जिससे पारदर्शिता और प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के अभाव का पता चलता है। (पैरा 4.1.2)

- नागपुर–बेतूल और लखनऊ–रायबरेली नामक चार परियोजनाएं चार लेन बनाए जाने के लिए इस तथ्य के बावजूद अनुमोदित की गई कि अगल 5 से 12 वर्षों के दौरान यातायात की अपेक्षित न्यूनतम संख्या की भी आशा नहीं की गई थी। अनादेशित चार लेन के कार्य के परिणामस्वरूप निर्माण की लागत 1724.10 करोड़ रू. अधिक हुई जो सड़क प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली वृद्धिगत प्रयोक्ता फीस के अलावा परिहार्य थी जो कि दो लेन की अपेक्षा चार लेन के लिए 66.67% अधिक है। (पैरा 4.2.1.1 और पैरा 4.2.1.2)

- वाराणसी–औरंगाबाद परियोजना, जिसे 2034 तक 6 लेन बनाने की न्यूनतम सीमा थी, बीपीटी विधि पर 6 लेन बनाने का कार्य समय से पूर्व प्रारम्भ किया गया जिसके परिणामस्व रूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर वीजीएफ के रूप में 565 करोड़ रू. का अतिरिक्त बोझ पडा और 24 वर्षों के लिए सरकार द्वारा आगामी पथकर राजस्व पर भी प्रभाव पड़ा। (पैरा 4.2.2.1)

- रियायत अवधि निर्धारित करने के लिए राजमार्ग खंड पर कुल यातायात अपनाने के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रियायत अवधि निर्धारित करते समय केवल पथकर योग यातायात पर ही विचार किया जिसके परिणामस्वरूप उच्च रियायत अवधि निर्धारित की गई जिसके परिणाम स्वरूप रियायात अवधि के अन्त में अधिक यातातात जाम होने के अलावा विस्तारित अवधि के लिए पथकर के रूप में सड़क प्रयोक्ताओं पर 28,095.54 करोड़ रू. का अनादेशित भार पड़ा। (पैरा 4.3)

- रियायतग्राही द्वारा आकलित कुल परियोजना लागत प्राधिकरण द्वारा आकलित कुल परियोजना लागत की तुलना में अधिक थी। 94 परियोजनाओं में से 85 परियोजनाओं में रियायतग्राही द्वारा आकलित कुल परियोजना लागत 0.32 प्रतिशत से 223 प्रतिशत तक की रेंज में अधिक थी। जिससे रियायतग्राही को कम अवशिष्टं जोखिम के साथ लाभ हुआ। (पैरा 5.4)

- आंशिक रूप से पूरे किए गए चार खंडों पर पथकर अनुमत किए जाने के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप सड़क प्रयोक्ताओं पर 161.67 करोड़ रू. का अतिरिक्त भार पड़ा। (पैरा 5.7)

- 6 लेन वाली तीन परियोजनाओं में रियायतग्राही द्वारा संग्रहीत किया गया 902.89 करोड़ रू. की राशि का पथकर 'अवरूद्ध राशि लेखा' में अंतरित नहीं किया गया था जिससे रियायतग्राही

द्वारा पुर्वानुमानित लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था। दिल्ली–आगरा परियोजना के मामले में, जिसका सफल निविदाता मै. रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चिर लि. था, लक्ष्य हासिल करने में असफल रहने की स्थिदति में पथकर संग्रहण को अवरूद्ध किए जाने के लिए रियायत करार में अन्यल 6 लेन वाली परियोजनाओं में उपलब्धि अनुच्छेद 31.3.1क, रियायत करार में नहीं था। (पैरा 5.8)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 23 परियोजनाओं में क्षेत्र प्रसार में परिवर्तन पर 856.80 करोड़ रू. व्यय किए जिसमें से 662.53 करोड़ रू. दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट के कारण थे। (पैरा 5.9)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वाणिज्यिक प्रचालन तारीख समय पर हासिल न कर सकने के कारण पूरी हुई 6 वार्षिकी परियोजनाओं में पथकर संग्रहण का कार्य प्रारम्भ नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप 259.47 करोड़ रू. के अनुमानित पथकर राजस्व् का मिलान नहीं हुआ। इसके अलावा इन परियोजनाओं के लिए पथकर अधिसूचना (157.65 करोड़ रू.) जारी न किए जाने और पथकर अधिसूचना (13.72 करोड़ रू.) जारी किए जाने के पश्चात पथकर संग्रहण का कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहने के कारण 171.37 करोड़ रू. के पथकर का संग्रहण न किया जा सका। (पैरा 6.1)

- रियायतग्राही द्वारा 303.62 करोड़ रू. का पथकर राजस्व दिल्ली–आगरा और पुणे–सतारा परियोजनाओं में रिलांइस म्यूडचल फंड में निवेश के रूप में परिवर्तित किया गया था जबकि उसे निर्माण कार्य में व्यय किया जाना था। (पैरा 6.3)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने स्टाफ बल का प्रबंध अधिकत्तर अन्य सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों द्वारा और परामर्शदाता नियुक्त करके करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने नवम्बर, 2009 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2 वर्षों के भीतर यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संरचना पुनः बनाई जाए ताकि सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्त अधिकारियों का समायोजित करके वह अपना स्वतंत्र संवर्ग बना सके। तथापि, 31 मार्च, 2013 के अंत तक प्रतिनियुक्त अधिकारियों से नियमित कर्मचारियों का अनुपात 83:17 था। (पैरा 7.2)

- 4 परियोजनाओं में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अग्रिम की राशि को व्यय की राशि मानकर और अनुदान की राशि का आकलन करते समय जारी किए जाने के लिए शेष ऋण की यथा अनुपात राशि का गलत आकलन करके 769.53 करोड़ रू. की राशि का अनुदान समय पूर्व जारी किया। (पैरा 7.6)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में मुख्य शीर्षवार व्यय

(आंकडें करोड़ रू. में)

लेखा शीर्ष	ब.प्र.	12.2014 तक व्यय	ब.प्र. का %
योजना शीर्ष			
मु.शी. 2552 पूर्वोत्त र क्षेत्र			
मु.शी. 3054 सड़क और पुल	12904.14	12885.07	99.85
मु.शी. 3055–सड़क परिवहन	200.00	48.05	24.03
मु.शी.3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2949.69	1460.80	49.52
मु.शी.3602–संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का सहायता अनुदान	27.43	4.23	15.42
जोड़ राजस्व भाग	16081.26	14398.16	89.53
मु.शी. 4552 पूर्वोत्तार क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यनय***	0.00	0	0.00
मु.शी.5054 सड़क और पुल के संबंध में पूंजीगत परिव्यय***	35450.18	27214.98	76.77
मु.शी. 7075– अन्यं परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
जोड़ पूंजी भाग	35450.18	27214.98	76.77
जोड़ योजना भाग (सकल)	51531.44	41613.14	80.75
घटाइये वसूलियां (योजना)	–22650.44	–16420.77	72.50
जोड़ योजना (निवल)	28881.00	25192.37	87.23
	475.84	341.04	71.67
मु.शी.– 3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	475.84	341.04	71.67
मु.शी. 3054 सड़क और पुल	3046.27	2139.87	70.25
मु.शी.3601–राज्यओं सरकारों का सहायता अनुदान (*)	0.00	0.00	0.00
जोड़ राजस्वभ भाग	3522.11	2480.91	70.44
मु.शी.5054 सड़क और पुल पर पूंजीगत परिव्याय (*)	2042.09	1337.33	65.49
जोड़ पूंजीभाग	2042.09	1337.33	65.49
जोड़ गैर योजना (सकल)	5564.20	3818.23	68.62
घटाइये वसूलियां (गैर योजना)	–100.00	–26.21	26.21
जोड़ गैर योजना (निवल)	5464.20	3792.03	69.40
जोड़ (योजना गैर–योजना)	57095.64	45431.37	79.57
घटाइये वसूलियां (योजना़गैर–योजना)	–22750.44	–16446.98	72.29
जोड़ (योजना गैर–योजना) निवल	34345.20	28984.39	84.39

(*) यह 12.2014 के लिए बीआरडीबी व्यलय से संबंधित है

***टिप्पाणी: मु.शी. 4552 के अंतर्गत ब.अ./सं.अ. मु.शी. 5054 में पुन विनियोजित हैं

विगत 3 वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तिजयों का शीर्षवार ब्यौरा

(करोड़ रू.)

	मुख्य शीर्ष	2011-12	2012-13	दिसम्बर. 2014 तक
1	0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर	126.53	121.80	146.15
2	0045–वस्तु और सेवाओं पर अन्यि कर और शुल्क	0.00	0.00	
3	0049–ब्याज प्राप्तियां	136.55	141.40	82.69
4	0050–लाभांश और लाभ		0.00	
5	0070–अन्यं प्रशासनिक सेवाएं	0.0025	0.0019	0.00
6	0071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तिय लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0.66	0.55	0.49
7	0075–विविध सामान्यय सेवाएं	14.42	1.65	1.68
8	0210– चिकित्साय और लोक स्वास्थ्य	0.25	0.24	0.23
9	0216–आवास	0.16	0.14	0.14
10	0852–परिवहन उपस्कर सेवाएं	0.00	0.00	0.00
11	1054 – सड़क और पुल	3047.15	4006.78	5297.63
12	1055 – सड़क परिवहन	0.06	0.00	0.00
13	1475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.07	0.11	0.016
	जोड़	3325.85	4272.67	5530.55

स्रोतः केन्द्रीय लेनदेन का विवरण

राजस्व् और पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में विगत 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय लेनदेनों के अनुरूप निधि के स्रोत

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रू.)

मद / वर्ष	2011–12	2012–13	दिसम्बर 2014 तक
कर राजस्व	126.53	121.80	146.15
गैर कर राजस्व	3199.32	4150.87	5384.40
सकल राजस्व प्राप्तियां	3325.85	4272.67	5530.55

लेखों की प्रमुखताएं

(हजार रू.)

प्राप्तियां			संवितरण	
		राशि		**राशि**
क.	**राजस्व प्राप्तियां**		**राजस्व व्यय**	
1	कर राजस्व	1461536	सामान्यर सेवाएं	95241
2	**गैर-कर राजस्व**		**सामाजिक सेवाएं**	13548
	ब्याज प्राप्तियां	826931	आर्थिक सेवाएं	123754247
	अन्य गैर–कर राजस्व	53017039	सहायता अनुदान और अंशदान	
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां	**55305516**	**जोड़ राजस्व व्यय**	**123863036**
ख.	पूंजीगत प्राप्तियां		पूंजीगत व्यय	
	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	3394025	आर्थिक सेवाएं	122713517
	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम		ऋण और अग्रिम	1949
	सरकारी सेवकों को ऋण			
	जोड़ पूंजीगत प्राप्तियां	**3394025**	**जोड़ पूंजीगत व्यय**	**122715466**
	जोड़ भारत की समेकित निधि	**58699541**	**जोड़ भारत की समेकित निधि**	**246578502**
	लोक लेखा		**लोक लेखा**	
	अल्प बचत भविष्य निधि लेखा	**156552**	**अल्प बचत भविष्य निधि लेखा**	**108333**
	भविष्य निधि	156552	भविष्य निधि	106517
	अन्य लेखा		**अन्य लेखा**	**1816**
	आरक्षित निधि	**173342800**	**आरक्षित निधि**	**175225341**
	ब्याज रहित आरक्षित निधि	**173342800**	**ब्याज रहित आरक्षित निधि**	**175225341**
	निक्षेप और अग्रिम	19513955	निक्षेप और अग्रिम	17494961
	ब्याज सहित निक्षेप	–10	ब्याज सहित निक्षेप	0
	ब्याज रहित निक्षेप	19513957	ब्याज रहित निक्षेप	17494945
	अग्रिम	8	अग्रिम	16
	उचन्त और विविध	**261165397**	**उचन्त और विविध**	**73471108**
	उचन्त		उचन्त	1850307
	अन्य लेखा		अन्य लेखा	71620801
	जोड़ लोक लेखा	454178704	जोड़ लोक लेखा	266299743
	जोड़ प्राप्तियां	**512878245**	**जोड़ व्यय**	**512878245**

स्रोत: केन्द्रीय लेनदेन का विवरण

अशक्त कार्मिकों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की स्थिति

ग्रुप	संस्वीकृत संख्या	नियुक्त अशक्त कार्मिकों की संख्या
तकनीकी		
ए	227	0
बी	81	2
सी	7	0
जोड़	315	2
गैर–तकनीकी		
ए	65	0
बी	249	3
सी	196	2
सीख्एमटीस,	172	2
जोड़	682	7

भारत में पंजीकृत मोटरवाहनों की कुल संख्या – 2003–2013 (हजार में)

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च तक)	सभी वाहन	दुपहिया	कार, जीप और टैक्सीप	बस@	माल वाहन	अन्य*
2003	67,007	47,519	8,599	721	3,492	6,676
2004	72,718	51,922	9,451	768	3,749	6,828
2005	81,499	58,799	10,320	892	4,031	7,457
2006	89,618	64,743	11,526	992	4,436	7,921
2007	96,707	69,129	12,649	1,350	5,119	8,460
2008	105,353	75,336	13,950	1,427	5,601	9,039
2009	114,951	82,402	15,313	1,486	6,041	9,710
2010	127,746	91,598	17,109	1,527	6,432	11,080
2011	141,866	101,865	19,231	1,604	7,064	12,102
2012	159,491	115,419	21,568	1,677	7,658	13,169
2013(पी)	172,916	125,694	23,515	1,736	8,146	13,825

स्रोतः राज्य परिवहन आयुक्तों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालय

* अन्यमें शामिल है ट्रैक्टर, ट्रैलर, ति–पहिया (यात्री वाहन)/एलएमवी और अन्य विविध वाहन जिन्हें पृथक से वर्गीकृत नहीं किया गया है। @इसमें ओमनी बसें शामिल हैं।

पी – अंनतिम।

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें शामिल व्यक्तिः 2003 से 2013

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटना की गंभीरता*
	जोड़	घातक	मृत	घायल	
2003	406,726	73,589 (18.1)	85,998	435,122	21.1
2004	429,910	79,357 (18.5)	92,618	464,521	21.5
2005	439,255	83,491(19.0)	94,968	465,282	21.6
2006	460,920	93,917(20.4)	105,749	496,481	22.9
2007	479,216	101,161(21.1)	114,444	513,340	23.9
2008	484,704	106,591(22.0)	119,860	523,193	24.7
2009	486,384	110,993 (22.8)	125,660	515,458	25.8
2010	499,628	119,558 (23.9)	134,513	527,512	26.9
2011	497,686	121,618(24.4)	142,485	511,394	28.6
2012	4,90,383	1,23,093(25.1)	138,258	509,667	28.2
2013	4,86,476	1,22,589(25.2)	1,37,572	4,94,893	28.3

ब्रैकिट में दिए गए आंकडें कुल दुर्घटनाओं में घातक दुर्घटनाओं का भाग दर्शाते हैं.
*दुर्घटना की गंभीरताः प्रति 100 दुर्घटनाओं पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या्
स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग

श्रेणीवार सड़क नेटवर्क : 1951 और 2013

(किमी)

सड़क श्रेणी	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2012	2013(पी)
राष्ट्रीय राजमार्ग	19,811 (4.95)	23,798 (4.54)	23,838 (2.61)	31,671 (2.13)	33,650 (1.45)	57,737 (1.71)	70,934 (1.52)	76,818 (1.58)	79,116 (1.50)
राज्यराजमार्ग	^	^	56,765 (6.20)	94,359 (6.35)	1,27,311 (5.47)	1,32,100 (3.92)	1,63,898 (3.50)	1,64,360 (3.38)	1,68,324 (3.20)
अन्य0 लोक निर्माण विभाग की सड़कें	1,73,723 (43.44)	257,125 (49.02)	2,76,833 (30.26)	4,21,895 (28.40)	5,09,435 (21.89)	7,36,001 (21.82)	9,98,895 (21.36)	10,22,287 (21.01)	10,99,943 (20.90)
ग्रामीण सड़कें	2,06,408 (51.61)	197,194 (37.60)	3,54,530 (38.75)	6,28,865 (42.34)	12,60,430 (54.15)	19,72,016 (58.46)	27,49,804 (58.80)	28,38,220 (58.33)	31,59,739 (60.04)
शहरी सड़कें	0 (0.00)	46,361 (8.84)	72,120 (7.88)	123,120 (8.29)	1,86,799 (8.03)	2,52,001 (7.47)	4,11,679 (8.80)	4,64,294 (9.54)	4,44,961 (8.45)
परियोजना सड़कें	0 (0.00)	0 (0.00)	1,30,893 (14.31)	1,85,511 (12.49)	2,09,737 (9.01)	2,23,665 (6.63)	2,81,628 (6.02)	2,99,415 (6.15)	3,10,918 (5.91)
जोड़	3,99,942	5,24,478	9,14,979	14,85,421	23,27,362	46,90,342	46,76,838	48,65,394	52,63,001

टिप्पणीः ब्रैकिट में दिए गए आंकड़े प्रत्येक सड़क श्रेणी में कुल सड़क लम्बाई का प्रतिशत दर्शाते हैं।

^ अन्य लोक निर्माण विभाग की सड़कों में शामिल

स्रोतः सड़क संबंधी कार्य करने वाली 280 स्रोत एजेंसियां

पी – अंनतरिम

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

के लिए

आरएफडी

(परिणाम-संरचना दस्तावेज)

(2013–2014)

खंड 1:
विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्य

विजन

वृहद्, त्वदरित संपर्क, गतिशीलता जो सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाए, को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप में सड़क अवसंरचना और विषेश रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना की सतत, प्रभावी, सुरक्षित और अंतर–राष्ट्रीय रूप से तुलनीय गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए।

मिशन

वृहद् सुरक्षा विषेशताओं के साथ यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए अंतर–राष्ट्रीय मानकों की व्यापक सड़कों से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास। पूर्वोत्तगर क्षेत्र, आदि–वासी उप–योजना सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सहित दूरस्थ और अलग–थलग पड़े क्षेत्रों के लिए वृहद् संपर्क। सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन के लिए नीतियां तैयार करना और उनके कार्यान्वयन को सुकर बनाना। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्यव को देखते हुए सड़क परिवहन आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए प्रबंध स्थापित करना। देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य को सुधारना। मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

उद्देश्य

1 अत्यधुनिक अतिरिक्ति क्षमता सृजित करके राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना की योजना, विकास और अनुरक्षण।

2 हितधारियों के बीच अंतर–राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय दक्षता विकास।

3 राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर–दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क, सीमा राज्यों में सामरिक सड़कों और पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए अरूणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम।

4 आदि–वासी उप–योजना सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 लेन मानक के सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।

5 राज्यीय सड़कों और अंतर–राज्य सड़क संपर्क तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता।

6 देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य के सतत् सुधार के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय।

7 सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन।

8 आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना।

9 एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी नीतिगत पहलें शुरू करना।

10 स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना।

कार्य

1. राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित नीति बनाना।
2. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण।
3. केन्द्रीय सड़क निधि का प्रशासन।
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय राजमार्ग अंभियंता अकादमी से संबंधित मामलें।
5. सड़क और पुलों के लिए मानक और विशिष्टियां तैयार करना।
6. राजमार्ग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास।
7. देश में सड़क परिवहन के विनियमन से संबंधित नीतियाँ बनाना।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956. मोटरयान अधिनियम, 1988. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950. सड़क द्वारा ढुलाई अधिनियम, 2007. राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 का प्रशासन।
9. यातायात की पड़ोसी देशों में आवाजाही का प्रबंध।
10. देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार।

खंड-2
प्रमुख उद्देश्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं, सफलता संकेतक और लक्ष्य

उद्देष्द	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
1. अत्याधुनिक अतिरिक्त क्षमता सृजित करके राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना की योजना, विकास और अनुरक्षण।	31.50	1.1, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना का विकास	1.1.1. निर्माण को पूरा करना	किमी	8.00	2750	2500	2200	2100	2000
		1.2. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यों को सौंपना	1.2.1. सौंपी जाने वाली लंबाई	किमी	4.00	6500	5960	5400	4800	4500
		1.3. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए साध्यता अध्ययन	1.3.1. एफएस की लंबाई को पूरा करना	किमी	2.00	6000	5400	5000	4500	4000
		1.4. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण/पर्यावरण स्वीकृति	1.4.1. भूमि का कब्जा लेना (हेक्टेअर में क्षेत्र)	हे.	1.00	10000	9000	8100	7300	6600
			1.4.2. वर्ष 2012–13 के दौरान सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए भूमि अंतरण	:	0.50	100	95	90	85	80
			1.4.3. वर्ष 2012–13 के दौरान सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना	:	0.50	100	95	90	85	80
		1.4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि एकत्रित करना	1.5.1. 54 ईसी और कर–मुक्त बॉडों के अंतर्गत आईईबीआर (आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन)	करोड़ रु. में	1.00	14000	12600	11000	9900	8900

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
		1.6. राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ द्वारा गैर–राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास [2 लेन में चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सड़क गुणता सुधार सहित आदि]	1.6.1. लंबाई को पूरा करना	किमी	5.00	3200	2925	2625	2365	2130
		1.7. राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्ग (गैर–राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) के लिए कार्यों की स्वीकृति	1.7.1. कार्य की लागत को स्वीरकृत किया जाना है	करोड़ रु. में	1.00	3300	3000	2700	2500	2200
		1.8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ के पास राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण	1.8.1. आवधिक और सामान्य् मरम्मत (गढ्ढों, पट्टियो को भरना, पटरियों का सतहीकरण, पुलियाओं की मरम्मत आदि)	करोड़ रु. में	4.00	2000	1800	1500	1200	1000
			1.8.2. नमूना आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुरक्षण की गुणवत्ताट और सड़क सुरक्षा का स्वतंत्र ऑडिट	किमी	1.00	2500	2250	2025	1825	1645
			1.8.3. अनुरक्षण और सड़क सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय	किमी	0.50	2500	2250	2025	1825	1645
		1.9. पथकर राजस्व का संग्रहण	1.9.1. एनएचएआई द्वारा पथकर राजस्वं का संग्रहण	करोड़ रु. में	1.00	5000	4770	4500	4000	3700

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देष्द	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
		1.10. सड़क गुणवत्ताआ के लिए सूचकांक	1.10.1. सड़क गुणवत्ता के लिए सूचकांक तैयार करने के संबंध में कार्रवाई प्रारम्भ करना	तारीख	1.00	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014
		1.11. पत्तनों/डीएमआईसी का सड़क सम्पर्क	1.11.1. पत्तनों/डीएमआईसी का सड़क सम्पर्क के संबंध में कार्य प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित निधि का प्रबंध करने के लिए मामले को योजना आयोग/पर्यावरण मंत्रालय के साथ उठाना	तारीख	1.00	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014
2. हितधारियों के बीच अंतर–राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय दक्षता विकास।	3.00	2.1. नवीन भर्ती इंजीनियरों/मौजूदा अभ्यास इंजीनियरों/गैर–इंजीनियरों के लिए कौशल विकास (आईएएचई)	2.1.1. प्रशिक्षित किए जाने वाले नए भर्ती इंजीनियरों की संख्या	संख्या	1.00	45	40	35	30	25
			2.1.2. प्रशिक्षित किए जाने वाले मौजूदा अभ्यासी इंजीनियरों की संख्याम	संख्या	1.00	900	800	700	600	500
			2.1.3. प्रशिक्षित किए जाने वाले गैर–इंजीनियरों की संख्या	संख्या	0.50	500	450	400	350	300
		2.2. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इस समय उपलब्ध मौजदा सुविधाओं की तुलना में 12वीं योजना के लिए कौशल आवश्यकता के आकलन के लिए पेपर/अध्ययन	2.2.1. पेपर/अध्ययन पूरा किया जाना	तारीख	0.50	20.03.2014	25.03.2014	31.03.2014	----	----

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देष्द	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
3. राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर–दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क, सीमा राज्यों में सामरिक सड़कों और पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए अरूणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तार क्षेत्र के लिए विशेष त्वतरित सड़क विकास कार्यक्रम।										
	15.00	3.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का विकास	3.1.1. पूरी की जाने वाली लंबाई	किमी	6.00	600	550	500	450	400
		3.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को सौंपना	3.2.1. सौंपी जाने वाली लंबाई	किमी	6.00	2200	2000	1800	1600	1400
		3.3. 876 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर बीओटी (वार्षिकी) पर अरूणाचल प्रदेश में रोइंग के साथ धौला सादिया घाट पर असम को जोड़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.3 किमी लंबे पुल सहित रारा–37 विस्तार के 25.8 किमी मिसिंग लिंक का 2 लेन में निर्माण	3.3.1. संपूर्ण प्रगति % में	%	1.50	60	55	50	45	40
		3.4. 576 करोड़ रु. की लागत पर ईपीसी विधि से म्यांमार में सीतवे पत्तन को जोड़ने के लिए रारा–54 के विस्तार में मल्टीप मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत मिजोरम में (म्यांलमार सीमा तक) कलादान राज्य सड़क में 100 किमी लंबाई का 2 लेन में निर्माण	3.4.1. संपूर्ण प्रगति % में	%	1.50	60	55	50	45	40

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम - संरचना दस्तावेज (आरएफडी)-(2013-2014)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
4. आदि–वासी उप–योजना सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 लेन मानक के सड़क संपर्क के विकास के लिए विषेश कार्यक्रम।	14.00	4.1. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में संपर्क सड़कों का विकास	4.1.1. पूरी की जाने वाली लंबाई	किमी	12.00	1100	1000	900	800	700
		4.2. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों को सौंपना	4.2.1. सौंपी जाने वाली लंबाई	किमी	2.00	424	424	400	350	300
4. राज्यीय सड़कों और अंतर–राज्य संपर्क तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता।	1.00	5.1. केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निधि जारी किया जाना	5.1.1. जारी की जाने वाली निधि	करोड़ रु. में	0.50	2200	2000	1800	1600	1500
			5.1.2. उपयोग प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर निधि जारी करना	%	0.50	100	95	90	85	80
6. देश में सड़क सुरक्षा परिश्य के सतत् सुधार के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय विकसित करने का प्रयास।	8.50	6.1. सड़क सुरक्षा के लिए अभिनिर्धारित योजना परिव्यय के समर्पित 10% के अंतर्गत अति दुर्घटना संभावित राज्यों के 100 ब्लैक स्पॉट के लिए उपचारात्मक उपायों का कार्यान्वयन	6.1.1. अल्पाविधिक उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 ब्लैक स्पॉट का अभिनिर्धारण और उनका सुधार	संख्या	2.00	110	100	90	80	70
			6.1.2. स्थायी उपायों के लिए योजना बनाना	तारीख	1.00	31.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014
		6.2. क्षेत्रीय भाशाओं और समर्पित गैर–सरकारी संगठनों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉ निक मीडिया के माध्यऔम से आम जागरूकता सृजित करने जैसे विभिन्नत उपायों द्वारा देश में सड़क सुरक्षा परिदृष्य का सुधार	6.2.1. कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कार्य प्रारम्भ करना (यूएन की वचनबद्धता के अनुरूप)	तारीख	1.00	31.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
			6.2.2. आम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना	आडियो/विडियों स्पोयट की संख्या	1.00	30000	25000	20000	15000	10000
			6.2.3. सड़क सुरक्षा सृजन के लिए विधेयक/सरकारी आदेश के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करना	तारीख	1.00	31.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014
		6.3. सड़क सुरक्षा और अनुवीक्षण कार्यान्वयन के लिए संचार रणनीति का विकास	6.3.1. आपात चिकित्सा, विनिर्दिष्ट ट्रामा सेंटर और एंबुलेंस कोड आदि के लिए एकल टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार करना	संख्या	0.50	1000	900	800	700	600
			6.3.2. सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में आंकडा संग्रहण के लिए पायलट आधार पर आरएडीएमएस साफ्टवेयर का कार्यान्वयन	राज्यों की संख्या	0.50	2	1	0	0	0
		6.4. सड़क सुरक्षा निधि की स्थांपना	6.4.1. सड़क सुरक्षा निधि स्थापित करने के लिए मूल राशि के रूप में सहायता अनुदान	संख्या	0.50	2	1	0	0	0
		6.4. यातायात का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ईटीसी आधार पर दिल्ली – चंडीगढ़ की पायलट परियोजनाओं का विस्तार	6.5.1. ईटीसी प्रणाली का विस्तार	किमी	1.00	1100	1000	900	800	700

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
7. सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन।	7.00	7.1. प्राथमिक परिचर्या और अभिघात परिचर्या सहित एचएमवी चालकों को पुनश्चयर्या प्रशिक्षण प्रदान करना	7.1.1. प्रशिक्षित किए जाने वाले एचएमवी चालकों की संख्या	तारीख	2.50	20000	18000	15000	12000	10000
		7.2. राज्य परिवहन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना	7.2.1. आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	संख्या	1.00	25	20	18	16	14
		7.3. आदर्श चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना	7.3.1. स्वीकृत किए जाने वाले चालक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	संख्या	0.50	2	1	0	0	0
		7.4. सड़क सुरक्षा उपस्करों की संस्वीकृति (करोड़ रु. में)	7.4.1. एंबुलेंस और क्रेनों की खंख्या	संख्या	1.00	25	20	15	10	5
			7.4.2. श्यास विश्लेषक अपस्कारों की संख्या	संख्या	0.50	50	45	40	35	30
			7.4.3. अन्य उपस्क्र	संख्या	0.50	500	400	300	250	200
		7.4. मौजूदा परिवहन प्रणामी का अध्ययन	7.5.1. भारी भार लदान करने वाली मौजूदा परिवहन प्रणाली की कमियों के अध्ययन और विकास एवं जन–मांग के पीछे रहने के कारणों के अध्ययन के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करना	तारीख	1.00	31.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014
8. आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना।	2.00	8.1. आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना करना	8.1.1. स्वीकृत किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या	संख्या	1.00	2	2	1	1	0
			8.1.2. आरफडी वर्ष में पूरे किए जाने वाले केन्दों की संख्या	संख्या	1.00	5	4	3	2	1

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देष्द	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
9. एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी नीतिगत पहलें शुरू करना।	2.00	9.1. आईटी परियोजनाओं/मोबिलिटी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/राज्य परिवहन उपक्रमों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना	9.1.1. स्वीकृत किए जाने वाले राज्य परिवहन उपक्रमों की संख्या	तारीख	2.00	5	3	2	1	0
10. स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना	1.00	10.1. राजमार्ग विनियाम प्राधिकरण स्थापित करना	10.1.1. विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए विधेयक/सरकारी आदेश लाना	तारीख	1.00	31.11.2103	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014
*आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण	3.00	अनुमोदन के लिए 2014–15 के आरफडी मसौदे को समय से भेजना	समय से भेजना	तारीख	2.0	05.03.2014	06.03.2014	07.03.2014	0.६03.2014	11.03.2014
		वर्ष 2012–13 के परिणामों को समय से भेजना	समय से भेजना	तारीख	1.0	01.05.3013	02.05.3013	03.05.3013	06.05.3013	07.05.3013
* पारदर्शिता/सेवा सुपुर्दगी										
मंत्रालय/विभाग	3.00	सिटिजन/क्लागइंट चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80
	लोक शिकायत समाधान पद्धति के कार्यान्वयन की स्वयतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	95	90	85	80	
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रश्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए घटाने वाली कार्य नीतियां कार्यान्वयन करना	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	95	90	85	80

* अनिवार्य उद्देश्यि (उद्देश्यों)

खंड–2

प्रमुख उद्देश्यों के बीच पारस्पकरिक प्राथमिकताएं, सफलता संकेतक और लक्ष्य

उद्देष्द	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
		द्वितीय एआरसी सिफारिशों के अनुरूप मंत्रालय/विभाग की कोर और गैर–कोर गतिविधियों की पहचान करना	समय पर प्रस्तुत किया जाना	तारीख	1.0	27.01.2014	28.01.2014	29.01.2014	30.01.2014	31.01६.014
* आंतरिक दक्षता/ प्रतिक्रिया।	2.00	12वीं योजना प्राथमिकताओं के अनुरूप विभागीय रणनीति को अद्यतन करना	रणनीति को समय पर अद्यतन करना	तारीख	2.0	10.09.2013	17.09.2013	24.09.2013	01.10.2013	08.10.2013
* वित्तीय जिम्मेदारी संरचना का अनुपालन सुनिश्चित करना।	1.00	सी एंड एजी के लेखापरीक्षा पैराओं पर एटीएन को समय से भेजना	वर्ष के दौरान सी एंड एजी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुसति की तारीख से देय तारीख (4 महीने) के भीतर भेजे गए एटीएन का %	%	0.25	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्टों पर एटीआर को पीएसी सचिवालय को समय से भेजना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तारीख (6 महीने) के भीतर भेजे गए एटीआर का %	%	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तु1त सी एंड एजी की रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैराओं पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का %	%	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का %	%	0.25	100	90	80	70	60

’ अनिवार्य उद्देश्य (उद्देश्यों)

खंड–3: सफलता सूचकों का प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
1. अभिनव अतिरिक्त क्षमता सृजित करके राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारिक संरचना की आयोजना, विकास और अनुरक्षण	1.1. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना का विकास	1.1.1. निर्माण को पूरा करना	किमी	2250	2845	2500	5000	5000
	1.2. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यों को सौंपना	1.2.1. सौंपी जाने वाली लंबाई	किमी	7957	1321	5960	4000	2000
	1.3.राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए साध्यता अध्ययन	1.3.1. एफएस की लंबाई को पूरा करना	किमी	7500	6000	5400	2000	0
	1.4. एनएचडीपी के कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण/पर्यावरण स्वीकृति	1.4.1. भूमि का कब्जा लेना (हेक्टेअर में क्षेत्र)	हे.	10000	7000	9000	6000	3000
		1.4.2. 2012–13 में सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए भूमि का अंतरण	%	——	——	95	——	——
		1.4.3. 2012–13 में सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वी कृति प्राप्त करना	%	——	——	95	——	——
	1.4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि एकत्रित करना	1.5.1. 54 ईसी और कर–मुक्त बॉडों के अंतर्गत आईईबीआर (आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन)	करोड़ रु. में	12500	2890	12600	15000	13000

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
1.6. राज्यलोक निर्माण विभाग/बीआरओ द्वारा गैर–राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास 2 लेन में चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सड़क गुणता सुधार सहित आदि	1.6.1. लंबाई को पूरा करना	किमी	4069	3103	2925	3000	3000	
	1.7. राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्ग (गैर–राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) के लिए कार्यों की स्वीकृति	1.7.1. कार्य की लागत को स्वीकृत किया जाना है	करोड़ रु. में	3400	3074	3000	3000	3000
1.8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्यलोक निर्माण विभाग/बीआरओ के पास राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण	1.8.1. आवधिक और सामान्य मरम्मत (गढ्ढों, पट्टियो को भरना, पटरियों का सतहीकरण, पुलियाओं की मरम्मत आदि)	करोड़ रु. में	1272	1500	1800	3000	3000	
		1.8.2. नमूना आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुरक्षण की गुणवत्तां और सड़क सुरक्षा का स्वरतंत्र ऑडिट	किमी	0	0	2250	3000	5000
		1.8.3. अनुरक्षण और सड़क सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय	किमी	––	––	2250	––	––
	1.9. पथकर राजस्वण का संग्रहण	1.9.1. एनएचएआई द्वारा पथकर राजस्व का संग्रहण	करोड़ रु. में	––	––	4770	––	––
	1.10. सड़क गुणवत्ताआ के लिए सूचकांक	1.10.1. सड़क गुणवत्ता के लिए सूचकांक तैयार करने के संबंध में कार्रवाई प्रारम्भ करना	तारीख	––	––	31.12.2013	––	––

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
	1.11. पत्तननों/डीएमआईसी का सड़क सम्पर्क	1.11.1. पत्तनों/डीएमआईसी का सड़क सम्पर्क के संबंध में कार्य प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित निधि का प्रबंध करने के लिए मामले को योजना आयोग/पर्यावरण मंत्रालय के साथ उठाना	तारीख	––	––	31.12.2013	––	––
2. हितधारियों के बीच अंतर–राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय दक्षता विकास।	2.1. नवीन भर्ती इंजीनियरों/मौजूदा अभ्यासी इंजीनियरों/गैर–इंजीनियरों के लिए कौशल विकास (आईएएचई)	2.1.1. प्रशिक्षित किए जाने वाले नए भर्ती इंजीनियरों की संख्या	संख्या	––	––	40	––	––
		2.1.2. प्रशिक्षित किए जाने वाले मौजूदा अभ्यासी इंजीनियरों की संख्या	संख्या	––	––	800	––	––
		2.1.3. प्रशिक्षित किए जाने वाले गैर–इंजीनियरों की संख्याप	संख्या	––	––	450	––	––
	2.2. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इस समय उपलब्ध मौजदा सुविधाओं की तुलना में 12वीं योजना के लिए कौशल आवश्यकता के आकलन के लिए पेपर/अध्ययन	2.2.1. पेपर/अध्ययन पूरा किया जाना	तारीख	––	––	25.03.2014	––	––
3. राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर–दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क, सीमा राज्यों में सामरक सड़कों और पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए अरूणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तकर क्षेत्र के लिए विशेष त्वकरित सड़क विकास कार्यक्रम।								

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)-(2013-2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
	3.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का विकास	3.1.1. पूरी की जाने वाली लंबाई	किमी	150	260	550	600	700
	3.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को सौंपना	3.2.1. सौंपी जाने वाली लंबाई	किमी	3714	51	2000	600	
0								
	3.3. 876 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर बीओटी (वार्षिकी) पर अरूणाचल प्रदेश में रोइंग के साथ धौला सादिया घाट पर असम को जोड़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.3 किमी लंबे पुल सहित रारा–37 विस्तार के 25.8 किमी मिसिंग लिंक का 2 लेन में निर्माण	3.3.1. सम्पूेण प्रगति % में	%	5	0	55	10	25
	3.4. 576 करोड़ रु. की लागत पर ईपीसी विधि से म्यांमार में सीतवे पत्तन को जोड़ने के लिए रारा–54 के विस्तार में मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत मिजोरम में (म्यांमार सीमा तक) कलादान राज्य सड़क में 100 किमी लंबाई का 2 लेन में निर्माण	3.4.1. सम्पूर्ण प्रगति % में	%	10	0	55	40	20

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
4. जन–जातीय उप–योजना सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 2 लेन मानक में सड़क संपर्क के विकास के लिए विषेश कार्यक्रम	4.1. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में संपर्क सड़कों का विकास	4.1.1. पूरी की जाने वाली लंबाई	किमी	1078	1049	1000	1200	800
	4.2. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों को सौंपना	4.2.1. सौंपी जाने वाली लंबाई	किमी	854	543	424	–	–
4. राज्यीय सड़कों और अंतर–राज्य संपर्क तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता।	5.1. केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निधि जारी किया जाना	5.1.1. जारी की जाने वाली निधि	करोड़ रु. में	1925	1925	2000	2300	2400
		5.1.2. उपयोग प्रमाण–पत्र के एक माह के भीतर निधि जारी करना	:	–	–	95	–	–
6. देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य के सतत् सुधार के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय।	6.1. सड़क सुरक्षा के लिए अभिनिर्धारित योजना परिव्यय के समर्पित 10: के अंतर्गत अति दुर्घटना संभावित राज्यों के 100 ब्लैक स्पॉट के लिए उपचारात्मक उपायों का कार्यान्वयन	6.1.1. अल्पकालिक सुधारों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 ब्लैक स्पॉट का अभिनिर्धारण और उनका सुधार	संख्या्	––	––	100	––	––
		6.1.2. स्थायी उपायों के लिए योजना तैयार करना	तारीख	–	–	31.12.2013	–	–

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
	6.2. क्षेत्रीय भाषाओं और समर्पित गैर–सरकारी संगठनों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जागरूकता सृजित करने जैसे विभिन्न उपायों द्वारा देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य का सुधार	6.2.1. कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देने के लिए कार्य प्रारम्भ करना (यूएन वचनबद्धता के अनुरूप)	तारीख	––	––	31.12.13	––	––
		6.2.2. आम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना	आडियो / विडियो स्पाट की संख्या	–	–	25000	–	–
		6.2.3. सड़क सुरक्षा बोर्ड सृजित करने के लिए विधेयक / सरकारी आदेश की कार्रवाई शुरू करना	तारीख	–	–	31.12.13	–	–
	6.3. सड़क सुरक्षा और अनुवीक्षण कार्यान्वयन के लिए संचार रणनीति का विकास	6.3.1. एकल टोल–फ्री नंबर, आपाती परिचर्या, पदनामित अभिघात केन्द्रों और एंबुलेंस कोड आदि का व्याएपक प्रचार करना	संख्या	––	––	900	––	––
		6.3.2. सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं संबंधी आंकडा संग्रहण के लिए पायलट आधार पर आरएडीएमएस साफ्टवेयर का कार्यान्वसयन	राज्य की संख्या	–	–	1	–	–
	6.4. सड़क सुरक्षा निधि की स्थांपना	6.4.1. सड़क सुरक्षा निधि सृजित करके मूल राशि के रूप में सहायता अनुदान	संख्या	––	––	1	––	––

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
	6.4. यातायात का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ईटीसी आधार पर दिल्ली – चंडीगढ़ की पायलट परियोजनाओं का विस्तार	6.5.1. ईटीसी प्रणाली का विस्तार	किमी	––	––	1000	––	––
7. सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन।	7.1. प्राथमिक परिचर्या और अभिघात परिचर्या सहित एचएमवी चालकों को पुनश्चकर्या प्रशिक्षण प्रदान करना	7.1.1. प्रशिक्षित किए जाने वाले एचएमवी चालकों की संख्या						
	तारीख	–	–	18000	–	–		
	7.2. राज्य परिवहन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना	7.2.1. आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	संख्या	10	10	20	30	40
	7.3. आदर्श चालक प्रशिक्षण संस्थाकनों की स्थापना करना	7.3.1. स्वशकृत किए जाने वाले चालक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	संख्या	2	2	1	4	4
7.4. सड़क सुरक्षा उपस्करों की संस्वीकृति (करोड़ रु. में)	7.4.1. एंबुलेंस और क्रेनों की संख्याक	संख्या	476	476	20	100	100	
		7.4.2. श्वास विश्लेषक उपस्करों की संख्या	संख्या	–	–	45	–	–
		7.4.3. अन्य उपस्कर	संख्या	–	–	400	–	–

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
	7.4. मौजूदा परिवहन प्रणाली की कमियों का अध्ययन	7.5.1. भारी भार लदान वाली मौजूदा परिवहन पद्धति की कमियों और विकास तथा सार्वजनिक मांग के कारणों के अध्ययन के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करना	तारीख	–	–	13.12.13	–	–
8. आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना।	8.1. आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना करना	8.1.1. स्वीकृत किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या्	संख्या,	8	8	2	4	4
		8.1.2. आरएफडी वर्ष में पूरे किए जाने वाले केन्द्रों की संख्याव	संख्याा	–	–	4	–	–
9. एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी नीतिगत पहलें शुरू करना।	9.1. आईटी परियोजनाओं/मोबिलिटी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यो/राज्य परिवहन उपक्रमों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना	9.1.1. स्वीकृत किए जाने वाले राज्यपरिवहन उपक्रमों की संख्य	तारीख	–	–	3	–	–
10. स्वातंत्र विनियाम प्राधिकरण स्थापित करना	10.1. राजमार्ग विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना	10.1.1. विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए विधेयक/सरकारी आदेश लाना	तारीख	–	–	31.12.13	–	–
* आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण								
अनुमोदन के लिए आरफडी 2014–15 के मसौदे को समय से भेजना	समय से भेजना	तारीख	15.04.2011	15.04.2011	06.03.2014	05.03.2013	05.03.2013	
	2012–13 के परिणामों को समय से भेजना	समय से भेजना	तारीख	30.04.2011	30.4.12	02.05.2013	10.05.2014	10.05.2015
*पारदर्षिता/सेवा सुपुर्दगी								

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
मंत्रालय/विभाग	सिटिजन/क्लागइंट चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	:	80	90	95	100	100
	लोक शिकायत समाधान पद्धति के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	:	80	90	95	100	100
* प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए घटाने वाली कार्य नीतियां कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का %	:	80	90	95	100	100
	अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आइएसओ 9001 कार्यान्विरत करना	कार्यान्वयन का %	:	80	90	95	100	100
	नवीकरण कार्य योजना कार्यान्विरत करना	हासिल लक्ष्य का %	:	0	90	95	100	100
	द्वितीय एआरसी सिफारिशों के अनुरूप मंत्रालय/विभाग की कोर और गैर–कोर गतिविधियों की पहचान करना	समय पर प्रस्तुत किया जाना	तारीख	–	–	15.10.13	–	–

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वि.व. 10/11	वास्तविक मूल्य वि.व. 11/12	लक्षित मूल्य वि.व. 12/13	परियोजित मूल्य वि. व. 13/14	परियोजित मूल्य वि. व. 14/15
* वित्तीय जिम्मेदारी संरचना का अनुपालन सुनिश्चित करना।								
सी एंड एजी के लेखापरीक्षा पैराओं पर एटीएन को समय से भेजना	वर्ष के दौरान सी एंड एजी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तारीख (4 महीने) के भीतर भेजे गए एटीएन का %	%	–	–	90	–	–	
पीएसी रिपोर्टों पर एटीआर को पीएसी सचिवालय को समय से भेजना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तत की तारीख से देय तारीख (6 महीने) के भीतर भेजे गए एटीआर का %	%	–	–	90	–	–	
31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुेत सी एंड एजी की रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैराओं पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान								
वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का %	%	–	–	90	–	–		
	31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुटत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का षीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का %	%	–	–	90	–	

— * अनिवार्य उद्देश्य(उद्देश्यों)

खंड 4: संक्षिप्ताक्षर

क्र. सं.	संक्षिप्ताक्षर	विवरण
1	एनएचडीपी	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना
2	गैर–एनएचडीपी	गैर–राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

खंड–4

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन विधि

क्र.सं	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
1	1.1.1. निर्माण पूरा किया जाना	शून्य	निर्माण पूरा किए जाने के लिए मापनीय लक्ष्य 2500 किमी है जिसे पूर्व प्रवृत्ति/कार्यान्वयनाधीन कार्य की मात्रा की उपलब्धता की दृष्टि से दर्शाया गया है।	किमी	शून्य
2	1.2.1. सौंपे जाने वाली लंबाई	शून्य	एनएचडीपी के अंतर्गत कार्य सौंपे जाने के लिए मापनीय लक्ष्य 5960 किमी है जिसे रियायतग्राही/ठेकेदारों द्वारा वित्तीय व्यवस्था किए जाने तथा बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई की दृष्टि से दर्शाया गया है।	किमी	शून्य
3	1.3.1. पूरी किए जाने वाली एफएस की लंबाई	शून्य	5400 किमी सड़क लंबाई के लिए साध्यता अध्ययन पूरा किए जाने हेतु लक्ष्य को मापनीय लक्ष्य के रूप में दर्शाया गया है।	किमी	शून्य
4	1.4.1. भूमि पर कब्जा लिया जाना (हेक्टेअर में क्षेत्रफल)	शून्य	9000 हेक्टेअर भूमि के लिए अधिग्रहण को मापनीय लक्ष्य के रूप में दर्शाया गया है।	हेक्टे.	शून्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम - संरचना दस्तावेज (आरएफडी)-(2013-2014)

क्र.सं	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
5	1.4.2. वर्ष 2012–13 के दौरान सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए भूमि सौंपे जाना	शून्य	वर्ष 2012–13 के दौरान सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि के 95% तक भूमि	%	शून्य
6	1.4.3. वर्ष 2012–13 के दौरान सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना	शून्य	वर्ष 2012–13 के दौरान सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि के 95% तक भूमि	%	शून्य
7	1.5.1. 54 ईसी बांड और करमुक्त बांड के अंतर्गत आईईबीआर (आंतरिक और वाह्य बजटीय संसाधन)	शून्य	54 ईसी बांड और करमुक्त बांड के माध्यम से आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों की अपेक्षा के अनुसार 12.600 करोड़ रूपए दर्शाए गए हैं।	करोड़ रूपए	शून्य
8	1.6.1. लंबाई को पूरा किया जाना	शून्य	रारा (मूल) के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण के द्वारा सुधार, 2 लेन में चौड़ीकरण, सड़क को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए सड़क गुणता सुधार के लिए 2925 किमी का मापनीय लक्ष्य दर्शाया गया है।	किमी	शून्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

क्र.सं	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
9	1.7.1. संस्वीकृत किए जाने वाले कार्यों की लागत	शून्य	3000 करोड़ रूपए की संस्वीकृत उच्चतम सीमा मापनीय लक्ष्य के रूप में दर्शायी गई है।	करोड़ रूपए	शून्य
10	1.8.1. आवधिक और सामान्य मरम्मत (गड्ढों को भरा जाना, मरम्मत, उपतटों का समतलीकरण, पुलियों की मरम्मत आदि)	शून्य	अनुरक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत, सड़क को यातायात योग्य स्थति में बनाए रखने के लिए आवधिक और सामान्य मरम्मत के लिए 1800 करोड़ रूपए का मापनीय लक्ष्य दर्शाया गया है।	करोड़ रूपए	शून्य
11	1.8.2. राष्ट्रीय राजमार्गों पर नमूने के आधार पर अनुरक्षण और सड़क सुरक्षा की गुणता की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	शून्य	2250 किमी के लिए अनुरक्षण और सड़क सुरक्षा हेतु गुणता की स्वतंत्र लेखापरीक्षा के लिए मापनीय लक्ष्य को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में दर्शाया गया है।	किमी	शून्य
12	1.8.3. अनुरक्षण और सड़क सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय	शून्य	2250 किमी के मापनीय लक्ष्य की परिकल्पना सुरक्षा लेखापरीक्षण के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए की गई है।	किमी	शून्य
13	1.10.1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पथकर राजस्व का संग्रहण	शून्य	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पथकर राजस्व संग्रहण के लिए मापनीय लक्ष्य हेतु 4770 करोड़ रूपए के रूप में परिकल्पना की गई है।	करोड़ रूपए	शून्य

क्र.सं	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
14	1.11.1. सड़क गुणता के लिए विषय–वस्तु तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू करना	शून्य	सड़क गुणता के लिए विषय–वस्तु तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए मापनीय लक्ष्यों को 31.12.2013 के रूप में दर्शाया गया है।	दिनांक	शून्य
15	1.12.1. पत्तन सड़क संपर्क/डीएमआईसी से संबंधित कार्य शुरू किए जाने के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करने हेतु योजना आयोग/वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाना	शून्य	मापनीय लक्ष्य 31.12.2013 परिकल्पित है।	दिनांक	शून्य
16	2.1.1. शामिल किए गए नए इंजीनियरों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है।	शून्य	शामिल किए गए नए 40 इंजीनियरों की संख्या मापनीय लक्ष्य है।	संख्या	शून्य
17	2.1.2. विद्यमान अभ्यासरत इंजीनियरों की संख्या जिन्हे प्रशिक्षण दिया जाना है।	शून्य	विद्यमान अभ्यासरत 800 इंजीनियरों की संख्या मापनीय लक्ष्य है।	संख्या	शून्य
18	2.1.3. प्रशिक्षण दिए जाने के लिए गैर–इंजीनियरों की संख्या	शून्य	450 गैर–इंजीनियरों की संख्या मापनीय लक्ष्य है।	संख्या	शून्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम - संरचना दस्तावेज (आरएफडी)-(2013-2014)

क्र.सं	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
19	3.1.1. पूरी की जाने वाली लंबाई	शून्य	अरूणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 550 किमी सड़क लंबाई को पूरा किए जाने के लक्ष्य को मापनीय लक्ष्य के रूप में दर्शाया गया है। यह लक्ष्य पूरा किया जाना उपलब्ध कार्य की मात्रा पर आधारित है।	किमी	शून्य
20	3.2.1. सौंपी जाने वाली लंबाई	शून्य	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 किमी सड़क लंबाई को सौंपे जाने के लिए मापनीय लक्ष्य सौंपने हेतु उपलब्ध शेष लंबाई पर आधारित है।	किमी	शून्य
21	3.3.1. कुल प्रगति % में	शून्य	अरूणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल की समग्र प्रगति % में दर्शाई गई है।	%	शून्य

क्र.सं	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
22	3.4.1. कुल प्रगति % में	शून्य	मिजोरम में स्टैंड अलोन वृहत्त परियोजना के अंतर्गत कलादान राज्यीय सडक की कुल प्रगति % में दर्शाई गई है।	%	शून्य
23	4.1.1. पूरी की जाने वाली लंबाई	शून्य	सड़कों को पूरा करने के लिए 1000 किमी का मापनीय लक्ष्य रखा गया है क्योंकि सौंपने के लिए कोई पर्याप्त शेष लंबाई उपलब्ध नहीं है।	किमी	शून्य
24	4.2.1. सौंपी जाने वाली लंबाई	शून्य	एलडब्ल्यूई कार्यों के अंतर्गत सौंपे जाने के लिए 424 किमी के मापनीय लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।	किमी	शून्य
25	5.1.1. जारी की जाने वाली निधियां	शून्य	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधि जारी करने हेतु मापनीय लक्ष्य 2000 करोड़ रूपए का है।	करोड़ रूपए	शून्य
26	5.1.2. उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के 1 माह के भीतर निधि जारी किया जाना	शून्य	उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के 1 माह के भीतर केन्द्रीय सड़क निधि जारी किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु समुचित तंत्र जांच के अधीन हे। लक्ष्य 95% है।	%	शून्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

क्र.सं	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
27	7.2.1. आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	शून्य	राज्यीय परिवहन कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतर्गत 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।	संख्या	शून्य
28	7.3.1. संस्वीकृत किए जाने वाले डीटीआई की संख्या	शून्य	आदर्श चालक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में 01 चालक प्रशिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।	संख्या	शून्य
29	7.4.1. एंबुलेंसों और क्रेनों की संख्या	शून्य	20 प्रदूषण जांच उपस्कर, एंबुलेंस, क्रेन, ब्रेथ एनालाइजर, पोर्टेबल सड़क दुर्घटना रिकार्डर संस्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।	संख्या	शून्य
30	7.4.2. ब्रेथ एनालाइजर उपस्कर (बीएक्यू) की संख्या	शून्य	ब्रेथ एनालाइजर उपस्कर संस्वीकृत किए जाने के लिए मापनीय लक्ष्य 45 के रूप में दर्शाया गया है।	संख्या	शून्य
31	7.4.3. अन्य उपस्कर	शून्य	अन्य उपस्कर संस्वीकृत किए जाने के लिए मापनीय लक्ष्य 400 के रूप में दर्शाया गया है।	संख्या	शून्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

क्र.सं	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
32	7.5.1. वर्तमान परिवहन प्रणाली की खामियों जिनके कारण अधिक भार लदान तथा सार्वजनिक मांग की तुलना में वृद्धि पिछड रही है, के अध्ययन हेतु कार्रवाई शुरू करना।	शून्य	अध्यन हेतु कार्रवाई 31.12.2013 तक शुरू किए जाने की परिकल्पना है।	दिनांक	शून्य
33	8.1.1. संस्वीकृत किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या	शून्य	आदर्श निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए 2 परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र संस्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।	संख्या	शून्य
34	8.1.2, आरएफडी वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या	शून्य	आदर्श निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र की संख्या के लिए मापनीय लक्ष्य 4 के रूप में दर्शाया गया है।	संख्या	शून्य
35	10.1.1. विनियामक प्राधिकरण की संस्थापना के लिए विधेयक/सरकारी आदेश प्रस्तुत किया जाना।	शून्य	विनियामक प्राधिकरण की संस्थापना के लिए विधेयक/सरकारी आदेश प्रस्तुत किए जाने हेतु मापनीय लक्ष्य 31.12.2013 के रूप में दर्शाया गया है।	दिनांक	शून्य

खंड–5

अन्य विभागों से विशिष्ट निष्पादन अपेक्षाएं

स्थल का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है	इस अपेक्षा हेतु औचित्य	कृपया इस संगठन से अपनी अपेक्षा की मात्रा बताएं	क्या होगा यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती
केन्द्रीय सरकार	मंत्रालय	योजना मंत्रालय	1.1.1. निर्माण पूरा किया जाना					
			1.2.1. सौंपे जाने वाली लंबाई					
			1.12.1. पत्तन सड़क संपर्क/डीएमआईसी से संबंधित कार्य शुरू किए जाने के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करने हेतु योजना आयोग/वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाना	मूल्यांकन हेतु भेजे गए प्रस्तावों का समयबद्ध अनुमोदन	मूल्यांकन/अनुमोदन के पश्चात ही निविदाएं आमंत्रित की जाएं		कार्य सौंपने में विलंब तथा अंततः कार्य पूरा करने में विलंब आदि	
		वित्त मंत्रालय	1.1.1. निर्माण पूरा किया जाना					
			1.2.1. सौंपे जाने वाली लंबाई					

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम - संरचना दस्तावेज (आरएफडी)-(2013-2014)

स्थल का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है	इस अपेक्षा हेतु औचित्य	कृपया इस संगठन से अपनी अपेक्षा की मात्रा बताएं	क्या होगा यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती
			1.7.1, संस्वीकृत किए जाने वाले कार्यों की लागत					
			1.8.1, आवधिक और सामान्य मरम्मत (गड्ढों को भरा जाना, मरम्मत, उपतटों का समतलीकरण, पुलियों की मरम्मत आदि)	पर्याप्त बजटीय सहायता	पीपीपी विधि के आधार पर व्यवहार्य न होने पर परियोजनाओं पर ईपीसी विधि के माध्यम से विचार किया जाएगा		अनुरक्षण और कार्य सौंपा जाना प्रभावित होगा।	
		पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1.1.1, निर्माण पूरा किया जाना					
			1.2.1, सौंपे जाने वाली लंबाई	तीव्र अनुमोदन	राजमार्ग परियोजनाएं शुरू किए जाने से पूर्व स्वीकृति अपेक्षित		राजमार्ग परियोजनाएं प्रभावित होंगी।	
			1.4.3. वर्ष 2012–13 के दौरान सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना					
		रेल मंत्रालय	1.1.1, निर्माण पूरा किया जाना					
		जीएडी अनुमोदन	आरओबी शुरू किए जाने से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित	राजमार्गों का निर्माण प्रभावित होगा				

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए परिणाम – संरचना दस्तावेज (आरएफडी)–(2013–2014)

स्थल का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है	इस अपेक्षा हेतु औचित्य	कृपया इस संगठन से अपनी अपेक्षा की मात्रा बताएं	क्या होगा यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती
		सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाना।					
		आपातकालीन देखभाल, नामित अभिघात केन्द्रों और एंबुलेंस कोड आदि के लिए एकल टोल फ्री नं. का वृहत् प्रचार करना।	सड़क सुरक्षा के संबंध में डीएवीपी द्वारा प्रचार अभियान को बढावा दिया जाना	प्रचार मीडिया/प्रिंट के माध्यम से किया जाना है।		सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक प्रचार प्रभावित होगा।		
राज्य सरकार	सभी राज्य	विभाग	राज्यीय विभाग	1.4.1, भूमि पर कब्जा लिया जाना (क्षेत्रफल हेक्टेअर में)				
				1.4.2, वर्ष 2012–13 के दौरान सौंपी गई सभी परियोजनाओं के लिए भूमि सौंपी जाना	भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण और अन्य स्वीकृतियों के लिए समर्पित स्टाफ	राजमार्ग परियोजनाएं शुरू किए जाने के लिए स्वीकृतियां अपेक्षित हैं।		परियोजनाएं प्रभावित होंगी।

खंड–6
विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव	इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने हेतु निम्नलिखित विभाग/मंत्रालय के साथ संयुक्त जिम्मेदारी	सफलता संकेतक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13	वित्त वर्ष 13/14	वित्त वर्ष 14/15	वित्त वर्ष 15/16
1. और अधिक लेन के विभाजित कैरिजवे वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में वृद्धि। इससे सड़क क्षमता में वृद्धि और उच्चतर जीडीपी वृद्धि दर, कुल सड़क परिवहन लागत में कमी, ईंधन में बचत के कारण विदेशी विनिमय की बचत, सड़क अवसंरचना की सर्विस का बेहतर स्तर, पर्यावरण सुधार और कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी तेज गति और धीमी गति से चलने वाले यातायात के वियोजन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में उच्च स्तरीय कमी भी होती है।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन	विद्यमान सड़क क्षमता बढ़ाने तथा सड़क परिवहन प्रणाली को उन्नत करने वाले सुरक्षित और कुशल नेटवर्क का सृजन	किमी	2248	2845			
2. पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज और सुदुर क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन	–वही–	किमी	150	260			
3. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत सड़क संपर्क	राज्य लोक निर्माण विभाग	–वही–	किमी	1084	1049			
4. सड़क परिवहन से संबंधित नीतियों का गठन, कार्यान्वयन	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डीएवीपी	दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों की संख्या में कमी।	संख्या लाखों में	–	–			

36 वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

www.morth.nic.in

Design & Printed by: Jaina Offset Printers
9873149889, 9811269844